CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

HELP LINE NO.011-24368630 Website – www.crpfindia.com

ADVERTISEMENT

ONLINE RECRUITMENT FOR THE POST OF SI(OVERSEER) ASI/ Draughtsman & CT/PIONEER (Mason/Plumber/Electrician/Carpenter/Painter) IN CRPF FOR VACANCY YEAR 2016-17

Opening date of online application: 06/04/2017 **Closing date of online application: 05/05/2017**

Date of written examination: 30/07/2017

" Candidates are advised to visit the site regularly for any schedule of Exam and downloading their Admit Cards for various stages of recruitment."

1. Online Applications through website of CRPF at (www.crpfindia.com) are invited from Male Indian citizens for the combatised post of following posts of Pioneer cadre in Central Reserve Police Force for filling up of vacancies, through **online direct recruitment**. The recruitment process will consist of Physical Standard Test (PST), Physical Efficiency Test(PET) and Documentation, Written Examination, Skill Test (for CT/Pioneer only) and Medical Examination. The vacancies are as under :-

Sl. No	Post	General/UR	UR/Ex-Servicemen	OBC	OBC/ Ex-Servicemen	SC	SC /Ex-Servicemen	ST	ST/Ex-Servicemen	Total #	Examination fee	Scale of Pay*
1	SI/Overseer (Civil)	59	7	36	3	18	2	9	1	135	Rs 200/-	Level 6 / Pay matrix 35400-81200 Old scale Pay Band – 2 (9300 – 34800 & Grade Pay Rs. 4200/-)
2	ASI/ Draugh-tsman	2	0	1	0	0	0	0	0	3	Rs 100/-	Label-5 in pay matrix 29200-66600 Old Sale Pay Band-1 (Rs.5200- 20200 plus Grade Pay Rs.2800/-
3	CT/ Mason	21	1	26	1	10	0	6	0	65	Rs 100/-	Level 3 / Pay matrix 21700-50000 Old Scale Pay Band.I (5200 – 20200 & Grade Pay Rs. 2000)
4	CT/ Plumber	4	1	3	0	2	0	1	0	11		
5	CT/ Electri-cian	6	1	4	0	2	0	1	0	14		
6	CT/ Carpen-ter	3	1	1	0	1	0	0	0	6		
7	CT/ Painter	3	1	1	0	1	0	0	0	6		
	Total	98	12	72	4	34	2	17	1	240		

* The post will carry dearness allowance, ration money, free accommodation, free uniform, free medical facilities, free leave pass (once in a year during leave) and other allowances as admissible under the rules in the Force.

\# The numbers of Vacancies given above are tentative and may increase or decrease at any time/stage of recruitment process, due to administrative reasons. The revisions in vacancies, if any, are likely to be notified through corrigendum notification at stages around written exam and /or at skill, medical exam stage or prior to declaration of final selection result.

NOTE- **:** **As per Ministry of Human Resource Development Notification No. 44 dated 01.03.1995 published in Gazette of India edition dated 08.04.1995, the Degree obtained through open Universities/Distance Education Mode needs to be recognized by Distance Education Council, IGNOU. Accordingly, unless such Degrees had been recognized for the period when the candidates acquired the relevant qualification, they will not be accepted for the purpose of Educational Qualification.**

POST/TRADE CODE :

Rank	Name of Post	CODE
Sub-Inspector	SI/Overseer	01
Asstt Sub-Inspector	ASI/Draughtsman	02
Constable	CT/MASON	03
	CT/PLUMBER	04
	CT/ELECTRICIAN	05
	CT/CARPENTER	06
	CT/PAINTER	07

2. **NATIONALITY / CITIZENSHIP**:

A candidate must be either:-

a) a citizen of India, or
b) a subject of Nepal, or
c) a subject of Bhutan, or
d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary will be admitted to the Examination provisionally. Candidates are advised to go through the requirements of educational qualification, age, physical standards, etc. and satisfy themselves that they are eligible for the posts, before applying. When scrutiny is undertaken at any stage (at PST and finally at Skill/Trade Test), if any claim made in the application is not found substantiated the candidature will be cancelled and the department's decision in this regard shall be final. Offer of appointment will be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

3. **IMPORTANT POINTS** :

(i) Applications from candidates will be accepted through **ON-LINE MODE** only. As such candidates are required to apply only ONLINE. No other mode for submission of application is allowed.

(ii) Physical Standards Test (PST)/Physical Efficiency Test (PET), Documentation, Written Test, Trade Test(for CT/Pioneer only) and Medical examination will be conducted by the CRPF at respective Recruitment centers as per schedule.

(iii) **Tattoos** marked on traditional sites of the body like inner aspect of forearm, but only left forearm, being non-saluting limb or dorsum of the hand are to be allowed. Size must be less than ¼ of the particular part (Elbow or Hand) of the body.

(iv) Candidates should also not wait till the last date of application to avoid a situation where they are deprived to fill up application due to reasons of crash of website due to heavy influx of applications and delays attributable to technical errors.

(v) The Call letter/Admit card to candidates will be uploaded on the website **www.crpfindia.com** at each stage i.e. **for PST/PET & documentation, Written Test, Trade Test and Detailed medical examination** during the recruitment process. Besides, shortcomings, if any, noticed in online application of the candidate at initial stage, the candidate will be informed through SMS/E-mail to sort out query immediately as far as possible.

(vi) Candidates who qualify in PST/PET & documentation will only be eligible to appear in OMR based written examination**.**

(vii) Tradewise (for CT/Pioneer) result of written test cum merit list etc. will be drawn.

(viii) To ensure smooth, transparent, accurate and minimize human error, force will employ adequate measures and modernized means for conduct of PET event and computing of PST details.

(ix) The written examination will be bilingual i.e in English & Hindi.

(x) Result of written examination will be declared through website.

(xi) The candidates (for SI/Overseer and ASI/ Draughtsman) who qualify in written exam will be shortlisted for Detailed Medical Examination (DME) based on performance in written examination. The candidates will be medically examined in accordance with **existing medical guidelines** to assess their physical and medical fitness as prescribed in the eligibility conditions. During detailed medical examination, "Temporary unfitness" will not be allowed. Detailed instructions on procedure of medical examination and relevant provisions are elaborated in further paras.

(xii) Candidates applying for the post of CT/Pioneer (Masson, Plumber, Electrician, Carpenter & Painter) who qualify in written exam will undergo the trade test and called for trade test in order of merit list in each category/trade. Admit card/call letter intimating place and date on which they are required to appear for trade test will be uploaded in the website i.e. www.crpfindia.com. Only those candidates who have scored above the cut off marks fixed by the CRPF in Written Examination for each trade/Category will be required to appear in the Medical Examination. The Department shall have the discretion to fix different qualifying standards for candidates belonging to different categories, taking into consideration vacancies released for respective trade.

(xiii) After detailed medical examination and further, whereever required, a review medical examination, **category wise merit** for General, SC, ST, OBC & Ex-servicemen candidates will be drawn separately for each post/trade on the basis of the aggregate marks obtained in written test by the candidates.

(xiv) After drawal of merit list, final result will be declared through website i.e. www.crpfindia.com & www.crpf.nic.in and list of selected candidates Category wise will be uploaded in CRPF website.

(xv) The candidates fill Aadhar number while filling on-line application form and correct Aadhar number may be filled in his application form in prescribed column. However if a candidate is not having AADHAR Number they will fill number of photo bearing identity card such as Driving License, Voter Card, Identity Card issued by University/College, Income Tax Pan Card and same will be produced at examination centre during each event. Biometric data of candidates will be generated during PST stage and utilized during recruitment process for verifying identity of candidates.

(xvi) Candidates should bring their all original educational/experience/caste certificates and other testimonials at the time of PST/PET & documentation for proper checking/scrutiny. If any candidate fails to submit any requisite document in support of their eligibility, his candidature will be rejected straight way and no appeal will be accepted against their rejection for conducting documentation for any other day.

(xvii) Candidate can apply for only one post. Written test of all posts will be conducted simultaneously for the applied post. Similarly, candidates applying for the post of CT/Pioneer may apply for only one trade.

(xviii) If suitable Ex-servicemen candidates are not available, vacancies reserved for Ex-

Servicemen will be filled up by non-Ex-servicemen candidates of respective categories.

(xix) The posts are combatised and purely temporary in nature but likely to continue.

(xx) Candidates selected for appointment are liable to serve anywhere in Indian Territory and abroad.

(xxi) If any candidate fills wrong information in their application form or pastes, fake photograph of any other person/celebrity or object or puts blank photo etc., suitable action will be taken against them as per provision under cyber crime IT Act (Information Technology Act) 2000.

(xxii) Candidates of reserved category whose caste certificate is in following manner may be accepted as per prescribed certificate and the candidates may be allowed to continue in recruitment process against vacancy of respective reserved category :-

a) Name of candidate, fathers name, locality/village/town from they belong is clearly mentioned.
b) Certificate has been issued by the appropriate/prescribed authority.
c) Authority of Govt of India/resolution is correctly mentioned in caste certificate which justifies that claim of individual against reserved category is genuine.
d) Caste mentioned in caste certificate of individual actually belong to respective reserved category as per reservation policy of Central Govt and available in centralized list as notified by Central Govt for respective state.

(xxiii) A candidate who has applied for recruitment, indicating his category as SC/ST and fails to produce caste certificate at the time of PST, his candidature will be rejected straightway, for submitting false information for taking undue benefit.

(xxiv) New contributory pension scheme to Central Govt. Employees which has come into effect from 01/01/2004 will be applicable to all selected candidates.

4. ELIGIBILITY CRITERIA

1	**a) Age**	**For SI/Overseer**	Between 21 to 30 years. The cut off date will be 05th May 2017. {**Candidate should not have been born earlier than 06/05/1987 and not later than 05/05/1996 *(including the day of 06/05/1987 & 05/05/1996)***}. Relaxable for Govt. servant upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt. from time to time.
		ASI/ Draughtsman	Between 18 to 25 years. The cut-off date will be 5th May 2017 **(Candidates should not have been born earlier than 06/05/1992 and not later than 05/05/1999. (including the day of 06/05/1992 and 05/05/1999)** (Relaxable for Govt Servant upto 40 years of age)
		For the post of **CT/(Mason/ Plumber/ Electrician/ Carpenter/ Painter)**	Between **18 to 23** years. The crucial date for determining the age will be 5th May 2017. {**Candidate should not have been born earlier than 06/05/1994 and not later than 05/05/1999 (*including the day of 06/05/1994 & 05/05/1999*)**}. (Relaxable for Govt Servant upto 40 years of age).
		(**Note:** -Candidates should note that Date of Birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate will only be accepted by the CRPF for determining the age and no subsequent request for its change will be considered or granted).	
	b) Relaxation	1	Upper age limit is relaxable up to 5 years for SC/ ST candidates and 3

			years for OBC candidates. There will be relaxation in age for Ex-Servicemen in accordance with the Government orders on the subject.	
		2	The children and dependent family members of those who were killed in the riots of 1984 would be eligible for relaxation in upper age by 5 years. If the applicant belongs to SC/ST or OBC category, the relaxation so provided in this clause will be in addition to the age relaxation as applicable in **(1)** above. To obtain this relaxation a certificate from the concerned District Magistrate of the district where the victim was killed, should be produced at the time of recruitment.	
		3	Upper age limit upto 05 years is also relaxable for those persons who had originally been domiciled in the State of J & K during the period from 1st January, 1980 to 31st December, 1989. The persons claiming relaxation under this category should produce a certificate to the effect that they had been domiciled in the State of J & K during the period from 1st January, 1980 to 31st December, 1989 from the District Magistrate within whose jurisdiction they had originally resided or from any authority designated in this behalf by the Govt. of J & K. If the applicant belongs to SC/ST or OBC category, the relaxation so provided in this clause will be in addition to the age relaxation as applicable in **(1)** above.	
		4	The children and dependent family members of those who were killed in the riots of 2002 in Gujarat would be eligible for relaxation in upper age by 5 years. If the applicant belongs to SC/ST or OBC category, the relaxation so provided in this clause will be in addition to the age relaxation as applicable in **(1)** above. To obtain this relaxation a certificate from the concerned District Magistrate of the district where the victim was killed, should be produced at the time of recruitment.	
2	**EDUCATIONAL/TECHNICAL QUALIFICATIONS**			
	SI/OVERSEER	**Education Qualification**	Intermediate with 3 years Diploma in Civil Engineering from a recognized Board/Institution or university or equivalent	
	ASI/ Draughtsman	**Education Qualification**	Matric with English, General Science and Mathematics from a recognized board with three years diploma in Draughtsman Course (Civil/ Mechanical Engineering) from a Govt. recognized Polytechnic.	
	CT/Masson CT/Plumber CT/Electrician	**Education Qualification**	Minimum matriculation / Xth class pass or equivalent from a recognized Board, or university recognized by the Central or State Govt.	
	CT/Carpenter CT/Painter	**Technical Qualification**	One year experience in respective trades i.e. Massonry, Carpentry, Painting, Plumbing or Electrician. Candidates having certificate (Three months & above duration) under National skill qualification framework compliant anchored by National skill development Agency (NSDA) under Govt. of India, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship **or** certificate of trade from recognized Industrial Training Institute agency will be eligible for additional 5 marks during trade test. **However, authenticity of certificate will be verified from concerned institutions as per verification procedure.**	

5. PHYSICAL STANDARD

A	**FOR SI/OVERSEER**		

	Description	Height	Chest		Weight
			Un-expanded	Expanded	
	For all categories except the categories given below	170 CMs.	80 CMs	85 CMs	Proportionate to height and age as per medical standard.
	For candidates belonging to Hill areas of Garhwal, Kumaon, Himachal Pradesh, Gorkhas, Dogras, Marathas, Kashmir Valley, Leh & Ladakh regions of J&K, NorthEastern States and Sikkim.	165 CMs	80 CMs	85 CMs	
	All candidates belonging to Scheduled Tribes	162.5 CMs	77 CMs	82 CMs	
B	**ASI/ Draughtsman**				
	For all categories except the categories given below	170 CMs.	80 CMs	85 CMs	Proportionate to height and age as per medical standard
	For candidates belonging to Hill areas of Garhwal, Kumaon, Himachal Pradesh, Gorkhas, Dogras, Marathas, Kashmir Valley, Leh & Ladakh regions of J&K, NorthEastern States and Sikkim.	165 CMs	80 CMs	85 CMs	
	All candidates belonging to Scheduled Tribes	162.5 CMs	77 CMs	82 CMs	
C	**FOR CT/Masson/Plumber/Electrician/Painter/Carpenter**				
	For all categories except the categories given below	170 CMs.	80 CMs	85 CMs	Proportio-nate to height and age as per medical standard.
	All candidates belonging to Scheduled Tribes	162.5 CMs	76 CMs	81 CMs	
	Candidates hailing from the North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim & Tripura and candidates hailing from Gorkha Territorial Administration (GTA) comprising of the three Sub-divisions of Darjeeling District namely Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following "Mouzas" Sub-Division of these Districts:- (1)Lohagarh Tea garden (2)Lohagarh Forest (3) Rangmohan (4) Barachenga (5) Panighata (6)Chota Adalpur (7) Paharu (8) Sukna Forest (9) Sukna Part-I (10)Pantapati Forest-I (11) Mahanadi Forest (12) Champasari Forest (13)Salbari Chatpart-II (14) Sitong Forest (!5) Sivoke Hill Forest (16) Sivoke Forest (17) ChhotaChenga (18) Nipania	162.5 CMs	77 CMs	82 CMs	
	All candidates belonging to Scheduled Tribes hailing from the North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim	160 CMs	76 CMs	81 CMs	

	& Tripura and Left Wing Extremism affected district.					
	The Minimum height for all candidates belonging to falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Assam, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir	165	78 CMs	83 CMs		

Note :- Relaxation in height and chest (as the case may be) as mentioned above will be permissible only on production of certificate at the time of PST/PET in the proforma as prescribed in Annexure-VI from the competent authorities of the District where he/she ordinarily resides.

6. PET

A	**SI/Overseer**	All candidates possessing minimum physical standard, will be required to undergo physical efficiency test as under. PET shall not carry any marks. However, it would be mandatory for the candidates to qualify this test, failing which the candidate will be eliminated.
		1.6 km (1mile) race in 9 minutes
B	**ASI/Draugh-tsman**	1 .6 Kms race in 6 minutes 30 seconds 100 Mtrs. race in 16 seconds
		Long Jump : 3.65 Mtrs. in 3 chances
		High Jump 1.2 Mtrs. i n 3 chances
		Shot put (16 LBS) : 4.5 Mtrs. in 03 chances.
C	**CT/Masson CT/Plumber CT/Electrician CT/Carpenter CT/Painter**	1.6 km (1mile) race in 9 minutes.

7. MEDICAL STANDARD

A	**SI/Overseer**	**Visual Acuity unaided (NEAR VISION)**	Better eye	N6
			Worse eye	N9
		Uncorrected visual acuity (DISTANCE VISION)	Better eye	6/6
			Worse eye	6/9
		Refraction	➢ Visual correction of any kind is not permitted even by glass.	
		Color Vision	CP III BY ISIHARA.	
		Remarks	➢ In right handed person, the Right eye is better eye and vice versa. ➢ Binocular vision is required.	
B	**ASI/Draugh-tsman**	**Visual Acuity unaided (NEAR VISION)**	Better eye	N6
			Worse eye	N9
		Uncorrected visual acuity (DISTANCE VISION)	Better eye	6/6
			Worse eye	6/9
		Refraction	➢ Visual correction of any kind is not permitted even by glass.	
		Color Vision	CP III BY ISIHARA.	
		Remarks	➢ In right handed person, the Right eye is better eye and vice versa. ➢ Binocular vision is required.	
C	**Eye Sight For CT/Masson CT/Plumber**	**Visual Acuity unaided (NEAR VISION)**	Better eye	N6
			Worse eye	N9
		Uncorrected visual acuity	Better eye	6/6

	CT/Electrician **CT/Carpenter** **CT/Painter**	(DISTANCE VISION)		Worse eye	6/9
		Refraction	➢ Visual correction of any kind is not permitted for distant. ➢ Should be able to read with glasses for near vision only.		
		Color Vision	CP IV BY ISIHARA.		
		Remarks	➢ In right handed person, the Right eye is better eye and vice versa. ➢ Binocular vision is required. ➢ Minimum colour perception required is to recognized **RED & GREEN** colours.		
Note:- Candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes. They must be in good mental and physical health for duties in all places including in high altitude and be fit to serve in border areas with extreme climatic conditions and must be free from any defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.					

NOTE-I Ex-servicemen who have already secured employment in civil side under Central Government in Group "C" & "D" posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment are NOT eligible for fee concession or for claiming benefits of reservation under Ex-Servicemen category. However, they are eligible for age relaxation.

NOTE-II The period of "Call up Service" of an Ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of age relaxation.

NOTE-III For any serviceman of the three Armed Forces of the Union to be treated as Ex-Serviceman for the purpose of securing the benefits of reservation, he must have already acquired at the relevant time of submitting his application for the Post / Service, the status of ex-serviceman and /or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would complete specified term of engagement with the Armed Forces within the stipulated period of one year from the CLOSING DATE **05/05/2017**.

NOTE-IV AGE CONCESSION IS **NOT ADMISSIBLE** TO SONS, DAUGHTERS AND DEPENDENTS OF EX-SERVICEMEN.

NOTE-V **Physical/Medical Standard and other eligibility f**or recruitment of Ex-servicemen in CRPF for the post of SI/Overseer, ASI/Draughtsman and CT/Pioneer (all trades) will be as under:-

(i)	Physical Standard	**:**	Measurement to be recorded (Should not be disqualified)
(ii)	Medical Category	**:**	Should be SHAPE-I/AYE & as per direct recruitment.
(iii)	Character	**:**	Minimum requirement will be good character certificate. Copy of discharge certificate may also be attached
(v)	Education	**:**	As per Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules 1979 and amendment issued time to time.
(vi)	Age Limit	**:**	Age concession for Ex-Servicemen will be allowed in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time and they will be allowed to deduct Military service from their actual age and such resultant age should not exceed the Prescribed age limit by more than three years.
Note:- Other terms and condition for re-employment of ex-servicemen as mentioned in Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Amendment Rules, 2012 and any other instruction issued by GOI from time to time, will also be applicable.			

NOTE-VI No race/Physical Efficiency Test will be held for Ex-servicemen at the time of their recruitment in CRPF. However, Ex-servicemen will be required to appear at the time of PST/PET event to record their measurements, documentation and produce their education certificate and other testimonials. They will also appear in written test, trade test & medical examination.

EXPLANATION 1: An Ex-Serviceman **means** a person who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy, Air Force of the Indian Union, and

(i) who retired from such service after earning his pension. This would also include persons who are retired/retire at his own request but after having earned his pension; or

(ii) who has been released from such service on medical grounds attributable to military service/circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or

(iii) who has been released, otherwise than on his own request from such service as a result of reduction in establishment; or

(iv) who has been released from such service after completing the specific period of engagements, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity; and includes personnel of the Territorial Army of the following categories, namely:-

1- Pension holders for continuous embodied service,
2- Persons with disability attributable to military service; and
3- Gallantry award winners.

EXPLANATION 2: The persons serving in the Armed Forces of the Union, who on retirement from service, would come under the category of "ex-serviceman" may be permitted to apply for re-employment one year before the completion of the specified terms of engagement and avail themselves of all concessions available to ex-servicemen but shall not be permitted to leave the uniform until they complete the specified term of engagement in the Armed Forces of the Union.

EXPLANATION 3: **(1) Children means**

a) Son (including adopted son) or
b) Daughter (including adopted daughter)

(2) Dependent family member means

a) spouse or
b) children or
c) Brother or sister in the case of unmarried victim who was wholly dependent on that victim at the time of his getting killed in the riots would be eligible. In order to be eligible for upper age relaxation in the category of SC/ST and OBC as mentioned in Para **4 1 (b)** the applicant should produce a certificate to that effect from the concerned District Collector/District Magistrate wherein the victim was killed.

8. PROCESS OF CERTIFICATION AND FORMAT OF CERTIFICATES:

(i) Candidates who wish to be considered against vacancies reserved/or seek age-relaxation **must submit requisite certificate in prescribed proforma** from the competent authority. Otherwise, their claim for SC/ST/OBC/Ex-Servicemen status will not be entertained and their candidature/ applications will be considered under **General (UR**) category subject to fulfilling requisite eligibility prescribed for General Category. The formats of the certificates are annexed. However caste certificate which has been prepared in manner as elaborated in para 3(xxii) will be accepted as prescribed certificate. Certificates which are other than para 3(xxii) will not be accepted. Candidates claiming OBC status may note that the OBC certificate should have been obtained **within three years** before the closing date **i.e. 05/5/2017**. The Department has decided to accept OBC certificate, in the prescribed format, issued after the closing date for receipt of application but issued on or before the date of verification of their document, as valid proof of belonging to OBC. At the time of documentation the candidates have to produce valid caste certificate otherwise their candidature will be considered against General Category and no request for considering again in reserve category will be accepted.

(ii) West Pakistani refugees should produce certificate at the time of documentation issued by the Sarpanch / Numberdar of a candidate's village to the effect that the person belonged to the West Pakistani Refugees category, alongwith a copy of the electoral roll showing the name of the candidate in the voters list for elections to the parliamentary constituency (as they do not enjoy voting rights to the state legislative assembly) be accepted as proof of their being West Pakistani Refugees for recruitment. As far as the scheduled castes among the said refugees are concerned, the state government have already issued certificates indicating the SC status.

NOTE-Candidates are warned that they will be permanently debarred from the examination in case they fraudulently claim SC/ST/OBC/Ex. Ser. status.

9. EXAMINATION FEE-

Candidates applying for the post of SI/Overseer, ASI/Draughtsman and various ranks of CT/Pioneer (**Masson, Plumber, Electrician, Carpenter and Painter)** belonging to General(UR)/OBC category should deposit examination as mentioned below :-

i. SI/Overseer : Rs 200/-
ii. ASI/Draughtsman : Rs 100/-
iii. CT/Pioneer (**Masson, Plumber, Electrician, Carpenter and Painter)** : Rs 100/-

Examination fee should be deposited in following mode.

(1) Through SBI Challan (Challan other than SBI will not be accepted). Payment of fee through SBI Challan will be accepted **upto 01/05/2017 only**.
(2) Net Banking through any bank
(3) Credit card /Debit Card of any bank.

Details of remittance particular are also mentioned in the online application.

MODE OF PAYMENT:

(i) The payment of Examination fee will be Online mode.
(ii) For payment of Examination fee, candidate should click on payment mode column in part-III of application form and he will be connected to payment website as per following procedure.
(iii) The facility and complete process/guidelines for submitting online application is available on website i.e. www.crpfindia.com
(iv) Candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Ex-Servicemen eligible for reservation are exempted from paying fee.

NOTE I : Fee once paid will **not** be refunded under any circumstances. Candidates are advised to visit only www.crpfindia.com directly and fill in application form. No other link has been created by CRPF for filling application form and payment of fee. Candidates will be responsible for any loss on account of payment of fee in case instructions are not followed resulting in incomplete application form or fee paid through some other link or multiple payments are made against single registration. Before filling application form candidates should ensure that requisite internet speed is available to avoid technical error during processing of application form.

NOTE II : Fee paid by **modes other than** as stated above, will **NOT** be accepted.

NOTE III: In case of non receipt of requisite fee from candidates (except exempted category) their application will be straightaway rejected.

NOTE IV: Tariff /Taxes charges will be borne by the candidate in addition to fees as applicable for Bank.

NOTE V: Fee should be paid online using internet banking or Debit Cards, Credit Cards(Service charge applicable for the bank will be borne by the candidate only) or can be paid through SBI challan in any branch of SBI. If the fees paid through a challan in SBI branch copy of challan be produced by the candidates at the time of PST. **Payment of fee through SBI Challan will be accepted upto 01/05/2017 only and thereafter services disabled.**

NOTE VI :No amount will be refunded in any case. Candidates are advised to be careful while making payment and avoid making multiple payment against single registration, as payment made are non refundable. If they are making such payment, it will be at their own risk/loss.

NOTE VII : Fee paid before **06/04/2017** ie opening date of online application form will also not be accepted.

NOTE VIII: SC/ST candidates if any, applying from General Category due to non availability of vacancy or other reason is also exempted for payment of fees:-

10. HOW TO APPLY:

The application must be submitted ONLINE only. No application will be accepted offline. As already mentioned in para/1 of this notification, the facility for submitting online applications is available on website www.crpfindia.com. Procedure for online submission of application is also available in said website. However same incorporated in Annexure-I. Candidature of the candidate application offline will be rejected summarily.

i) Candidates should apply for the post through online for which they should visit CRPF Website (www.crpfindia.com)

ii) **CLOSING DATE/LAST DATE OF RECEIPT OF ONLINE APPLICATION: 05/05/2017**.

iii) The online applications should reach by (**05/05/2017**) i.e closing date for submission through online mode only.

iv) To apply online visit our website (www.crpfindia.com) with the link Recruitment & further CT(Tech & Trades) " Apply" ⇨

v) Detailed instructions for filling online application are available on the website. Candidate should read the instructions carefully before making any entry or selecting options. Before applying online, candidate will be required to have a scanned (digital) image of his recent photograph and signature for uploading as per detailed instructions available on the link for submission of online application.

vi) After submitting the online application, the candidates are required to take print out of the finally submitted online application and retain the same with them.

vii) Candidates are not required to submit it to any office of CRPF either by post or by hand the printouts of their online applications or any other documents. They will be required to submit printout of online application along with self attested documents in support of their eligibility as and when called for.

viii) The candidates are advised to submit only single online application. However, if somehow, he submit multiple online applications, then he must ensure that online application with the higher

"Application Number" is complete in all respects including fee / intimation and bank charge. The applicants, who submit multiple online applications, should note that only the online application with higher "Application Number" shall be entertained by the CRPF and fee / intimation and bank charges paid against one "Application Number" shall not be adjusted against any other "Application Number".

ix) Application once submitted cannot be modified; hence, utmost care should be taken to furnish the correct details before submitting the online application.

x) Candidates are required to keep active their personal Email-ID and the mobile Number during the currency of this recruitment process. Hence, for their own interest, candidates should not give email ID / mobile phone numbers of others.

xi) Candidates are advised in their own interest to apply online much before the closing date and not wait till the last date to avoid the possibility of disconnection.

xii) The payment of application fee will be made on-line. The receipt of the fees should be preserved and produced at the time of PST/PET & documentation.

(Aspiring candidates belonging to OBC should submit declaration in the following format)

DECLARATION

" I _____ son/daughter of Shri. _____ resident of village/town/city _____ district _____ State _____ hereby declare that I belong to the _____ community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in DOP&T OM No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8/09/93. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08/09/1993.

Signature of the Candidate

11. ADMISSION TO THE RECRUITMENT:

(i) All candidates who apply in response to this advertisement by the CLOSING DATE and provisionally eligible, will be assigned **Roll numbers**, which will be communicated to them at the time of calling for PST/PET.

(ii) The call letters/admit cards for PST/PET & documentation, Written Test, Trade Test and Detailed Medical Examination will be available on website and can be downloaded from www.crpfindia.com. Candidates are advised to download above documents through above site only. There will be no link with at any other web site.

(iii) Candidate must write his Roll number, name, date of birth and name of the examination while making correspondence with CRPF. Communication from the candidate without furnishing required particulars shall not be entertained.

(iv) In case of inability to download the call letters/admit cards for PST/PET & documentation, Written test etc from the website, candidates should contact the concerned recruitment centres at least one week before PST/PET & documentation/written test/Trade test or Medical Examination. The Tentative schedule of PST/PET & documentation, Written test, Trade test and Medical Examination will be placed on the website of CRPF along with the contact details of officers to be contacted in case of non-receipt of admit cards for PST/PET & documentation ,Written test, Trade test and Medical Examination.

(v) The primary site for entire recruitment exam is **www.crpfindia.com.** However efforts will be made to post detailed Programme of PST/PET & documentation, Trade Test and Medical Examination on both the CRPF websites (**www.crpf.nic.in** and **www.crpfindia.com**). However, centre wise Roll Number block of candidates for each day, at least 01 week before PST/PET & documentation, Trade Test and Medical Examination will be available on www.crpfindia.com.

NOTE: **The candidates must carry at least one photo bearing identification proof such as Driving License, Voter Card, Aadhaar Card, Identity Card issued by**

University/ College, Income Tax Pan Card in original to the PST/PET & documentation centres, Written examination center and venue of Trade Test & Medical Examination/ Review Medical Examination, failing which they shall not be allowed to appear for the examination/recruitment at any cost.

12. CENTRES FOR EXAMINATION

The recruitment tests will be conducted at following 06 recruitment Centers. The candidates can prefer any one of the recruitment Centers for recruitment tests as per their convenience. Recruitment tests of a particular candidate will be conducted at same recruitment Centre where he will preferred for the centre. No request for change of recruitment centre at any stage will be considered.

Sl.No.	Name of Examination Centre	Code
1	The Commandant, Ist Signal Bn, CRPF, Jharoda Kalan, New Delhi. Pin-110072 Tel. 01125315852 Email : co1sig@crpf.gov.in	501
2	The Commandant, 2nd Signal Bn, CRPF, PO Keshogiri, Hyderabad, Telangana. Pin-500005 Tel. 04029804242 Email :co2sig@crpf.gov.in	502
3	The Commandant, 4th Signal Bn. CRPF, Neemuch, Madhya Pradersh Tel.07423223228 Email : co4sig@crpf.gov.in	503
4	The Commandant, 5th Signal Bn. CRPF, Hallomajra, PO-Industrial Area, Phase.II, Ramdarbar, Chandigarh Tel.01722637727 Email : co5sig@crpf.gov.in	504
5	THE DY. INSPECTOR GENERAL OF POLICE, GROUP CENTRE, CRPF, AT: Sembo, PO: Dhurwa, PS-Nagri, Dist: Ranchi, Jharkhand Pin-834 004 Tel No.. 08986606984 Email : gcrancrpf@gmail.com	505
6	THE DIGP, GROUP CENTRE, CRPF, KHATKHATI, POST- DIMAPUR, KHATKHATI (ASSAM) PIN CODE- 797 112 (Control Room Land line Phone No. 03675- 249056) Tel 03675 - 249056 Email address- gckkt@crpf.gov.in	506

Note I: Changing of written Examination centre will not be allowed under any circumstances. Hence, the candidate should select the centre carefully and indicate the same correctly in the field of online application form.

Note II: CRPF reserves the right to cancel any Centre and ask the candidates of that centre to appear from another centre.

13. RECRUITMENT/ SELECTION PROCESS

Sl. No.	Post/rank	Recruitment Stages.
01	Sub-Insp(Overseer)	I. PST/PET & documentation. II. Written Exam. III. Medical Exam. IV. Drawal of Merit List.
02	ASI(Draughtsman)	I. PST/PET & documentation. II. Written Exam. III. Medical Exam. IV. Drawal of Merit List.
03	CT/Pioneer	I. PST/PET & documentation. II. Written Exam. III. Trade Test. IV. Medical Exam. V. Drawal of Merit List.

1. PHYSICAL STANDARD TEST(PST)/ PHYSICAL EFFICIENCY TEST (PET) & DOCUMENTATION

Candidates have to qualify PST/PET event as mentioned in para/5 and Para/6 of this advertisement notice.

2. Written Examination - 30/07/2017 (SUNDAY)

The date of written exam is fixed and final. However, the date can be changed due to unavoidable administrative constraints. Candidates are advised to regularly visit www.crpfindia.com & www.crpf.nic.in for latest updation about examination schedule and for conducting exam. The uploading of admit card will be done accordingly.

3. Trade test (only for the post of CT/Pioneer) will be of qualifying in nature.

4. Medical examination and Review Medical Examination.

5. Mode of selection/drawal of final merit list

Note-1 :- The Schedule of recruitment for each event of recruitment is tentative.

2:- The tentative schedule of phase wise recruitment process shall be uploaded in CRPF website. Candidates are advised to visit CRPF website direct to (www.crpfindia.com) and (www.crpf.nic.in) to know the exact schedule.

14. METHOD OF SELECTION

All candidates applying for the recruitment and prima-facie eligible will be asked to appear in Physical Standards Test, Physical Efficiency Test and documentation. Detailed scrutiny of their eligibility will not be undertaken before PET/ PST & documentation. Therefore, it will be the responsibility of the candidate to verify their eligibility as prescribed in this notice before appearing for PST/ PET & documentation.

1. PHYSICAL STANDARD TEST(PST)/ PHYSICAL EFFICIENCY TEST (PET) &

DOCUMENTATION.

To ensure smooth, transparency, accuracy and minimize human error, force will exercise its discretion to employ adequate measures and modernized means for conduct of PET event.

a) PET

HEIGHT BAR AND 1.6 KMS RACE (QUALIFYING NATURE):

PET for various posts will be conducted in following manner :-

SI/Overseer : Candidates will be asked to go through the height bar and thereby, candidates with lesser height will be eliminated and will not be allowed to participate in further process of recruitment and will be given rejection slip intimating reasons for rejection. Those candidates who qualify the height bar will be subjected to 1.6 (1mile) race in 9 minutes.

ASI/Draughtsman : Candidates who qualify in the height bar will be allowed to participate in other PET event as mentioned below :-

1 .6 Kms race in 6 minutes 30 seconds
100 Mtrs. race in 16 seconds
Long jump : 3.65 Mtrs. in 3 chances
High Jump :1.2 Mtrs. in 3 chances
Shot-put (16 Lbs) : 4.5 Mtrs. in 03 chances.

Each and every event is compulsory. Candidates declared disqualified at any stage will be eliminated from recruitment process and will be given rejection slip intimating reasons for rejection.

CT/Pioneer (Masson, Plumber, Electrician, Carpenter and Painter)

Candidates will be asked to go through the height bar and thereby, candidates with lesser height will be eliminated and will not be allowed to participate in further process of recruitment and will be given rejection slip intimating reasons for rejection. Those candidates who qualify the height bar will be subjected to 1.6 (1mile) race in 9 minutes.

Note:- 1- This test will be only qualifying in nature. Candidates, who do not qualify the race, would be eliminated from the recruitment process by giving rejection slip intimating reasons thereof by the Presiding Officer.

2- PET will not be held for Ex-Servicemen as mentioned above.

3- To ensure smooth, transparent, accurate and minimize human error, force will employ adequate measures and modernized means for conduct of PET event and computing of PST details.

b**)** **Physical Standards Test**:

i) The candidates who qualify the height bar/PET will be screened for height, chest and weight by the Board of Officers. The candidates who meet the requirements of physical standard and fulfill the requirement of documentation will be allowed to participate in the written test. The candidates who do not fulfill the laid down physical standards will be eliminated from recruitment process by giving rejection slip, thereof, by Presiding Officer. However, elimination on grounds of weight will be done at time of medical examination only. **Physical standards** for all advertised post already elaborated in Para 5 of advertisement notice.

ii) During the process of recruitment, if any candidate is not satisfied with measurement of his

physical standard, he can prefer an appeal on the same day to the PO Recruitment Board against rejection in physical measurement. Such candidates will be re-measured on the same day or given a fresh date by the Presiding Officer of the recruitment board for appearing for re-measurement by appellate authority. The decision of the appellate authority in this regard will be final. If candidate is found to be within the prescribed standard, he will be forwarded to next selection process in continuation.

Note:-

1. Relaxation in height and chest (as the case may be) as mentioned in para/5 above will be permissible only **on production of certificate at the time of PST/PET & documentation in the proforma as prescribed in Annexure-VI** from the competent authorities of the District where he resides.
2. Candidates who are found eligible on height bar parameters and PET (race), their height, chest and weight will be measured by the board.

iii) The following officer will be the appellate authority for PST/PET for respective recruitment centre as details mentioned against each :-

Sl.No	Name of Examination Centre	Appellate authority
1	The Commandant, Ist Signal Bn, CRPF, Jharoda Kalan, New Delhi. Pin-110072 Tel. 01125315852 Email : co1sig@crpf.gov.in	THE DIGP, GC. CRPF, JHARODA KALAN, NEW DELHI PIN CODE- 110072.
2	The Commandant, 2nd Signal Bn, CRPF, PO Keshogiri, Hyderabad, Telangana. Pin-500005 Tel. 04029804242 Email :co2sig@crpf.gov.in	THE DIGP, GROUP CENTRE, CRPF, chandrayangutta, keshogiri, Hyderabad, pin-500005
3	The Commandant, 4th Signal Bn. CRPF, Neemuch, Madhya Pradersh Tel.07423223228 Email : co4sig@crpf.gov.in	THE DY. INSPECTOR GENERAL OF POLICE, GROUP CENTRE, CRPF, Neemuch, Distt-Neemuch, (Madhya Pradesh) pin code 458 445
4	The Commandant, 5th Signal Bn. CRPF, Hallomajra, PO- Industrial Area, Phase.II, Ramdarbar, Chandigarh Tel.01722637727 Email : co5sig@crpf.gov.in	The DIG Range Hqr, Central Reserve Police Force, Campus, Hallomajra, Chandigarh (UT) Pin-160002
5	The Dy. INSPECTOR GENERAL OF POLICE, GROUP CENTRE, CRPF, at: Sembo, PO: Dhurwa, PS-Nagri, Dist: Ranchi, Jharkhand- Pin-834 004 Tel No.. 08986606984 Email : gcrancrpf@crpf.gmail.com	THE DY. INSPECTOR GENERAL OF POLICE, GROUP CENTRE, CRPF, at: Sembo, Po: Dhurwa, PS-Nagri, Dist: Ranchi, Jharkhand- Pin-834 004
6	THE DIGP, GROUP CENTRE, CRPF, KHATKHATI, POST- DIMAPUR, KHATKHATI (ASSAM) PIN CODE- 797 112	THE DIGP, GROUP CENTRE, CRPF, KHATKHATI, POST-

	Tel 03675 - 249056 Email address- gckkt@crpf.gov.in	DIMAPUR, KHATKHATI (ASSAM) PIN CODE- 797 112

c)

Documentation

Following Original testimonial/documents of the candidates who qualifify in PST/PET will be scrutinized. Candidates who fail to produce requisite original testimonials / certificates will be eliminated from the recruitment process and no candidate will be allowed provisionally.

(i) Educational certificates
(ii) Date of birth certificate. (Matriculation or 10th pass certificate).
(iii) SC/ST and OBC Certificate, if applicable, should be in proforma as prescribed in Annexure-IV & V respectively. However caste certificate prepared in manner as elaborated in para 3(xxii) will be accepted as prescribed certificate.
(iv) A candidate who has applied for recruitment, indicating his category as SC/ST and fails to produce caste certificate in any of format at the time of PST, his candidature will be rejected straightway, for submitting false information and taking undue benefit.
(v) Candidates belonging to OBC certificate will be converted in General Category, if they fail to produce valid caste certificate.
(vi) Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Gorkha Territorial Administration(GTA) requesting for relaxation in height and chest should produce certificate in proforma/format given in Annexure-VI.
(vii) Candidates must produce One year experience certificate of respective trades i.e. Massonry, Carpentry, Painting, Plumbing or Electrician at the time of documentation.
(viii) Discharge certificate in case of Ex-servicemen.
(ix) No Objection Certificate in case of persons serving in Govt./Semi-Govt. Departments from their Head of office.
(x) Four passport size recent photographs of the candidates.
(xi) In addition to the original certificates, the candidates will also bring Xerox/photo-copy of educational, caste, technical/ trade and experience certificates, etc.

1- The candidates must carry at least one photo bearing identification proof such as Driving License, Voter Card, Aadhaar Card, Identity Card issued by University/College, Income Tax Pan Card in original**.**

2- Identification of the candidates should be checked by the board of officers at the time of PST/PET and Documentation from Identity Cards as produce by the candidate. Biometric data will be generated at PST/PET stage for verifying their eligibility during future recruitment process.

2. WRITTEN TEST

A PROCEDURE

The candidates who qualify in **PST/PET & Documentation** will appear in written test and informed in writing on the day of PST/PET & Documentation. Admit Card to the candidates, who qualify in PST/PET & Documentation will be uploaded the website i.e. www.crpfindia.com by mentioning date & venue on which they are required to appear for written test. Qualified candidates may download their call letter/admit card through said website i.e. www.crpfindia.com. The written test will be as under:-

a. The written examination will be conducted on **OMR basis systems at designated centres.**
b. Written test for various posts will be conducted in following manner :-

I) SI/Overseer :

One paper having three parts carrying total 100 numbers as per details given below:-

Part.I : Professional Knowledge (related to syllabus of civil engineering)
Carrying 50 marks (1 marks for each question)

Part.II : General Awareness (related to General Knowledge, General awareness)
Carrying 25 marks (1 marks for each question)

Part.III : Physics/Maths/Chemistry (as per 12 th standard)
Carrying 25 marks (1 marks for each question)

(The written test will consist of objective type multiple choice questions. The questions will be set both in Hindi and English for duration of 2 hours. Answer must be given only in Hindi or English.)

II) ASI(Draughtsman)

One paper having two parts carrying total 100 numbers as per details given below :-

Part-I : 60 marks (Maths-15 , Science-15 , English of Class 10 standard-15 & General Knowledge and Awareness-15 Marks, Total 60 Marks)
Carrying 60 marks (1 marks for each question).

Part-II Professional Knowledge
Carrying 40 marks (1 marks for each question).
Questions will be related to job of Draftsman.

(The written test will consist of objective type multiple choice questions. The questions will be set both in Hindi and English for duration of 2 hours. Answer must be given only in Hindi or English.)

III) CT/Pioneer

One paper having two parts carrying total 100 numbers as per details given below:-

Part-I Carrying 40 marks (1 marks for each question)
General awareness/ knowledge, Knowledge of elementary mathematics Analytical aptitude, Ability to observe and distinguish patterns, Basic knowledge in English/Hindi.

Part-II Carrying 60 marks(1 marks for each question)
Questions separately for each trade to assess the knowledge of the candidate in respective trade. **Candidate applying for a particular trade will be given question paper pertaining to that trade only**.

*** Candidates applying for the post of CT/Pioneer (ie Masson, Plumber, Electrician, Carpenter and Painter) will be given question paper separately for respective trade only**.

Note 1 : Written Test will be conducted on same day / time at all examination centers.

Note 2 : Final merit list will be drawn on the basis of marks obtained by the candidates in written exam as applicable for respective posts as mentioned above.

c) CUT OFF Marks will be as under for written test.

i) **SI/Overseer**

a)	General/Ex-servicemen	: 45% in **each paper.**
b)	SC/ST/OBC candidates	: 40% in **each paper.**

ii) **ASI/Draftsman**

a)	General/Ex-servicemen	: 45% in **each paper.**
b)	SC/ST/OBC candidates	: 40% in **each paper**

iii) **CT/Pioneer** (**Masson, Plumber, Electrician, Carpenter and Painter)**

a)	General	:	35 % in each paper.
b)	SC/ST/OBC	:	33 % in each paper

d) The questions will be set both in Hindi and English. Accordingly, the paper can be answered in any one of these languages.

e) Questions in Part-I & II are to be answered using a blue/ black ball pen.

f) The duration of the Written Test will be 02 hours.

g) No representation for revaluation of answer sheet of written exam or re-conduct of written examination will be entertained.

h) Candidates should bring clip boards and blue/black ball pens for written examination.

i) Candidates are not permitted to use Mobile phone, calculators or any other electronic/electrical device. Candidates, therefore, must not bring these devices inside the examination premises. Possession of these items, whether in use or not, will be considered as "use of unfair means" in the Examination and appropriate action will be taken against such candidates.

B. **INSTRUCTIONS FOR WRITTEN EXAMINATION:**-

1) The Question papers of written examination will be set bilingually in Hindi and English and candidates will have the option to answer either in Hindi or English. Language option code i.e. Hindi or English, opted by the candidate, should be mentioned correctly at appropriate place in OMR answer sheet otherwise OMR answer sheet will not be evaluated. Candidates are also advised to answer in Hindi/English but they cannot answer a part in Hindi & a part in English or vice-versa.

2) Answers to the questions will have to be given on OMR Sheet only.

3) Candidates should write their Roll Number on both i.e. Question Booklet and the OMR Answer Sheet.

4) All questions will be compulsory and carry equal marks.

5) Each Question Booklet has a Series No. and Series code. The candidates should enter the Series Number & Series code of Question Booklet given to them correctly in OMR Answer Sheet and similarly OMR Answer Sheet Number and Code be mentioned in Question booklet.

6) The OMR answer sheets not bearing candidates **Name, Roll number**, **Language option code, Category, Question booklet series Number**, **Series Code, Signature, Left Thumb Impression etc** at appropriate columns/boxes earmarked for this purpose, fully and correctly, will not be evaluated and **"Zero" marks will be awarded to them. No correspondence in this regard will be entertained by the department**.

7) Each question is followed by four answer choices. Out of these, candidate has to select the correct answer for each question and mark correct answer by darkening only one of the choice.
8) If more than one ovals are darkened, the answer will not be evaluated at all.
9) Candidate should think and decide clearly before making darkening mark to fill the oval completely.
10) The OMR Answer Sheet shall be handed over to the invigilator before leaving the examination hall, failing which, the **applicant will be liable for disqualification**.
11) Sufficient space will be provided for rough work. The candidates should use that space only and not use any other place/ paper etc.
12) The candidates will be allowed to take carbon copy of the answer sheet. Answer keys to the question paper will be uploaded on the website i.e. www.crpfindia.com after reasonable gap of written examination. However, the centers will also display Answer keys on the notice board of recruitment centre.
13) The candidate should not write any irrelevant matter on answer sheet except the specific information called for. If he does so, his Answer Sheet will become invalid and will not be evaluated.
14) Calculator/Cell phone/any other computing/ electronic devices are not permitted inside the examination centre.
15) If any candidate is found to be in possession of mobile phones or any other means of electronic/ wireless communication devices in the examination hall, his candidature shall be cancelled.
16) Candidate found copying or helping others or using unfair means will be straight-away disqualified and remarks to this effect will be recorded.
17) Evaluation of answer sheet is computerized and no requests for revaluation will be entertained at any cost.
18) **15 Minutes** time will be given to candidates for filling up column of OMR answer sheet and Question Booklet appropriately.

3. <u>TRADE TEST ONLY FOR THE POST OF CT/PIONEER (ie CT/Masson/Plumber /Electrician/Carpenter/Painter)</u>

(a) All the candidates declared pass in written examination will undergo trade test. The result of written test will be uploaded in website i.e. www.crpfindia.com & www.crpf.nic.in. Candidates qualifying in written test can download their call letters/admit cards for trade test through website i.e. www.crpfindia.com. In addition, the result of written test and date/venue of trade test will also be displayed at written examination centers and uploaded in crpf website (**ie www.crpf.nic.in** & www.crpfindia.com).

(b) Trade test/practical assessment **will be qualifying in nature**. **Out of 50 marks for practical Trade Test, a candidate must secure 20 marks to qualify**. The details are as under :-

S/No	Type of Test	Activity Particulars	Maximum Marks
01	Training / education programmes/courses to be NSQF (National skill qualification framework) compliant anchored by National skill development Agency (NSDA) under Govt. of India, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.	Candidates having certificate of course duration for more than three months will be eligible for full marks. **However, authenticity of certificate will be verified from concerned institutions as per verification procedure.**	05
	Diploma Certificate (Course & experience)	Diploma or certificate course, or other skill courses with or without any specified duration of respective trade or experience certificate of	

		respective trade, if any produced, issued irrespective of source of issue of any agency /institute. Assessment will be made on actual performance only.	
02	Trade test	Oral assessment of respective trade	05
		Practical assessment	35
03	Written skill	Subjective assessment of respective trade in 100 words. Total time: 20 minutes)	05
	Total (1+2+3)		**50**

Note 1 : Candidates having certificate (Three months & above duration) under **National skill qualification framework** compliant anchored by National skill development Agency (NSDA) under Govt. of India, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

or

Having certificate of trade from recognized **Industrial Training Institute** agency

They will be eligible for 5 marks based on certificate produced by the candidates during oral assessment of respective trade. **However, authenticity of certificate will be verified from concerned institutions as per verification procedure.**

Note 2 : Candidates having other diploma or certificate course, or other skill courses with or without any specified duration of respective trade or experience certificate of respective trade, if any produced, issued irrespective of source of issue of any agency/institute. Assessment will be made on actual performance only.

Note 3 :- Trade test assessment is to be carried as per procedure. The oral, practical and experience part will be assessed and the award of marks will be keeping in view of supporting documents and on basis of performance during such assessment. Candidates should not produce fake NSQF/ITI certificate. In case it is found fake during course of verification, is liable for action prescribed in force.

During Trade test, a candidate will be asked to perform any activity pertaining to that particular trade for which he has appeared/applied. The parameters for each trade will be as under:-

i)	Masson	Knowledge of Massonery work, Handling tools, Mixing of cement, Calculation of area of wall/pillar for specific construction.
ii)	Plumber	Knowledge of plumbering work, handling tools, pressure of water according to height of building, use of GI and PVC pipe, fitting of pipe in corner, attaching pipes and taps.
iii)	Electrician	Knowledge of Electric work. Fitting of MCB, fitting of plug/bulbs/ tublights/holders, supply of 11000 volts and 440 volts, preparation of earthing panel, fitting of generator set. Use of copper and aluminum wire.

iv)	Carpenter	Handling tools, cutting of wood, fitting, polishing and finishing of materials, Knowledge of fitting of doors and windows / fixing of glass panes on windows. Able to make wooden boxes, racks and to make a timber truss.
v)	Painter	Knowledge of colours, paints, shades, painting of sign boards, painting and drawing/knowledge of spray painting of motor vehicle etc. Knowledge of colour scheme by mixing different paints/ distempering. Able to write letters neatly on banners and boards. Able to work out quantity of paints required for wood painting and CGI sheet painting.

4. MEDICAL EXAMINATION AND SCREENING OF TESTIMONIALS

i) Only those candidates who have scored above the cut off marks fixed by the CRPF in Written Examination for each post/trade will be required to appear in the Medical Examination. The Department shall have the discretion to fix different qualifying standards for candidates belonging to different categories taking into consideration available vacancies.

ii) The number of candidates qualified in written exam/trade test as the case may be, medically examined will be equal to the number of vacancies increased by adding average failure rate or at rate to be decided during medical examination determined based on past experience/ recruitment which will the discretion of the department. The details/list of such candidates qualified in written / trade test and selected for detailed medical examination will be uploaded on website i.e www.crpfindia.com. Candidates selected for detailed medical examination can download their call letters/admit card through said website i.e. www.crpfindia.com. In addition, the list of candidates called for medical examination and date/venue of their medical examination will also be displayed at the recruitment centers and available in CRPF website (**www.crpf.nic.in** & www.crpfindia.com) after reasonable time from the date of completion of trade test.

iii) Medical examination of all candidates (direct recruitment and Ex. servicemen) will be subjected to detailed medical examination. In this regard, following will inter alia be ensured:-

a) Medical tests(X-Ray & Laboratory tests) **shall be conducted of all** candidates who will appear in initial or detailed medical examination. While conducting medical examination, the medical officer will examine a candidate in the sequence as prescribed in the candidate's medical examination form.

b) Candidates will be declared either FIT OR as UNFIT. No temporary unfitness is allowed.

c) If a candidate is declared medically unfit for appointment in CRPF during medical examination, the grounds for rejection will be communicated to him in broad terms in writing by Medical officer concerned duly countersigned by the Presiding Officer (Med Form-III). The candidate, if not satisfied with the findings of the Medical Officer, can submit an appeal for review medical examination with a proof of his fitness in the form of medical certificate and review medical examination fee, to the appellate authority, within 15 days of communication of medical unfitness. No temporary unfitness is permitted. Since no temporary unfitness is permitted as per GOI rules and provisional appeal will be accepted/considered only against any possible "error of judgment" on part of the medical board of CRPF conducting detail medical examination. A candidate will be medically examined of diseases, deformities and other fitness parameter at the time of initial or detailed medical examination to declare him as fit/unfit. The appeal for review medical examination will be entertained on possible "error of judgment" only. The review board with or without specialists on board will consider only such possible "error of Judgment" ,or

seek specialists opinion and/or may get necessary tests done to arrive at a opinion. If a candidate reports for RME through any surgical intervention/ removal of diseases/ deformities or correction as observed by the medical officer during DME, may not be considered /accepted for re-examination during RME. In case of acceptance, the RME will be carried out on norms as elaborated above.

d) Tattoos marked on traditional sites of the body like inner aspect of forearm, but only left forearm, being non-saluting limb or dorsum of the hand are to be allowed. Size must be less than ¼ of the particular part (Elbow or Hand) of the body. Scar mark on the skin of candidates as a result of removal of tattoos may be accepted on the line of post injury or post burn scars in case there is not any hindrance to the movement and physical performance.

e) It is reiterated that the candidates will be medically examined as per details of diseases and deformities provided below.

f) Candidates who are declared unfit can file an appeal/representation to the appellate authority within 15 days of declaring him unfit by the medical board.

15. GENERAL

A) CURSORY MEDICAL GUIDELINES FOR RECRUITMENT

The purpose of medical standards is to ensure that medically FIT candidates, accepted into the Central Reserve Police Force of the union of India.

1. Refusal to undergo medical examination at any stage or absenting oneself from the same will render the candidate unfit.
2. A declaration is to be given by candidates which will be provided to candidates at the time of Medical Examination regarding history or presence of diseases and treatment taken if any, evidence of which is not readily obtainable during the medical examination. Any false declaration in this aspect, discovered later at any stage of service, will make the candidate liable for disciplinary action including termination of service.
3. At some stages of medical examination candidates will be required to be examined in nude. Loin cloth is to be permitted except for, when genitalia and perineum is being examined.
4. The final decision of fitness/ unfitness in weight will be decided by the medical board at the time of MET based on the height and age chart on the day of MET and as per the height measured by the PST Board & as per guidelines for the same.

5. **Tattoo:**

Tattoos marked on traditional sites of the body like inner aspect of forearm, but only left forearm, being non-saluting limb or dorsum of the hand are to be allowed. Size must be less than ¼ of the particular part (Elbow or Hand) of the body. Scar mark on the skin of candidates as a result of removal of tattoos may be accepted on the line of post injury or post burn scars in case there are not any hindrance to the movement and physical performance. Instructions on tattoo mark are applicable at the time of recruitment only.

6. Duration of fitness for Post-operative cases. If any candidate operated for following the time for fitness will be considered as per details given below:-
   a) Body surface swelling, DNS ,tonsillectomy and nasal polypectomy-01 month.
   b) Hydrocele-03 months.
   c) Tympanoplasty-04 months.
   d) Abdominal/pelvic surgeries involving opening of peritoneum, repairs of Hernia, varicocele surgeries, surgery for fistula-in-ano etc-06 months.
   e) Above time will be considered at the time of medical only and not after the due date of medical.
   f) Any surgery conducted between DME & RME for corrective measure of unfitness in

DME will not be accepted & be considered as 'unfit'.

7. The candidate must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes.
8. Examination of blood pressure, (Normal Range Systolic 100-140 mm of HG, Diastolic 60 to 90 mm of Hg).
9. Hemoglobin: (Normal Range- 12-16 gm). However candidates with more than 18 gm% will be considered unfit. Hemoglobin below 12 gm% will be considered as disqualified.

(**B). <u>GROUNDS FOR REJECTION DURING MEDICAL:-</u>**

Candidates having any decease/deformity as mentioned under will lead to rejection. Details are as under:-

i) Indication of any chronic disease like tuberculosis, syphilis, or other venereal disease, rheumatoid/ any type of arthritis, hypertension etc.
ii) Bronchial or laryngeal disease like Asthma, chronic Tonsillitis & Adenoids etc.
iii) Indication of Valvular or other disease of heart.
iv) Generally impaired constitution, so as to impede efficient discharge of training/duties.
v) Low standard vision.
vi) Any degree of squint.
vii) Otitis media.
viii) Deafness, any degree of impaired hearing.
ix) Stammering, as specified later.
x) Loss of/ decay of teeth resulting in reduction of dental points below.
xi) Wearing of half or complete artificial denture.
xii) Contraction or deformity of chest and deformity of joints.
xiii) Abnormal curvature of spine (exact nature, e.g., kyphosis, scoliosis, lordosis etc. to be specified).
xiv) Abnormal Gait.
xv) Wax (Ears).
xvi) Deviated Nasal Septum.
xvii) Under sized chest.
xviii) Piles.
xix) Tonsillitis.
xx) Abnormal Blood Pressure.
xxi) Overweight/underweight.
xxii) Endocrinal disorders.
xxiii) Mental or nervous instability- evidence of nervous instability.
xxiv) Defective intelligence.
xxv) Any type of hernia.
xxvi) Chronic skin disease like vitiligo, Leprosy, SLE, Eczema, Chronic extensive Fungal dermatitis etc.
xxvii) Any congenital abnormality, so as to impede efficient discharge of training/duties.
xxviii) Anal fistula, haemorrhoids and other anorectal diseases as specified later.
xxix) Deformity of feet like Flat foot, Club foot, plantar warts etc.
xxx) Epilepsy.
xxxi) Nystagmus/ Progressive Pterygium.
xxxii) Hydrocede/Phimosis.
xxxiii) Cubitus varus/ Valgus.
xxxiv) Polydactyl of hands/feet.
xxxv) Undescended testis, atrophic testis, marked varicocele, testicular swellings.
xxxvi) Varicose veins. Cases of Varicose veins, even if operated, are not to be accepted because basic defect remains unchanged.
xxxvii) Any evidence of implants in situ anywhere in body will lead to rejection.
xxxviii) Evidence of major abnormalities or defects of the genitalia such as change of sex, hermaphroditism, pseudohermaphroditism, or gonadal dysgenesis or dysfunctional

residuals even after surgical correction of these conditions is disqualifying.

xxxix) Evidence of pelvic inflammatory disease, is disqualifying.

xl) Past medical history of diseases or injury of the spine or sacro iliac joints, either with or without objective signs which have prevented the candidate from successful follows a physical active life.

xli) History of spinal fracture/prolapsed intervertebral disc and surgical treatment.

xlii) The following conditions detected radiologically during medical exam:-

a) Granulomatous disease of spine.

b) Arthritidies/spondylosis.
-Rheumatoid arthritis and allied disorders
-Ankylosing spondylitis.
-Osteoarthrosis, spondylosis and degenerative joint disease.

-Non articular rheumatism (e.g. lesions of the rotator cuff, tennis elbow, recurrent lumbago etc.)
-Miscellaneous disorders including SLE, polymyositis, vasculitis.

c) Spondylolisthesis/spondylolysis.

d) Compression fracture of vertebrae.

e) Scheuerman's disease (Adolescent kyphosis).

f) Loss of cervical when associated with clinically restricted movements of cervical spine.

g) Unilateral/Bilateral cervical ribs with demonstrable neurological or circulatory deficit.

h) Scoliosis more than 15 degree as measure by Cobb's method.

i) Degenerative Disc Discase.

j) Presence of schmorl's nodes at more than one level.

k) Atlanto-occipital and atlantoaxial anomalies.

l) Hemi vertebrae and/or incomplete block (fused) vertebrae at any level in cervical, dorsal or lumbar spine and complete block (fused) vertebrae and more than one level in cervical or dorsal spine.

m) Unilateral Sacralisation or lumbarisation (Complete or incomplete) at all levels and bilateral incomplete sacralisation or lumbarisation.

n) Any other abnormality if so considered by the specialist.

o) Mild Kyphosis or Lordosis where deformity is barely noticeable and there is no pain or restriction of movement will not preclude acceptance.

p) In case of noticeable Scoliosis or suspicion of any other abnormality or spinal deformity, more than mild, appropriate X-rays of the spine are to be taken and the Examinee referred for specialist's advice.

q) The following conditions detected on X-ray examination will be disqualifying for entry to Armed Forces.

i) Granulomatius disease of spine.
ii) Arthritidies/ spondylosis.
iii) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's method (10 degree of Army)
iv) More than mild Kyphosis/lordosis.
v) Spondylolisthesis/Spondylosis.
vi) Herniated nucleus pulposes.
vii) Compression fracture of Vertebra.
viii) Sacaralisation Disease.
ix) Cervical ribs with demonstrable neurological or Circulatory deficit.
x) Presence of Schmorl's node at more than one level.
xi) Atlanto-occipital, and atlantoaxial anomalies.
xii) Incomplete Sacaralisation Unilateral or Bilateral.
xiii) Spinabifida other than SV1 and LV5 if completely sacralised.

xiv) Any other abnormality, if so considered by specialist.

r) A candidate should have no past history of mental breakdown or fits.

s) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms in a quiet room. There should be no evidence of present or past disease of the ear, nose and throat. Audiometric test will be done for AF. Audiometric loss should not exceed+20 db in frequencies between 250 Hz and 4000 Hz. There is no impediment of speech.

t) There should be no signs of functional or organic disease of the heart and blood vessels. Blood pressure should be normal.

u) There should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen will be a cause for rejection.

v) Un-operated hernias will make a candidate unfit. In case of Hernia which will be operated, a minimum of 6 months must have passed prior to final medical examination before commencement of the course.

w) There should be no hydrocele, varicocele or piles.

x) Urine examination will be done and any abnormality if detected will be a cause for rejection.

y) Any disease of skin which is likely to cause disability or disfigurement will also be a cause for rejection.

NOTE:-These instructions are only guidelines but not exhaustive. In addition to these instructions laid down by GOI from time to time on the subject will be applicable for medical examination.

16. REVIEW MEDICAL EXAMINATION

(i) The candidates, if not satisfied with the findings of the Medical Officer, can submit an appeal for review medical examination with a proof of his fitness, from a Medical Practitioner, in the form of a medical certificate as given in Annexure VIII to authorities as mentioned below.

(ii) **The IGP, MP Sector, CRPF,** will be the Appellate Authority for the purpose. A Medical Officer will be associated as with the Appellate Authority for screening appeals. The candidates whose appeals are accepted by the Appellate Authority shall be directed to appear before Review Medical Board (RMB) giving them specific date, time and venue well in time. The RME of unfit candidates will be conducted by RME Board at notified centre. Medical will be conducted as per existing instructions in vogue.

(iii) Address of Appellate Authority : The Inspector General of Police, Madhya Pradesh Sector, Bangrasia, Bhopal (Madhya Pradesh) Pin-462045

(iii) Candidates being called for review medical examination (RME) should be informed that decision of RME board will be final and calling for RME and resultant they declared fit does not guarantee selection/appointment and it would depend upon as to whether their names figure in the final merit list. The candidates should also be informed that they will have to attend RME at own cost and should also make own arrangement for stay at review medical examination station for 3-4 days.

(iv) The Medical officer who has conducted the initial medical examination of the candidate and has declared him medically unfit will not be in the Review medical board which is conducting the review medical examination.

(v) If the candidate has been declared medically unfit due to both visual and other deformities/illness, then it should be ensured that the candidate is examined by Review Medical Board(s) for both aspects. Such candidates will be considered medically fit only if he is declared medically fit in all illness/deformities due to which he/she was declared medically unfit earlier.

(vi) The findings of the review medical board will be recorded in MED Form-VI. One copy of the Med Form-VI will be handed over to the candidate and receipt should be obtained on office copy of the MED Form-VI.

(vii) The appeal will not be taken into consideration unless:-

(a) The appeal completed in all respects should be submitted in prescribed performa to appellate authority.

(b) Medical certificate regarding fitness of candidate, from a Medical Practitioner, is not submitted.

(c) If any Medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the decision of Initial Medical Board/Recruiting Medical Officer, who had examined him in the first instance, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned, who should be a medical officer of concerned specialty from District Hospital and above along with registration no. given by MCI/State Medical Council, to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by a Medical Board, or the recruiting medical officer.

(d) Self addressed stamped envelope Rs 27/-

(viii) It is necessary to candidate to submit his appeal within 15 days from the date of issue of the communication in which the findings of the Medical Officer are communicated.

(ix) The appeal should be examined thoroughly and a decision as to the appeal is to be admitted or not, is taken by the appellate authority.

(x) Medical re-examination fee of Rs. 25/- (Rupees twenty five only) through IPO/Banker's Cheque/Demand Draft in the name of the Appellate Authority as mentioned above, is required to be attached by the candidate alongwith his appeal.

(xi) The call letter to those candidates whose appeal are accepted, will be issued by CRPF through registered post for appearing before review medical board of CRPF for Review Medical Examination. The findings of the review medical board will be final.

(xii) The finding /opinion of the recruitment medical board will be valid for one year from the date of fitness to joining the service.

17. <u>MODE OF SELECTION/DRAWAL OF FINAL MERIT LIST</u>

i) After completion of medical examination test/Review medical examination, category wise merit namely General, SC, ST, OBC & Ex-servicemen will be drawn separately for each post/trade's on the basis of aggregate marks obtained in written test by the candidate.

ii) The merit lists will be prepared on the basis of aggregate marks obtained in written test by the candidates. In case there is tie in marks, the merit list will be prepared in the following order:-

(a) The candidate older in age gets preference.

(b) If the tie still persists, it is finally resolved by referring to the alphabetical order of names i.e. a candidate whose name begins with the alphabet (English) which comes first in the alphabetical order gets preference.

iii) Provided that SC, ST, and OBC candidates, who are selected on their own merit without relaxed standards will not be adjusted against the reserved share of vacancies. Such as SC, ST, and OBC candidates will be accommodated against the general/unreserved vacancies as per their position in the overall Merit List. The reserved vacancies will be filled up separately from amongst the eligible SCs, STs, and OBCs, candidates which will, thus, comprise of SC, ST, and OBC candidates who are lower in merit than the last general

candidate on merit list of unreserved category but otherwise found suitable for appointment by relaxed standard.

iv) Final result will be published on website i.e. www.crpfindia.com & www.crpf.nic.in Besides, the list of finally selected candidates will be displayed on the notice board of the recruitment centre and uploaded on CRPF website followed by issue of offer of appointment.

NOTE:-

1) The candidates applying for the examination should **ensure that they fulfill all the eligibility conditions** for admission to the examination. Their admission at all the stages of examination will be **purely provisional**, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If, on verification, at any time before or after the PST/PET & documentation, written examination, Trade test and medical examination, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions; **their candidature for the examination will be cancelled by the department.**
2) Final selection of the candidate will be made in order of merit in each category, for respective posts, based on marks secured in written test.
3) An undertaking shall be taken from all the selected candidates at the time of joining that if at any stage of their service career, if they are found to be colour blind they will be boarded out as per the SHAPE Policy in vogue in time and enclose with their Service Records.
4) In case, any candidate is found ineligible or suppressing facts on any ground at any time during the recruitment process, his candidature/selection/appointment may be cancelled accordingly.
5) In case of vacancies reserved for Ex-Servicemen remain unfilled due to non availability of eligible or qualified candidates, the same shall be filled by other candidates from respective category in accordance with notification of amendment in Ex-Servicemen (Re-Employment in Central Civil Services and posts) Rules, 2012.
6) **No waiting list will be kept/maintained**.

18. **DECISION**

The decision of the board/department in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, penalty for false information, mode of selection, conduct of examination(s) allotment of examination centers and preparation of merit list will be final and binding on the candidates and no enquiry/correspondence will be entertained in this regard.

19. COURTS JURISDICTION

Any dispute in regard to this recruitment will be subject to courts/tribunals having jurisdiction over the City/Town in which the concerned Recruitment centre of CRPF is situated and where the candidate has submitted his application.

20. **IMPORTANT INSTRUCTIONS TO CANDIDATES**

1.	The recruitment will comprise of Physical Standards Test (PST), Physical Efficiency Test (PET), Documentation, Written Examination, Trade Test (only for CT/Pioneer) and Detailed Medical Examination.
2.	Before applying, candidates are advised to go through the detailed instructions contained in this notice carefully. this notice is also available on crpf website www.crpf.nic.in & www.crpfindia.com
3.	Candidates seeking reservation benefits as SC/ST/OBC/ Ex. Servicemen must ensure that they are entitled to such reservation as per eligibility prescribed in the Notice. They should also be in possession of the certificates in the format prescribed by Government of India in support of their claim when the copies of the certificates will be sought during PET/PST and documentation. OBC candidates should ensure that they are in possession of OBC certificate in the prescribed format issued by the competent authority within the due date prescribed in this Notice.
4.	**Candidates belonging to the physically handicapped category are not eligible to apply for this examination.**

5.	Examination fee : Examination fee for various posts will be as under :- i) SI/Overseer : Rs 200/- ii) ASI/Draughtsman : Rs 100/- iii) CT/Pioneer : Rs. 100/-) Fee payable only through SBI Challan or online payment through Net banking/credit /debit cards of any bank. Fee is exempted for candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Ex-Servicemen eligible for reservation, as per Government orders.
6.	**CLOSING DATE**: **05/05/2017** On-line submission of application form may be made on website www.crpfindia.com. Facility of on-line application will be available **from 06/04/2017 to 05/05/2017** for filling up part-i/ii and part iii.
7.	Mobiles & accessories and other electronic gadgets are banned within the premises of the examination venue. Candidature of candidates in possession of such gadgets will be cancelled forthwith. The department (CRPF) considers such possession as adopting unfair means.
8.	Application will be accepted through on-line mode only. Only one application is to be submitted. In case of multiple applications, the last application for which part-i/ii and part-iii registration have been completed will be accepted.
9.	The CRPF through registered firm will send acknowledgement through SMS/email to candidates applying on-line, regarding successful completion of registration of on-line application.
10.	The Call Letters/Admit Cards for PST/PET, Written Test, Trade Test and Detailed medical examination will be uploaded on the website **www.crpfindia.com**
11.	**Applicants will download their admit cards for PET/ PST & documentation, Written Test, Trade Test (for CT/Pioneer only) and Detailed Medical Examination online from web site www.crpfindia.com only. For any queries candidates may contact helpline 011-24368630.**
12.	**Candidates may also contact Recruitment centers for clarifications, if any, in respect of submitting applications and written examination as details mentioned in para/12 of this advertisement notice.**
13.	Candidates must carry at least one photo bearing IDENTITY PROOF such as Driving License, Voter Card, Aadhar Card, Identity Card issued by University/College, Income Tax Pan Card in original to the examination center, failing which THEY SHALL NOT BE ALLOWED TO APPEAR FOR THE EXAMINATION.
14.	The department has the right to make any changes in the advertisement or cancel it without assigning any reasons. Further all the conditions mentioned herein may vary as per orders issued by Government of India from time to time.
15.	On appointment, candidates shall be governed by the CRPF Act and Rules as well as all such Govt. instructions/rules issued from time to time, as applicable.
16.	Candidates will have to appear for selection/test at their own risk/expenses and no TA/DA will be admissible. They will also have to make their own arrangements for stay during recruitment.
17.	Candidates are advised to have sufficient practice for the race/PET before coming for recruitment. They are further advised to get themselves medically examined regarding their suitability to run the specified distance in the given time. CRPF will not be responsible for any injury/mishap or medical problem during the course of recruitment process/test.
18.	The admission of candidates at all the stages of examination will be **purely provisional**, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. Undergoing medical examination at the end of the recruitment process does not guarantee appointment as the offer of appointment will be made only according to allotted vacancies, for each category in respective posts, from the merit list in the order of seniority of the candidates.
19.	In case, candidates are appointed in CRPF and thereafter seek resignation or discharge as per rules shall be required to remit a sum of equal to three months pay and allowances or the cost of training imparted to him whichever is higher to the Government.

20.	Selected candidates will have to undergo prescribed training for specific period at any of the Training Centres of the Force. If any candidate does not qualify the prescribed training, his services are liable to be terminated
21.	Canvassing in any form or bringing outside influence will automatically disqualify the candidate from appearing the tests without notice.
22.	Candidates having the right aptitude, capability, fitness and knowledge of respective trade, may apply for the posts.
23.	Success in the examination confers no right to appointment, unless the department is satisfied after enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the post.
24.	Decision of the concerned recruitment board/department will be final.
25.	The decision of the department in all matter relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, mode of selection, conduct of examinations and allotment of examination centers, mode/procedure for skill test, medical examination etc will be final and binding on the candidates and no enquiry/correspondence will be entertained in this regard.
Note: -Beware of Touts. No money is charged for recruitment in CRPF. If anyone demands money or promises recruitment, inform the Presiding officer of recruitment board immediately.	

// sd // 15/03/2017
{ M.S.Shekhawat}
DY. INSPECTOR GENERAL (ADM),
MP SECOR HQr, CRPF,
(ISSUED AS CONSOLIDATED ADVERTISEMENT ON BEHALF OF ALL ZONES/SECTORS OF CRPF)

Annexure-I

PROCEDURE FOR ONLINE SUBMISSION OF APPLICATION

On-line application will be available as below:-

Part-I/II/III Registration : from 06/04/2017 to 05/05/2017

1. The online submission of the application may be made at website : **http:// /www.crpfindia.com & www.crpf.nic.in.**

2. Candidate should read the instructions in this Notice carefully before making any entry or selecting options. Candidate should supply all the required details while filling up the online form. Mandatory fields are marked with * (asterisk) sign. The filling of online application contains three parts as following:
   1. Part I Registration (with personal details)
   2. Part II Registration (upload photo & signature)
   3. Part III Payment of fees (online i.e Net banking /Debit card/ Credit Card & SBI Challan)
3. In Part I registration, candidate will have to fill basic personal information. After completion of part –I candidate should press "Next" button. Now complete information will show as filled by candidate. Now if candidate desires to make any correction than press "back" button and if he is satisfied with the data filled by him than press "submit" button. After selecting submit button no correction will be possible. Hence Candidates are advised to press "submit" button only after confirmation of correctness of filled information's by him.
4. In part II registration candidate will have to upload their photograph and scanned signature. Once photograph and scanned signature are uploaded press "Next" button. Next screen will show uploaded photo and Signature. If found ok press "submit" otherwise press "back" to edit

photo and signature. Once uploaded successfully then a page with Registration No. shall be generated. Note down registration number or take out the print out of the page.

5. Part- III of application form is regarding payment of Fee. Candidates who have to pay application fee can pay fee online through net banking/ credit cards or debit cards of any bank(Visa/Maestro/Master cards) or through SBI bank challan. Candidates may note that the Registration number given by the Department and Transaction ID of the Bank should be properly entered in the relevant space , failing which it will not be possible to link the payment with initial parts of registration.
6. On-line application will be completed only after uploading of scanned signature and photo and payment of fee.
7. Candidates are advised to keep a print copy of filled application form with them for future requirements. Candidates will have to keep the print copy of receipt of fees and will have to show to recruitment board at the time of PST/PET or as and when required.
8. Candidates are advised to upload a recently taken scanned photograph in 8 – bit JPG format. The digital size of the file must be less than 12 kb and greater than 4 kb of resolution 100 pixel widths by 120 pixels height.
9. Also upload your scanned signature in 8 – bit JPG format. The digital size of the file must be less than 12 kb and greater than 4 kb of resolution 140 pixel width by 60 pixels height.
10. Candidates are advised to go through the instructions carefully before filling up the application form.
11. Request for change/correction in any particulars in the Application Form shall not be entertained under any circumstances. The Department will not be responsible for any consequences arising out of non acceptance of any correction/addition/deletion in any particular filled in application form whatever the reasons may be.
12. On line applications received after last/closing date i.e. **05/05/2017,** will be summarily rejected and no further correspondence in this regard will be entertained.
13. No TA/DA will be allowed to the candidates for their journey to attend test.
14. They will appear for the selection tests at their own expenses and risk.
15. The appointment will be subject to the condition that the candidates declared medically fit as per laid down criteria and fulfilling all other required conditions.
16. All the posts are combatised. Selected candidates will be sent for Basic combatisation training/course at any of the training institution/GC of the CRPF. The services of those who fail to complete the training successfully are liable to be terminated as per the Rules / Instructions issued on the subject by the Govt./Department from time to time.
17. After his selection/appointment, if any candidate is found ineligible or guilty of suppressing facts, on any ground, his services will be terminated without assigning any reason.
18. These posts carry with all India liability and candidates are liable to be posted anywhere in India / abroad.
19. Selected candidates, on their appointment in CRPF will be governed by the CRPF Act, 1949, CRPF Rules 1955 and other rules and regulations as applicable from time to time. In case of candidates so appointed in the Force seeking resignations or discharge as per rule, shall be required to remit to the Govt. a sum equal to 3 months pay and allowances or the cost of training imparted to him, whichever is higher.
20. The candidates should clearly mention the post for which he has applied for post in the online application form.
21. Appointment will be made from the final merit list in order of seniority.
22. Success in the selection process confers no right to appointment unless the candidates comes within the cut off merit list prepared as against the advertised vacancies and the department is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service/post.
23. Canvassing of any form or any outside influence will automatically disqualify the candidate from appearing the test without notice.
24. Vacancies can be increased or decreased due to administrative reasons.
25. New Contributory pension scheme to Central Govt. Employees, which has come into effect

w.e.f. 01/01/2004 will be applicable to the selected candidates.

26. The recruitment board shall not be liable for any claim arising out of any injury etc. suffered during the tests. The decision of the recruitment board shall be final in all matters connected with this recruitment.

27. Candidate will only be responsible for any injury or mis-happening during any stage of examination i.e. he will appear at his own risk.

28. Final scrutiny of eligibility criteria with regards to age, educational qualification, caste, physical/medical standard etc. will be undertaken at the time of Medical Examination and also at the time of joining in the force. Therefore, candidature of a candidate will be accepted only provisionally till joining the force. At the time of medical examination/joining the force when scrutiny is undertaken and if any claim made in application is not found substantiated then the candidature will be cancelled and the decision of CRPF in this regard shall be final. Also after joining the force, authenticity/genuineness of DOB/Education/ Caste/other requisite certificates will be got verified from concerned Board/ authority/ institution and in case of any discrepancy found at any stage, services of individual concerned shall be liable to be terminated without assigning any reason.

29. Any amendment to the advertisement or updates regarding recruitment and tests/result etc. will only be published on CRPF **website (www.crpfindia.com & www.crpf.nic.in).**Candidates in their own interest are requested to regularly log on to **www.crpfindia.com & www.crpf.nic.in** for updates.

30. Any query related to any stage of recruitment will be entertained till the schedule of respective stage. After completion of the particular stage, no query related to that stage will be entertained.

31. Relaxation of respective category will only be given to those cases where vacancies are available in the respective category for the applied post. If vacancies of the respective category are not available in the post and candidate is not taking relaxation of his category, he will be treated as General/UR category candidate. Where vacancies of OBC/SC/ST category is not available and candidate does not fulfill the criteria of General/UR category candidate, candidature of such candidate will be rejected at any stage. However, applications of Ex-Servicemen candidates will be accepted irrespective of their category or vacancy in particular category.

IMPORTANT NOTICE FOR CANDIDATES

Beware of touts. Money is not charged for recruitment in CRPF. If you have paid or promised to pay money to any one, you are being cheated & you are losing money. If anyone demands money for getting you selected, immediately inform the Presiding Officer (PO) of recruitment board, IG/DIG of concerned recruitment Centre or nearest police station.

// sd // 15/03/2017
{ M.S.Shekhawat}
DY. INSPECTOR GENERAL (ADM),
MP SECOR HQr, CRPF,
(ISSUED AS CONSOLIDATED ADVERTISEMENT ON BEHALF OF ALL ZONES/SECTORS OF CRPF)

ANNEXURE- II

Form of Certificate for serving Defence Personnel (Please see Note.III below para/6 *of Notice for the Examination)*

I hereby certify/ that, according to the information available with me (No.) _____ (Rank) _____ (Name) _____ is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the (Date) _____.

Place: (Signature of Commanding Officer)
Date: Office Seal:

ANNEXURE-III

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE EX-SERVICEMEN (SEE NOTE I TO III BELOW PARA/7)

I understand that, if selected on the basis of the recruitment/examination to which the application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the Appointing Authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts rules, 1979, as amended from time to time).

I also understand that I shall not be eligible to be appointed to a vacancy reserved for Ex-S in regard to the recruitment covered by this examination, if I have at any time prior to such appointment, secured any employment on the civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) by availing of the concession of reservation of vacancies admissible to Ex-S.

I further submit the following information:

a) Date of appointment in Armed Forces _____
b) Date of discharge _____
c) Length of service in Armed Forces _____
d) My last Unit / Corps _____

(Signature of the Candidate)

Place:
Date:

ANNEXURE-IV

FORMAT FOR SC/ST CERTIFICATE

A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below, from the District Officer or the sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the District in which his parents(or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education. Wherever photograph is an integral part of the certificate, the Commission would accept only attested photocopies of such certificates and not any other attested or true copy.

(*The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India)*

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _____ son/daughter of _____ of village/town/* in District/Division *_____ of the State/Union Territory* _____
belongs to the Caste/Tribes_____ which is recognized as a Scheduled Castes/Scheduled Tribes* under:-
The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950 _____
The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950 _____
The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories order, 1951 * _____ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951*_____
As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists(Modification) order, 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960 & the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North-Eastern Area(Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order(Amendment) Act, 1976.
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956_____
The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment Act), 1976*.
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962.
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962@.
The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964@
The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 @
The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968@
The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968 @
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 @
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978@
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978@
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989@
The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1991@
The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 991@
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996
%2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled tribes certificate issued to Shri/Shrimati _____Father/mother _____ of Shri/Srimati/Kumari*_____ of village/town*_____
_____ in District/Division* _____of the State/Union Territory*_____
_____ who belong to the _____ Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by the_____ ____dated_____.

%3. Shri/Shrimati/Kumari and /or * his/her family ordinarily reside(s) in village/town*_____ of _____ District/Division* _____of the State/Union Territory of _____

Signature_____

** Designation_____

(with seal of office)

Place_____

Date_____

* Please delete the words which are not applicable

@ Please quote specific presidential order

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

** **List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificates**:

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy.Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

NOTE: ST candidates belonging to Tamil Nadu state should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER. 33

ANNEXURE-V

(FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA)

This is to certify that Shri /Smt./Kumari _____son/daughter of _____ of village/town _____ in District/Division _____ in the State/Union Territory _____ belongs to the _____ Community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment"s Resolution No. _____ dated _____*. Shri/Smt./Kumari _____ and/or his/her family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of the _____ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Scheduled to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT) dated 8.9.1993**.

District Magistrate
Deputy Commissioner etc.

Dated:
Seal:

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate's is mentioned as OBC.

** As amended from time to time.

Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act,1950.

ANNEXURE-VI

FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY THOSE CANDIDATES WHO INTEND TO AVAIL RELAXATION IN HEIGHT OR CHEST MEASUREMENT

Certified that Shri _____ S/o Shri _____is permanent resident of village _____, Tehsil/Taluka _____ District_____ of _____ State.

2. It is further certified that :

* Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Assam, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir.

* Candidates hailing from the North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim & Tripura and candidates hailing from Gorkha Territorial Administration (GTA) comprising of the three Sub-Divisions of Darjeeling District namely Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following "Mouzas" Sub-Division of these districts:

(1)Lohagarh Tea Garden (2)Lohagarh Forest (3)Rangmohan(4)Barachenga (5)Panighata (6)Chota Adalpur (7)Paharu (8)Sukna Forest (9)Sukna Part-I (10) Pantapati Forest-I (11)Mahanadi Forest (12)Champasari Forest (13)Salbari Chhat Part-II (14)Sitong Forest (15)Sivoke Hill Forest (16)Sivoke Forest (17) Chhota Chenga (18) Nipania.

* He / she belong to Scheduled Tribe.

Signature

District Magistrate / Sub-Division Magistrate / Tehsildar

Date:

Place:

* Delete whichever is not applicable.

ANNEXURE-VII

CERTIFICATE FOR SONS, DAUGHTERS, WARDS OF SERVING CRPF PERSONNEL

Certified that _____ (Name of the candidate) is Son / Daughter / ward of CRPF No. _____ Rank_____ Name _____ who is posted at CRPF Unit _____. It is also certified that the applicant has been residing with the serving personnel. The name of the Son/Daughter/ ward has been verified from the service records of the individual.

(Signature of the Unit Commander)

Dated :

Name_____
Rank_____
Unit:_____
(With office seal)

Note: One copy of the certificate to be kept in the personal file of the serving personnel.

Annexure-VIII

RECRUITMENT OF PIONEER WING FOR 2017 IN CRPF
FORM NO. CAPFs/SI/Overseer, ASI/Draughtsman & CT/Pioneer)-2017/3
FOR CANDIDATE
MEDICAL FITNESS CERTIFICATE

Medical practitioner to attest Photograph & Thumb impression of candidate

Space for photograph
of candidate
Thumb impression of
candidate

Certified that Mr./Ms_____S/o Shri._____ Age_____years, a candidates of recruitment for the post of SI/Overseer, ASI/Draughtsman & CT/ Masson/Plumber/Electrician/Carpenter/Painter 2016 in CRPF whose photo and thumb impression are appended above duly attested by me was examined by me at Hospital_____on date_____.

2. I, the undersigned have the knowledge that Mr./Ms. ....S/o Shri._____ has been declared Medically Unfit by the Medical Officer during recruitment for the post of SI/Overseer, ASI/Draughtsman & CT/ Masson/Plumber/Electrician/Carpenter/Painter 2016 due to :-

In my opinion this is an error of judgment due to following reasons :-

After due examination, I declare him/her <u>medically fit</u> for the said post.

Date:-

Signature & Name with seal of specialist Medical officer
concerned field Registration No.....

(MCI/State Medical Council)
Designation_____
Name & Address of Govt. Hospital (District Hospital and above)

Signature of the Candidate
(in the present of medical practitioner)

Attested by
Specialist medical officer of concerned field
Signature & seal

Note : 1) The findings of the Medical Practitioner should be supported by Medical reports/ documents wherever applicable.
2) The Photograph thumb impression and signature of the candidates should be attested
Medical practitioner giving this Medical fitness Certificate. Un-attested forms shall be summarily rejected.
3) CRPF shall not be responsible for postal delay.

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

हेल्प लाईन नं0–011–24368630 वेबसाइट– **www.crpfindia.com**

विज्ञापन सूचना

के.रि.पु.बल में उप निरीक्षक (ओवरसियर)/सहायक उप निरीक्षक/ड्राफ्ट्समैन एवं सिपाही/पायनियर (राजमिस्त्री/पलंबर/इलेक्ट्रीशियन/बढ़ई/पेंटर) के पद पर वर्ष 2016–17 हेतु रिक्तियों को भरने के लिए ऑनलाईन भर्ती अभियान

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि : 6/4/2017 ऑनलाईन आवेदन बंद होने की तिथि : 5/5/2017

लिखित परीक्षा की तिथि : 30/7/2017

''उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के किसी भी विवरण एवं भर्ती के विभिन्न चरणों हेतु अपने प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट को नियमित रूप से देखें।''

केरिपुबल वेबसाइट www.crpfindia.com के माध्यम से भारतीय पुरूष नागरिकों से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पायनियर कैडर के वर्दीधारी पदों की रिक्तियों को ऑनलाईन सीधी भर्ती के द्वारा भरने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक मानदंड परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शिक्षा तथा अन्य दस्तावेजों की जांच, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा (केवल सिपाही/पायनियर के लिए) एवं चिकित्सा परीक्षण होंगे। इन रिक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0सं0	पद	सामान्य/अनारक्षित	अनारक्षित/भूतपूर्व सैनिक	अ0पि0व0	अ0पि0व0/भूतपूर्व सैनिक	अ0ज0	अ0ज0/भू तपूर्व सैनिक	अ0ज0जा0	अ0ज0जा0/भूतपूर्व सैनिक	कुल #	परीक्षा शुल्क	वेतनमान*
1.	उ.नि./ओवरसियर (सिविल)	59	7	36	3	18	2	9	1	135	रू0 200/–	स्तर–6/वेतन मैट्रिक्स 35400–81200 पुराना वेतनमान वेतन बैंड–2 (9300–34800 तथा ग्रेड वेतन रू0 4200)
2.	सउनि/ड्राफ्ट्समैन	2	0	1	0	0	0	0	0	3	रू0 100/–	स्तर–5/वेतन मैट्रिक्स 29200–66600 पुराना वेतनमान वेतन बैंड–1 (5200–20200 तथा ग्रेड वेतन रू0 2800)
3.	सि0/राजमिस्त्री	21	1	26	1	10	0	6	0	65	रू0 100/–	स्तर–3/वेतन मैट्रिक्स 21700–50000 पुराना वेतनमान वेतन बैंड–1 (5200–20200 तथा ग्रेड वेतन रू0 2000)
4.	सि0/पलम्बर	4	1	3	0	2	0	1	0	11		
5.	सि0/इलेक्ट्रीशियन	6	1	4	0	2	0	1	0	14		
6.	सि0/बढ़ई	3	1	1	0	1	0	0	0	6		
7.	सि0/पेंटर	3	1	1	0	1	0	0	0	6		
कुल		98	12	72	4	34	2	17	1	240		

* इस पद के साथ मंहगाई भत्ता/राशन मनी/मुफ्त आवास/मुफ्त वर्दी/मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं/छुट्टी के दौरान वर्ष में एक बार मुफ्त अवकाश पास एवं बल में नियमों के तहत लागू अन्य भत्ते दिए जाएंगे।

\# अधिसूचित रिक्तियों पूरी तरह अस्थायी हैं तथा प्रशासनिक कारणों के भर्ती के किसी भी चरण में इनकी संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी हो सकती है। रिक्तियों में यदि कोई संशोधन होगा तो उन्हें लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण के समय अथवा अंतिम चयन परिणाम घोषित करने से पहले शुद्धि अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

नोट : भारत के राजपत्र में दिनांक 8/4/1995 को प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 1/3/1995 अधिसूचना सं0–44 के अनुसार मुक्त विश्वविद्यालयों/दूरस्थ शिक्षा पद्धति से प्राप्त डिग्री दूरस्थ शिक्षा परिषद,इग्नू से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तद्नुसार जब तक ऐसी डिग्रियों को उक्त अवधि हेतु जिस दौरान उम्मीदवार नें संबंधित योग्यता प्राप्त किया है, मान्यता प्रदान नहीं की जाती तब तक उसे शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पद/ट्रेड का कोड :

रेंक	पद का नाम	कोड
उप निरीक्षक	उप निरीक्षक/ओवरसियर	01
सहायक उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक/ड्राफ्टसमैन	02
सिपाही	सिपाही/राजमिस्त्री	03
	सिपाही/पलंबर	04
	सिपाही/इलेक्ट्रीशियन	05
	सिपाही/बढ़ई	06
	सिपाही/पेंटर	07

2. राष्ट्रीयता/नागरिकता :–

उम्मीदवार को इनमें से होना चाहिए :–

(क) भारतीय नागरिक हो, अथवा
(ख) नेपाल का नागरिक हो, अथवा
(ग) भूटान का नागरिक हो, अथवा
(घ) वे तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आए हैं, अथवा
(च) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या के पूर्वी अफ्रीकी देश, युगांडा, युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्व में तन्गान्यिका एवं जंजीबार), जांबिया, मलावी, जेरे, इथोपिया एवं वियतनाम से भारत आए हैं।

बशर्ते कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग), (घ) एवं (च) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

ऐसे उम्मीदवार के आवेदन के मामले में जिसमें पात्रता के लिए प्रमाणपत्र आवश्यक होगा, को अस्थायी रूप से परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन भरने से पहले वे अपेक्षित शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानदंड इत्यादि को भली–भांति पढ़ लें तथा स्वंय पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि आवेदन किए जाने वाले पद हेतु पात्र हैं। किसी भी स्तर (शारीरिक मानदंड परीक्षण एवं अंत में

कौशल/ट्रेड परीक्षा) पर यह पाया जाता है कि आवेदन में किया गया कोई दावा सही नहीं है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। नियुक्ति प्रस्ताव तभी जारी किया जाएगा जब वह भारत सरकार द्वारा उसे जारी पात्रता से संबंधित अपने प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देगा।

3. <u>महत्वपूर्ण बिन्दु</u> :–

(1) उम्मीदवारों के आवेदन केवल ऑन–लाईन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार केवल ऑन–लाईन माध्यम से ही आवेदन करें। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(2) शारीरिक मानदंड परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शिक्षा तथा अन्य दस्तावेजों की जांच, लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा (केवल सिपाही/पायनियर के लिए) एवं चिकित्सा परीक्षण केरिपुबल द्वारा संबंधित भर्ती केन्द्रों पर कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।

(3) शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे कि बांह के अंदर के हिस्से और वो भी सैल्यूट में प्रयोग नहीं होने वाले बाएं हाथ की बांह पर बने टैटू की अनुमति होगी। टैटू का आकार संबंधित अंग (कोहनी अथवा हाथ) के चौथाई हिस्से से कम होना चाहिए।

(4) उम्मीदवारों को अपने आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए ताकि तकनीकी कारणों से अथवा अंतिम समय में आवेदनों की अत्यधिक संख्या के कारण वेबसाइट के जाम होने अथवा बंद होने से वे आवेदन करने से वंचित न रह जाएं।

5) भर्ती प्रक्रिया के दौरान परीक्षा के प्रत्येक स्तरों जैसे कि शारीरिक मानदंड परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शिक्षा तथा अन्य दस्तावेजों की जांच, लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण पर उम्मीदवारों के प्रवेश पत्रों/बुलावा पत्रों को वेबसाइट www.crpfindia.com पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा प्रारंभिक स्तर पर उम्मीदवार के ऑनलाईन आवेदन में कोई कमी नजर आने पर उसे एसएमएस/ई–मेल के माध्यम से बताया जाएगा ताकि जितनी जल्दी संभव हो सके वह इस कमी को दूर कर लें।

(6) शारीरिक मानदंड परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शिक्षा तथा अन्य दस्तावेजों की जांच में उत्तीर्ण होने के बाद ही उम्मीदवार ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

(7) लिखित परीक्षा का परिणाम सह मेरिट सूची (सिपाही/पायनियर के लिए) ट्रेडवार आहरित की जाएगी।

(8) शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन एवं शारीरिक मानदंड के माप की गणना को निर्बाध, पारदर्शी, सटीक एवं मानव त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए बल द्वारा पर्याप्त उपायों एवं आधुनिक तरीकों को अपनाया जाएगा।

(9) लिखित परीक्षा द्विभाषी यथा – हिंदी एवं अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी।

(10) वेबसाइट के माध्यम से लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा।

(11) लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर (उप निरीक्षक/ओवरसियर एवं सहायक उप निरीक्षक/ड्राफ्ट्समैन) उम्मीदवारों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षण हेतु छांटा जाएगा। पात्रता शर्तों में निर्धारित उम्मीदवार की शारीरिक एवं चिकित्सा योग्यता/स्वस्थता का मूल्यांकन करने के लिए लागू चिकित्सा दिशा–निर्देशों के अनुसार विस्तृत चिकित्सा जांच की जाएगी। विस्तृत चिकित्सा

जांच के दौरान ''अस्थायी अस्वस्थता'' की अनुमति नहीं होगी। चिकित्सा परीक्षा प्रक्रिया पर विस्तृत अनुदेशों एवं प्रासंगिक प्रावधानों को आगे के पैराओं में दर्शाया गया है।

(12) सिपाही/पायनियर (राजमिस्त्री/पलंबर/इलेक्ट्रीशियन/बढ़ई/पेंटर) पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों जिन्होंने लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है, उन्हें ट्रेड परीक्षा देनी होगी तथा प्रत्येक श्रेणी/ट्रेड में मेरिट सूची के अनुसार उन्हें ट्रेड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। प्रवेश पत्रों/बुलावा पत्रों को वेबसाइट www.crpfindia.com पर अपलोड किया जाएगा जिस पर ट्रेड परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र का नाम एवं स्थान तथा परीक्षा तिथि लिखी होगी। केवल वही उम्मीदवार जिन्होंने प्रत्येक श्रेणी/ट्रेड के लिए लिखित परीक्षा हेतु केरिपुबल द्वारा निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त कर लिए हो, उन्हें ही चिकित्सा परीक्षा में शामिल होना होगा। यह विभाग का विवेकाधिकार होगा कि वह संबंधित ट्रेड के लिए जारी रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अलग–अलग अर्हक मानक रखे।

(13) विस्तृत चिकित्सा जांच एवं आवश्यकता होने पर मेडिकल रिव्यू परीक्षण के पश्चात उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों की श्रेणीवार योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) प्रत्येक पद/ट्रेड हेतु अलग से तैयार की जाएगी।

(14) मेरिट लिस्ट बनाने के बाद वेबसाइट www.crpfindia.com एवं www.crpf.nic.in के माध्यम से अंतिम परिणाम जारी किए जाएंगे तथा चयनित उम्मीदवारों की सूची केरिपुबल की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(15) ऑन–लाईन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का अपना आधार नंबर होना चाहिए एवं अपने आवेदन के निर्धारित कालम में उसे अपना सही आधार नंबर भरना होगा। हालांकि यदि उम्मीदवार के पास आधार नहीं है तो वे फोटो आधारित पहचान पत्र जैसे कि – ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड का नंबर भरें और इस पहचान पत्र को उसे भर्ती केन्द्र पर परीक्षा के प्रत्येक चरण में दिखाना होगा। शारीरिक मानदंड परीक्षण के समय उम्मीदवार का बायोमेट्रिक डाटा तैयार किया जाएगा और इसका प्रयोग भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार की पहचान को सत्यापित करने के लिए किया जाएगा।

(16) शारीरिक मानदंड परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शिक्षा तथा अन्य दस्तावेजों की जांच के समय उम्मीदवार को अपने सभी शैक्षिक/अनुभव/जाति प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियों एवं अन्य संगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। अपनी पात्रता के समर्थन में यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसकी उम्मीदवारी सीधे तौर पर खारिज कर दी जाएगी तथा इसके लिए उसकी किसी अपील पर सुनवाई या अन्य किसी और दिन उसके दस्तावेजों के जांच की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(17) उम्मीदवार केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदित पद के सभी पदों की लिखित परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार सिपाही/पायनियर के पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार केवल एक ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(18) यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को संबंधित श्रेणी के गैर भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों से भरी जाएंगी।

(19) ये पद वर्दीधारी हैं तथा पूर्णतया अस्थायी हैं परंतु इनके जारी रहने की संभावना है।

(20) चयनित उम्मीदवारों को भारत के किसी भी क्षेत्र में एवं विदेश में सेवा करने के दायी होंगे।

(21) यदि कोई उम्मीदवार गलत सूचना भरता है अथवा अपने स्थान पर किसी और व्यक्ति/महत्वपूवर्ण व्यक्ति की फोटो लगाता है अथवा ब्लैंक फोटो इत्यादि लगाता है, तो उसके खिलाफ साइबर क्राइम आईटी एक्ट 2000 के तहत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(22) आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिनका जाति प्रमाणपत्र निम्नलिखित रूप में होगा उन्हें ही निर्धारित प्रमाणपत्र के अनुसार स्वीकार किया जाएगा और उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित आरक्षित श्रेणी के प्रति रिक्तियों में बने रहने की अनुमति होगी :–

(क) उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, मुहल्ला/गांव/कस्बा जहां से वह संबंध रखता है, वह साफ–साफ लिखा हुआ होना चाहिए।

(ख) उचित/निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया हुआ होना चाहिए।

(ग) भारत सरकार का प्राधिकार/संकल्प को जाति प्रमाणपत्र में सही से दर्शाया हुआ होना चाहिए जोकि उम्मीदवार के आरक्षित श्रेणी के लिए दावे को सही बताता हो।

(घ) जाति प्रमाणपत्र में उम्मीदवार की जो जाति दर्शायी गयी है वह वास्तव में केन्द्र सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार संबंधित आरक्षित श्रेणी से संबंध रखती हो और यह संबंधित राज्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय सूची में उपलब्ध हो।

(23) उम्मीदवार जिसने कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अपनी श्रेणी को दर्शाते हुए भर्ती में आवेदन किया है और शारीरिक मानदंड जांच के समय इससे संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो गलत सूचना देने और अनुचित लाभ प्राप्त करने की कोशिश के कारण उसकी उम्मीदवारी सीधे तौर पर खारिज कर दी जाएगी।

(24) केंद्रीय कर्मचारियों हेतु दिनांक 1/1/2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना सभी चयनित उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।

4. <u>पात्रता मानदंड</u>

1	क) आयु	उप निरीक्षक/ओवरसियर के लिए	21 से 30 वर्ष की आयु के बीच। कट ऑफ की तिथि 5 मई 2017 होगी। {उम्मीदवार का जन्म 6/5/1987 से पहले एवं 5/5/1996 के बाद का नहीं होना चाहिए (दिनांक 6/5/1987 एवं 5/5/1996 के दिन को मिलाकर)}। सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 05 वर्ष की छूट।
		सहायक उप निरीक्षक/ड्राफ्ट्समैन के पद हेतु	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच। कट ऑफ की तिथि 5 मई 2017 होगी। {उम्मीदवार का जन्म 6/5/1992 से पहले एवं 5/5/1999 के बाद का नहीं होना चाहिए (दिनांक 6/5/1992 एवं 5/5/1999 के दिन को मिलाकर)}। सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों

				अथवा आदेशों के अनुसार 40 वर्ष की आयु तक छूट।
			सिपाही (राजमिस्त्री/पलंबर/ इलेक्ट्रीशियन/ बढ़ई/पेंटर) के पद हेतु	18 से 23 वर्ष की आयु के बीच। कट ऑफ की तिथि 5 मई 2017 होगी। {उम्मीदवार का जन्म 6/5/1994 से पहले एवं 5/5/1999 के बाद का नहीं होना चाहिए (दिनांक 6/5/1994 एवं 5/5/1999 के दिन को मिलाकर)}। सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 40 वर्ष की आयु तक छूट।
			(टिप्पणी :– उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि आयु निर्धारण के लिए उनके मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म तिथि को ही केरिपुबल द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा इसके बाद इसमें परिवर्तन के किसी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाएगा।)	
	ख) छूट	1	ऊपरी आयु–सीमा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट अनुमन्य है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकार द्वारा इस विषय पर जारी आदेशों के अनुसार छूट अनुमन्य होगी।	
		2	1984 के दंगे मारे गए लोगों के आश्रित परिवार के सदस्यों हेतु ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो इसके अर्न्तगत छूट उपर्युक्त 1) में वर्णित छूट के अतिरिक्त होगी। इस छूट को प्राप्त करने के जहां पर वह मारा गया था, वहां के जिलाधिकारी से से जारी किया हुआ प्रमाणपत्र भर्ती के समय प्रस्तुत करना होगा।	
		3	1 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 की अवधि के दौरान मूल रूप से जम्मू–कश्मीर राज्य में अधिवास करने वाले लोगों के लिए 5 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गयी है। इस श्रेणी के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार को 1 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 की अवधि के दौरान मूल रूप से जम्मू–कश्मीर राज्य में अधिवासित रहने संबंधी प्रमाणपत्र उस जिलाधिकारी से जिसके क्षेत्र के अन्तर्गत वह अधिवासित रहा है अथवा जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा इसके लिए प्राधिकृत प्राधिकारी से जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो इसके अर्न्तगत छूट उपर्युक्त 1) में वर्णित छूट के अतिरिक्त होगी।	
		4	वर्ष 2002 में गुजरात में दंगे में मारे गए लोगों के आश्रित परिवार के सदस्यों एवं बच्चों हेतु ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो इसके अर्न्तगत छूट उपर्युक्त 1) में वर्णित छूट के अतिरिक्त होगी। इस छूट को प्राप्त करने के जहां पर वह मारा गया था, वहां के जिलाधिकारी से से जारी	

			किया हुआ प्रमाणपत्र भर्ती के समय प्रस्तुत करना होगा।
2	तकनीकी/शैक्षिक अर्हताएं		
	उप निरीक्षक/ ओवरसियर	शैक्षिक अर्हता	मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था अथवा विश्वविद्यालय अथवा इसके समकक्ष से इंटरमीडियट एवं इसके साथ सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा।
	सहायक उप निरीक्षक/ड्राफ्ट्समैन	शैक्षिक अर्हता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान एवं गणित विषयों सहित मैट्रिक एवं इसके साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक से ड्राफ्ट्समैन कोर्स (सिविल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में 3 वर्ष का डिप्लोमा।
	सिपाही/राजमिस्त्री सिपाही/पलंबर सिपाही/इलेक्ट्रीशियन	शैक्षिक अर्हता	केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं पास अथवा इसके समकक्ष।
	सिपाही/बढ़ई सिपाही/पेंटर	तकनीकी अर्हता	संबंधित ट्रेड जैसे कि– राजमिस्त्रीगीरी, बढ़ईगीरी, पेंटिंग, पलम्बिंग अथवा इलेक्ट्रीशियन में एक वर्ष का अनुभव। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के तहत (तीन माह एवं इससे अधिक अवधि) का प्रमाणपत्र अथवा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एजेंसी से ट्रेड का प्रमाणपत्र होने पर उम्मीदवार को ट्रेड परीक्षा में अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएंगे। हालांकि सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता को संबंधित संस्थान से सत्यापित करवायी जाएगी।

5. शारीरिक मानदंड

क	उप निरीक्षक/ओवरसियर के लिए				
	विवरण	लंबाई	सीना		वजन
			बिना फुलाए	फुलाने पर	
	नीचे दी गयी श्रेणियों को छोड़कर शेष सभी श्रेणियों के लिए	170 सेमी0	80 सेमी0	85 सेमी0	चिकित्सा मानदंडों के अनुसार लंबाई एवं आयु के अनुपात में।
	पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर घाटी, लेह एवं लद्दाख क्षेत्र एवं सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्यों के उम्मीदवारों के लिए	165 सेमीं0	80 सेमी0	85 सेमी0	
	अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी उम्मीदवारों के लिए	162.5 सेमी0	77 सेमी0	82 सेमी0	
ख	सहायक उप निरीक्षक/ड्राफ्ट्समैन				

	नीचे दी गयी श्रेणियों को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए	170 सेमी0	80 सेमी0	85 सेमी0	चिकित्सा मानदंडों के अनुसार लंबाई एवं आयु के अनुपात में।
	पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश गोरखा, डोंगरा, मराठा, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर घाटी, लेह एवं लद्दाख क्षेत्र एवं सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्यों के उम्मीदवारों के लिए	165 सेमीं0	80 सेमी0	85 सेमी0	
	अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी उम्मीदवारों के लिए	162.5 सेमी0	77 सेमी0	82 सेमी0	
ख	सिपाही / राजमिस्त्री / पलम्बर / इलेक्ट्रीशियन / बढ़ई / पेंटर				
	नीचे दी गयी श्रेणियों को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए	170 सेमी0	80 सेमी0	85 सेमी0	चिकित्सा मानदंडों के अनुसार लंबाई एवं आयु के अनुपात में।
	अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी उम्मीदवारों के लिए	162.5 सेमी0	76 सेमी0	81 सेमी0	
	पूर्वोत्तर के सिक्किम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, तथा गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप खण्डों–दार्जिलिंग, कलिमपोंग एवं कार्सियांग के साथ ही इन जिलों के निम्नलिखित ''मौजा'' उप खण्ड भी इसमें शामिल हैं :– (1) लोहागढ़ टी गार्डेन (2) लोहागढ़ फारेस्ट (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाट (6) छोटा अदलपुर (7) पहरू (8) सुकना फारेस्ट (9) सुकना पार्ट–1 (10) पंतपती फारेस्ट–1 (11) महानंदी फारेस्ट (12) चंपसारी फारेस्ट (13) सालबारी छत पार्ट–2 (14) सितोंग फारेस्ट (15) सिवोक हिल फारेस्ट (16) सिवोक फारेस्ट (17) छोटा चेंगा (18) निपनिया	162.5 सेमी0	77 सेमी0	82 सेमी0	
	पूर्वोत्तर के सिक्किम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय तथा वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार	160 सेमी0	76 सेमी0	81 सेमी0	
	गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोंगरा, मराठा तथा असम, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्रों के सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई	165 सेमी0	78 सेमी0	83 सेमी0	

टिप्पणी :– उपरोक्त वर्णित लंबाई और सीना (जैसी भी स्थिति हो) में छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब शारीरिक मानदंड परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक–6 प्रपत्र में उस जिले के सक्षम प्राधिकारी जहां पर उम्मीदवार सामान्यतया निवास करता है, द्वारा जारी प्रमाणपत्र उम्मीदवार प्रस्तुत करता है।

6 शारीरिक दक्षता परीक्षा :–

क.	उ0नि0/ओवरसियर	न्यूनतम शारीरिक मानदंड पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों को नीचे दर्शाए विवरण के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा का कोई अंक नहीं होगा। तथापि इस परीक्षा में उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से सफल होना चाहिए। सफल न होने पर उन्हें भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा।
		1.6 किलोमीटर (1 मील) की दौड़ 9 मिनट में पूरी करनी होगी।
ख.	सउनि/ड्राफ्ट्समैन	1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकेण्ड में पूरी करनी होगी। 100 मीटर की दौड़ 16 सेकेण्ड में पूरी करनी होगी।
		लंबी कूद : 3.65 मीटर (केवल तीन अवसर मिलेंगे)
		ऊँची कूद : 1.2 मीटर (केवल तीन अवसर मिलेंगे)
		शॉट पूट (16 एलबीएस) : 4.5 मीटर (केवल तीन अवसर मिलेंगे)
ग.	सिपाही/राजमिस्त्री सिपाही/पलम्बर सिपाही/इलैक्ट्रिसियन सिपाही/बढ़ई सिपाही/पेंटर	1.6 किलोमीटर (1 मील) की दौड़ 9 मिनट में पूरी करनी होगी।

7. चिकित्सा मापदंड :–

क	उ0नि0/ओवरसियर	बिना किसी सहायता के दृष्टयता तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)	बेहतर आंख	एन/6
			खराब आंख	एन/9
		बिना सुधार की गयी दृष्टयता तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)	बेहतर आंख	6/6
			खराब आंख	6/9
		अपवर्तन (रिफ्रेक्शन)	किसी भी प्रकार से दृष्टि सुधार यहां तक कि चश्मे से भी ठीक की गई दृष्टि मान्य नहीं है।	
		रंगधता (कलर विजन)	सीपी III इसीहरा द्वारा	
		अभ्युक्ति	दायें हाथ वाले व्यक्ति के मामले में – दायीं ऑख बेहतर हो और विलामतः बाइनाक्यूलर विजन अपेक्षित है।	
ख.	सउनि/ड्राफ्ट्समैन	बिना किसी सहायता के दृष्टयता तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)	बेहतर आंख	एन/6
			खराब आंख	एन/9
		बिना सुधार की गयी दृष्टयता तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)	बेहतर आंख	6/6
			खराब आंख	6/9
		अपवर्तन (रिफ्रेक्शन)	किसी भी प्रकार से दृष्टि सुधार यहां तक	

			कि चश्मे से भी ठीक की गई दृष्टि मान्य नहीं है।	
		रंगधता (कलर विजन)	सीपी III इसीहरा द्वारा	
		अभ्युक्ति	दायें हाथ वाले व्यक्ति के मामले में – दायीं ऑख बेहतर हो और विलामतः बाइनाक्यूलर विजन अपेक्षित है।	
ग.	सिपाही/राजमिस्त्री सिपाही/पलम्बर सिपाही/इलैक्ट्रिशियन सिपाही/बढ़ई सिपाही/पेंटर के लिए आंखों की दृष्टि	बिना किसी सहायता के दृष्टयता तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)	बेहतर आंख	एन/6
			खराब आंख	एन/9
		बिना सुधार की गयी दृष्टयता तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)	बेहतर आंख	6/6
			खराब आंख	6/9
		अपवर्तन (रिफ्रेक्शन)	दूर की दृष्टि के लिए किसी भी प्रकार से दृष्टि सुधार मान्य नहीं है। निकट की दृष्टि के लिए चश्मे के साथ पढ़ने में सक्षम होना चाहिए।	
		रंगधता (कलर विजन)	सीपी IV इसीहरा द्वारा	
		अभ्युक्ति	दायें हाथ वाले व्यक्ति के मामले में – दायीं ऑख बेहतर हो और विलामतः बाइनाक्यूलर विजन अपेक्षित है। न्यूनतम क्लर परसेप्शन के तहत लाल और हरे रंगों की पहचान होनी चाहिए।	
नोट :– उम्मीदवार के घुटने मिले न हों। चपटे तलवे न हो। उभरी हुई नसें न हों या भेंगी आंखें न हों। उम्मीदवार मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो ताकि ऊँचें पर्वतीय इलाकों तथा सीमा क्षेत्रों में जहां पर अत्यधिक खराब मौसम रहता है, पर ड्यूटी कर सके तथा किसी भी प्रकार अक्षमता न हो जिसकी वजह से ड्यूटियों के कुशलतापूर्वक निर्वहन में बाधा उत्पन्न न हो।				

टिप्पणी–1 ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जोकि पहले ही पुनः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के तौर पर दिए गए आरक्षण का लाभ लेने के उपरांत नियमित आधार पर समूह ''ग'' और ''घ'' पदों में केंद्रीय सरकार के अधीन रोजगार अर्जित कर चुके हैं, वे आवेदन शुल्क में छूट पाने के पात्र नहीं हैं। अपितु वे आयु में छूट के पात्र है। हालांकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अगस्त 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं0–36034/1/ 2014–स्था0(आरईएस) के अनुसार भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

टिप्पणी –2 सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक के ''कॉल अप सर्विस'' की अवधि भी नियमों के अनुसार आयु में छूट के उद्देश्य के लिए सशस्त्र बलों में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

टिप्पणी –3 भारत संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी भी भूतपूर्व सैनिक को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए ''भूतपूर्व सैनिक'' माना जाएगा। उसे इस पद/सेवा पर भर्ती हेतु आवेदन के समय भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त हुआ होना चाहिए अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी सबूत के साथ अपनी पात्रता स्थापित करने की स्थिति में हो कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5/5/2017 से निर्धारित एक वर्ष के भीतर वह सशस्त्र बलों में विनिर्दिष्ट सेवा अवधि को पूरा कर लेगा।

टिप्पणी –4 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट देय नहीं है।

टिप्पणी –5 केरिपुबल में उप निरीक्षक/ओवरसियर एवं सहायक उप निरीक्षक/ड्राफ्ट्समैन , सिपाही/पायनियर (सभी ट्रेड) हेतु भूतपूर्व सैनिकों के भर्ती के लिए शारीरिक/चिकित्सा एवं अन्य पात्रता निम्नलिखित होगी :–

1.	शारीरिक मानदंड	:	नाप–तौल दर्ज किया जाएगा (इसमें अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा)
2.	चिकित्सा मानदंड	:	शेप–1/एवाईई होना चाहिए एवं सीधी भर्ती के अनुसार
3.	चरित्र	:	न्यूनतम अच्छा चरित्र प्रमाणपत्र अपेक्षित है। डिस्चार्ज प्रमाणपत्र की प्रति भी संलग्न करें।
4.	शिक्षा	:	भूतपूर्व सैनिक नियमावली 1979 (री–इम्पलायमेंट इन सेंन्ट्रल सिविल सर्विस एण्ड पोस्ट) एवं समय समय पर संशोधित के अनुसार होनी चाहिए।
5.	आयु सीमा	:	भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को आयु में छूट की अनुमति होगी एवं उन्हें अपनी वास्तविक आयु में से सेना की सेवा घटाने की अनुमति है तथा इस प्रकार प्राप्त आयु निर्धारित आयु से तीन वर्षो से अधिक नहीं होना चाहिए।
टिप्पणी – भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुर्नःरोजगार की अन्य शर्ते, जैसा कि भूतपूर्व सैनिकों (केन्द्रीय सिविल सेवा व पदों के लिए पुनःरोजगार) के लिए संशोधित नियमावली 2012 तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य अनुदेशों में निर्धारित की गई हैं, भी लागू होंगे।			

टिप्पणी –6 केरिपुबल में भर्ती के समय भूतपूर्व सैनिकों की दौड़/शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। हालांकि भूतपूर्व सैनिकों को शारीरिक मानदंड परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अपनी नाप–तौल को दर्ज करवाने एवं कागजात सत्यापन एवं शैक्षिक दस्तावेजों एवं अन्य प्रपत्रों को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होना होगा। उन्हें लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा एवं चिकित्सा जांच के लिए भी उपस्थित होना होगा।

व्याख्या –1 भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य वह व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना, वायु सेना में युद्धक अथवा गैर युद्धक के तौर पर किसी भी रैंक में सेवा की है, और

(1) जो उसके अपने अनुरोध पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त अथवा कार्यमुक्त अथवा डिस्चार्ज हुआ है अथवा अपनी पेंशन अर्जित करने के उपरांत नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया/हुआ है : अथवा

(2) जिसे ऐसी सेवा से सैन्य सेवा के लिए चिकित्सा आधार पर अथवा उसके नियंत्रण से बाहर की स्थितियों के कारण कार्यमुक्त किया गया है एवं मेडिकल अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन प्रदान की गयी है, अथवा

(3) स्वंय के अनुरोध के अन्यथा जिसे ऐसी सेवा से स्थापना में कटौती के कारण कार्यमुक्त किया गया है, अथवा

(4) जिसे ऐसी सेवा से विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने के उपरांत उसके अपने अनुरोध पर अथवा कदाचार अथवा अदक्षता के कारण बर्खास्तगी के अन्यथा उसे कार्यमुक्त किया गया है तथा उसे ग्रेच्युटी भी प्रदान की गयी है, इसमें प्रादेशिक सेना के निम्नलिखित श्रेणियों के कार्मिक शामिल हैं –

1. नियमित सन्निहित सेवा के पेंशन प्राप्तकर्ता
2. मिलेट्री सेवा के आरोप्य निःशक्त कार्मिकों को, और
3. वीरता पदक विजेताओं को।

(6) भूतपूर्व रिक्रूट जिन्हें चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है तथा उन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन प्रदान की गई है।

व्याख्या–2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवानिवृत्ति के उपरांत ''भूतपूर्व सैनिक'' की श्रेणी में आ जाएंगे, उन्हें अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि को पूरा करने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने और भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध सभी रियायतें प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है परंतु उन्हें तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि को पूरा नहीं कर लेते हैं।

<u>व्याख्या – 3</u>

(1) बच्चों से आशय है –

(क) पुत्र (गोद लिए गए पुत्र सहित) अथवा

(ख) पुत्री (गोद ली गई पुत्री सहित)

(2) आश्रित पारिवारिक सदस्य से आशय है –

(क) पति/पत्नी अथवा

(ख) बच्चे अथवा

(ग) अविवाहित पीड़ित के मामले में भाई अथवा बहन जोकि दंगों में उसके मारे जाने के समय उस पीड़ित पर पूरी तरह से आश्रित थे, पात्र होंगे। अनु0 जाति/अनु0 जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपर पैरा 4 1 (ख) में दर्शाए गए अनुसार ऊपरी आयु सीमा में श्रेणी में छूट पाने के लिए पात्रता हेतु जहां पर पीड़ित मारा गया था उस क्षेत्र से संबधित कलेक्टर/जिलाधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. <u>प्रमाणन की प्रकिया एवं प्रमाणपत्रों के प्रारूप</u>

(1) उम्मीदवार जोकि आरिक्षत रिक्तियों के तहत विचार किए जाने के इच्छुक है/अथवा आयु में छूट चाहते हैं उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रोफार्मा में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/आवेदन–पत्र सामान्य(अना0) श्रेणी के अधीन इस श्रेणी के लिए लागू शर्तो को पूरा करने की दशा में विचार किए जाएंगे। प्रमाणपत्रों के लिए प्रारूप संलग्न हैं। हालांकि पैरा–3(22) में दर्शाए अनुसार बनाए गए जाति प्रमाणपत्र को निर्धारित प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार्य होगा। पैरा–3(22) में दर्शाए से अलग रूप में बनाए गए जाति प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाणपत्र आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि अर्थात 5/5/2017 से तीन वर्ष पूर्व की अवधि में प्राप्त किया गया होना चाहिए। विभाग नें निर्णय लिया है कि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित वैध सबूत के रूप में निर्धारित प्रोफार्मा में जारी अपिव के प्रमाणपत्र को स्वीकार किया जाएगा परंतु यह उम्मीदवार के कागजातों के प्रमाणन की तिथि या उससे पहले का जारी किया गया होना चाहिए। कागजातों के प्रमाणन के समय उम्मीदवार को वैध जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसकी उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी के प्रति मानी जाएगी एवं उसे दुबारा आरक्षित श्रेणी में शामिल करने के उसके प्रार्थना पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(2) पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को कागजात जांच के समय उम्मीदवार के गांव के सरपंच/नंबरदार से जारी इस संबंध में प्रमाणपत्र कि वह पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी है, साथ में संसदीय क्षेत्र के चुनावों की मतदाता सूची में उम्मीदवार के नाम को दर्शाने वाली मतदाता सूची की प्रति (चूंकि उन्हें राज्य विधान सभा के चुनावों में मताधिकार प्राप्त नहीं है) को भी उनके पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के तौर पर सबूत हेतु भर्ती के लिए स्वीकार किया जाएगा। जहां तक उक्त शरणार्थियों के मध्य अनुसूचित जातियों का संबंध है तो राज्य सरकार पहले ही अनुसूचित जाति के श्रेणी का उल्लेख करते हुए प्रमाणपत्र जारी कर चुकी है।

टिप्पणी– उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे धोखाधड़ी से अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै श्रेणी का दावा करते हैं तो उन्हें स्थाई तौर पर परीक्षा से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

9. <u>परीक्षा शुल्क</u> –

उप निरीक्षक/ओवरसियर एवं सहायक उप निरीक्षक/ड्राफ्ट्समैन, सिपाही/पायनियर (राजमिस्त्री/पलम्बर/इलेक्ट्रीशियन/बढ़ई/पेंटर) के लिए भर्ती हेतु आवेदन कर सामान्य (अना0)/अपिव श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा :–

1.	उप निरीक्षक/ओवरसियर	: रू0 200/–
2.	सहायक उप निरीक्षक/ड्राफ्टसमैन	: रू0 100/–
3.	सिपाही/पायनियर (राजमिस्त्री/पलम्बर/इलेक्ट्रीशियन/बढ़ई/पेंटर)	: रू0 100/–

निम्नलिखित पद्धति के जरिए परीक्षा शुल्क जमा करना होगा :–

(1) भारतीय स्टेट बैंक चालान के जरिए (भारतीय स्टेट बैंक के अलावा अन्य बैंक का चालान स्वीकार्य नहीं है)। भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से भुगतान दिनांक 1/5/2017 तक ही स्वीकार किया जाएगा।

(2) किसी भी बैंक से नेट बैंकिंग के द्वारा

(3) किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के द्वारा

जमा करने के विवरण का ऑनलाईन आवेदन में भी उल्लेख किया जाना है।

<u>भुगतान की पद्धति</u> –

(1) परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाईन पद्धति से किया जाएगा।

(2) परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए उम्मीदवार आवेदन प्रपत्र के भाग–।।। में भुगतान पद्धति पर क्लिक करें और उसमें नीचे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार वे भुगतान वेबसाइट से जुड़ जाएंगे।

(3) ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा और पूर्ण प्रक्रिया/दिशा–निर्देश वेबसाइट www.crpfindia.com पर उपलब्ध है।

(4) आरक्षण के लिए पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

टिप्पणी–1 शुल्क का एक बार भुगतान करने पर किसी भी स्थिति में उसे लौटाया नहीं जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल www.crpfindia.com देखें और

आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र भरने और शुल्क भुगतान के लिए केरिपुबल की ओर से कोई अन्य लिंक तैयार नहीं किया गया है। निर्देश के अनुसरण नहीं करने के कारण अधूरा आवेदन रहने, किसी अन्य लिंक से शुल्क का भुगतान करने अथवा एक पंजीकरण के लिए कई बार भुगतान करने के कारण हुए नुकसान के लिए उम्मीदवार स्वंय उत्तरदायी होंगे। आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र को प्रोसेस करने के दौरान तकनीकी त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक इंटरनेट गति आवश्यक है।

टिप्पणी–2 ऊपर बताए गई पद्धति से भिन्न प्रकार से शुल्क का भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा।

टिप्पणी–3 छूट प्राप्त उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी अन्य उम्मीदवारों से अपेक्षित शुल्क का भुगतान नहीं प्राप्त होने पर उनके आवेदनों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

टिप्पणी–4 यथा लागू शुल्क के अलावा बैंक टेरिफ/कर प्रभारों को उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाएगा।

टिप्पणी–5 शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग/क्रेडिट/डेबिट कार्ड के द्वारा किया जाय (बैंक के लिए लागू सेवा प्रभार केवल उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे) अथवा भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में भारतीय स्टेट बैंक चालान के जरिए किया जा सकता है। बैंक चालान की प्रति शारीरिक मानदंड जांच के समय उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत करनी होगी। भारतीय स्टेट बैंक चालान के जरिए भुगतान दिनांक 1/5/2017 तक ही स्वीकार्य होगी क्योंकि उसके बाद यह सेवा काम करना बंद कर देगी।

टिप्पणी–6 किसी भी परिस्थिति में कोई भी धनराशि वापस नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भुगतान करते समय सावधान रहें और एक पंजीकरण के कई बार भुगतान करने से बचें क्योंकि किया गया भुगतान अप्रतिदेय है, यदि वे इस प्रकार का भुगतान करते हैं तो यह उनका अपना जोखिम/नुकसान होगा।

टिप्पणी–7 ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 6/4/2017 से पहले किए गए शुल्क के भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी–8 रिक्तियों के नहीं होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में आवेदन करते हैं तो भी उन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

10. <u>आवेदन कैसे करें</u> :–

आवेदन केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएं। ऑफलाइन कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसा कि इस अधिसूचना के पैरा–1 में पहले ही उल्लेख किया गया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा वेबसाइट www. crpfindia.com पर उपलब्ध है, आवेदन पत्र की ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। यद्यपि इसे अनुलग्नक–''।'' में शामिल किया गया है। ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी सीधे तौर पर ही नामंजूर कर दी जायेगी।

I) उम्मीदवारों को पद के लिए ऑनलाइन करना चाहिए जिसके लिए के.रि.पु.बल की वेबसाइट (www. crpfindia.com) देखें।

II) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि/आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथिः 5/5/2017 है।

III) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 5/5/2017 तक अर्थात ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पहुंच जाने चाहिए।

IV) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारी वेबासाइट (www. crpfindia.com) पर भर्ती लिंक के साथ जाएं एवं सिपाही (तकनीकी एवं ट्रेड) ''अप्लाई'' । ⟹

V) ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को कोई भी प्रविष्टि करने अथवा विकल्पों का चयन करने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ लेना चाहिये। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति करने के लिए लिंक पर उपलब्ध विस्तृत अनुदेशों के अनुरूप अपलोडिंग के लिए अपना हाल का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की गई (डिजिटल) ईमेज रखना अपेक्षित होगा।

VI) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत, उम्मीदवारो के लिए अंतिम तौर पर प्रस्तुत किए गए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट लेना अपेक्षित होगा और इसे अपने साथ संभाल कर रखें।

VII) उम्मीदवारों के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट अथवा कोई अन्य दस्तावेज डाक से अथवा हाथों हाथ के.रि.पु.बल के किसी कार्यालय में प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है। उन्हें ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कापी/प्रिंट आउट साथ में अपनी पात्रता के समर्थन में स्वयं सत्यापित दस्तावेज, जब भी कहा जायेगा, प्रस्तुत करने होंगे।

VIII) उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। लेकिन किसी कारण से वे एक से आधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उच्चतर ''आवेदन संख्या'' वाला ऑनलाइन आवेदन पत्र फीस/सूचना और बैंक प्रभार सहित सभी प्रकार से पूर्ण है। जो आवेदक एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि के.रि.पु.बल द्वारा केवल उच्चतर ''आवेदन संख्या'' वाले ऑनलाइन आवेदन पर विचार किया जाएगा और एक ''आवेदन संख्या'' के तहत भुगतान की गई फीस/सूचना और बैंक प्रभारों को किसी अन्य ''आवेदन संख्या'' के तहत समायोजित नहीं किया जाएगा।

IX) एक बार प्रस्तुत किए आवेदन–पत्र में सुधार नहीं किया जा सकता है, अतः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले सही विवरण प्रस्तुत करने के लिए पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए।

X) उम्मीदवारों के लिए इस भर्ती प्रक्रिया के चालू रहने के दौरान अपना व्यक्तिगत ई–मेल और मोबाइल नंबर सक्रिय रखना अपेक्षित है। अतः उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि उन्हें दूसरें के ई–मेल आईडी/मोबाइल नंबर नहीं देने चाहिए।

XI) उम्मीदवारो को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन संपर्क टूटने की संभावना से बचने के लिए बंद होने की तिथि से काफी पहले आवेदन ऑनलाइन आवेदन करें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें।

XII) आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, फीस की रसीद संभाल कर रख लेनी चाहिए और शारीरिक मानक प्रक्रिया (पीएसटी)/शारीरिक दक्षता परीक्षा(पीईटी) एवं दस्तावेजों की जांच के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित इच्छुक उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी)

<u>घोषणा</u>

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी गांव/नगर/शहर ..... जिला ..... राज्य ..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ..... समुदाय से संबंधित हूं जिसकी भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के दिनांक 08/09/93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्था (एससीटी) के अनुसार एक पिछडे वर्ग के रूप में सरकारी सेवा में आरक्षण देने के उद्देश्य से पहचान की गई है। यह भी घोषणा की जाती है कि मैं दिनांक 08/09/93 के ऊपर वर्णित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम 3 में दर्शाये गए व्यक्तियों/वर्गो (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हूं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

11. भर्ती के लिए प्रवेश :–

i) सभी उम्मीदवारों को, जो आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि बंद होने तक इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं और अनंतिम तौर पर पात्र है, रोल नम्बर आबंटित किए जाएंगे, जो उन्हें पीएसटी/पीईटी के लिए बुलाने के समय सूचित किया जाएगा।

ii) पीएसटी/पीईटी और दस्तावेजों की जांच, लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा और विस्तृत चिकित्सा जांच के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र वेबसाइट www.crpfindia.com पर उपलब्ध होंगे से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त कागजात केवल उपर्युक्त साइट से ही प्राप्त करें किसी अन्य वेबसाइट से अन्य लिंक उपलब्ध नहीं होगा।

iii) उम्मीदवार को के.रि.पु.बल. को कोई भी पत्र भेजते समय अपने रोल नम्बर, नाम, जन्मतिथि और परीक्षा केन्द्र का नाम उल्लेख करना चाहिए, इन विवरणों के बगैर उम्मीदवार के किसी भी पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

iv) वेबसाइट से पीएसटी/पीईटी और दस्तावेजों की जांच, लिखित परीक्षा आदि के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थता के मामले में उम्मीदवारों को पीएसटी/पीईटी और दस्तावेजों की जांच/लिखित परीक्षा/ट्रेड परीक्षा अथवा चिकित्सा जांच से कम से कम एक सप्ताह पहले संबंधित भर्ती केन्द्रों से संपर्क करनी चाहिए। पीएसटी/पीईटी, दस्तावेजों की जांच, लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा और चिकित्सा जांच के लिए अनंतिम कार्यक्रम के साथ में पीएसटी/पीईटी, दस्तावेजों की जांच, लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा और चिकित्सा जांच के लिए प्रवेश–पत्र प्राप्त न होने के मामले में संपर्क किए जाने वाले संपर्क अधिकारियों का विवरण के.रि.पु.ब. की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे।

v) संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के लिए प्राथमिक वेबसाइट www.crpfindia.com है। हालांकि, पीएसटी/पीईटी दस्तावेजों की जांच, ट्रेड परीक्षा और चिकित्सा जांच का विस्तृत कार्यक्रम केरिपुब की दोनो वेबसाइटों (www.crpf.nic.com और www.crpfindia.com) पर उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा, साथ में केंद्रवार उम्मीदवारों का प्रत्येक दिन के लिए रोल नम्बर ब्लॉक और दस्तावेजों की जांच, पीएसटी/पीईटी, ट्रेड परीक्षा और चिकित्सा जांच से कम से कम एक सप्ताह पहले के.रि.पु.बल की वेबसाइट www.crpfindia.com) पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

टिप्पणी :– उम्मीदवारों को पीएसटी/पीईटी और दस्तावेजों की जांच केंद्रों, लिखित परीक्षा केंद्र और ट्रेड परीक्षा और चिकित्सा जांच/रिव्यू चिकित्सा जांच के स्थल पर कम से कम एक नवीनतम फोटोयुक्त पहचान का सबूत जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/कालेज से जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड मूल रूप में साथ लेकर आना चाहिए अन्यथा उन्हें किसी भी स्थिति में परीक्षा/भर्ती में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. परीक्षा केंद्र :–

भर्ती परीक्षाएं निम्नलिखित 6 केंद्रों पर की जाएंगी। उम्मीदवार अपनी सुविधानुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए किसी एक भर्ती केन्द्र का चयन कर सकते हैं। उम्मीदवारों ने जिस केंद्र का चयन किए हैं उसी केंद्र पर उनकी भर्ती जांचें की जाएंगी। भर्ती केद्र को बदली करने के किसी अनुरोध पर किसी भी अवस्था में विचार नहीं किया जाएगा :–

क्र0सं0	परीक्षा केन्द्र का नाम	कोड
1.	कमांडेंट	501

	प्रथम सिगनल बटालियन, केरिपुबल, झडौंदा कलां, नई दिल्ली–110072 दूरभाष – 011–25315852 ई–मेल :–co1sig@crpf.gov.in	
2.	कमांडेंट 2 सिगनल बटालियन, डाकघर केशेगिरी, हैदराबाद (तेलांगाना)–500005 दूरभाष – 040–29804242 ई–मेल :–co2sig@crpf.gov.in	502
3.	कमांडेंट, 4 सिगनल बटालियन, केरिपुबल, नीमच (म0प्र0)–458445 दूरभाष – 074–23223228 ई–मेल :–co4sig@crpf.gov.in	503
4.	कमांडेंट, 5 सिगनल बटालियन, केरिपुबल, हैलोमाजरा, रामदरबार, चण्डीगढ़–110002 (यू0टी0) दूरभाष – 0172.–2637727 ई–मेल :–co5sig@crpf.gov.in	504
5.	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र, केरिपुबल, सेम्बु, धुर्वा, पीएस–नागरी, रांची (झारखण्ड)–834004 दूरभाष :– 08986606984 ई–मेल :– gcrancrpf@gmail.com	505
6	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र, केरिपुबल, पोस्ट–दीमापुर, खटखटी (आसाम)–797112 नियंत्रण कक्ष दूरभाष :– 03675–249056 ई–मेल :– gckkt@crpf.gov.in	506

टिप्पणी :–**I** लिखित परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि केंद्र का चयन ध्यानपूर्वक करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र में नियत स्थान पर सही ढंग से दर्शाएं।

टिप्पणी :–**II** केरिपुबल के पास किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के उम्मीदवारों को किसी अन्य केन्द्र पर शामिल होने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित है।

13. भर्ती/चयन प्रक्रिया

क्र0 सं0	पद/रैंक	भर्ती चरण
1	उप निरीक्षक (ओवरसियर)	i) पीएसटी/पीइटी तथा दस्तावेजों की जाचं। ii) लिखित परीक्षा। iii) चिकित्सा जांच।

		iv) मेरिट सूची तैयार करना।
2.	सहायक उप निरीक्षक (ड्राफ्ट्समैन)	i) पीएसटी/पीइटी तथा दस्तावेजों की जांच। ii) लिखित परीक्षा। iii) चिकित्सा जांच। iv) मेरिट सूची का आहरण।
3.	सिपाही (पायनियर)	i) पीएसटी/पीइटी तथा दस्तावेजों की जांच। ii) लिखित परीक्षा। iii) ट्रैड परीक्षा। iv) चिकित्सा जांच। v) मेरिट सूची तैयार करना।

1. शारीरिक मानदंड परीक्षा (परीक्षा)/शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) एवं दस्तावेजों की जांच

उम्मीदवारों को इस विज्ञापन सूचना के पैरा–5 एवं 6 में उल्लखित पीएसटी/पीईटी परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

2. लिखित परीक्षा– 30/07/2017 (रविवार)

लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित और अंतिम है, लेकिन अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से तिथि में बदलाव किया जा सकता है। परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा संचालन के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए नियमति तौर पर www.crpfindia.com और www.crpf.nic.com देखते रहे। प्रवेश पत्र को तदनुसार अपलोड किया जाएगा।

3. ट्रेड परीक्षा (केवल सिपाही/पायनियर के पद के लिए) पास होना आवश्यक है।

4. चिकित्सा जांच एवं रिव्यू चिकित्सा जांच।

5. चयन विधि/अंतिम मेरिट सूची तैयार करना।

टिप्पणी–1 यह भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक आयोजन के लिए अनंतिम क्रार्य्क्रम है।

टिपणी–2 चरणबद्ध भर्ती प्रक्रिया का अनंतिम क्रार्य्क्रम के.रि.पु.बल की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वास्तविक कार्यक्रम की जानकारी के लिए सीधे वेबसाइट (www.crpfindia.com) और (www.crpf.nic. com) देखें।

14. चयन की विधि

भर्ती के लिए आवेदन कर रहे और प्रथम दृष्टया पात्र सभी उम्मीदवारों को शारीरिक मानदंड परीक्षा (परीक्षा)/शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) एवं दस्तावेजों की जांच में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। पीएसटी/पीईट और दस्तावेजों की जांच से पहले उनकी पात्रता की विस्तृत जांच नही की जाएगी। अतः पीएसटी/पीईट और दस्तावेजों की जांच के लिए उपस्थित होने से पूर्व यथा निर्घारित अपनी पात्रता की जांच करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी।

1 शारीरिक मानदंड परीक्षा (परीक्षा)/शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) एवं दस्तावेजों की जांच

शारीरिक दक्षता परीक्षा को निर्बाध, पारदर्शी, सटीक एवं मानव त्रुटि को न्यूनतम किया जाना सुनिश्चित करने के लिए बल अपने विवेकानुसार पर्याप्त उपायों एवं आधुनिक तरीको को अपनाएगा।

क) पीईटी

हाईट बार एवं 1.6 कि.मी. की दौड़ (अर्हता प्राप्त करना)

विभिन्न पदों के लिए पीईटी निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा :–

उप निरीक्षक (ओवरसियर):

उम्मीदवारों को लम्बाई की जांच में शामिल होने के लिए कहा जाएगा और इस जांच में असफल उम्मीदवारों को निकाल दिया जाएगा तथा भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा निकालने के कारण की जानकारी वाली अस्वीकृत करने की पर्ची दी जाएगी। वे उम्मीदवार जो 1.6 (1 मील) की दौड़ 9 मिनट में पूर्ण करते है उन्हें सफल माना जाएगा।

सहायक उप निरीक्षक / ड्राफ्ट्समैन

लम्बाई में अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को निम्नलिखित पीईटी जांच परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी :–

1.6 कि.मी. दौड़ 6 मिनट 30 सेकेन्ड में।

100 मीटर दौड़ 16 सेकेन्ड में।

लम्बी कूद : 3.65 मीटर 3 अवसरों में।

ऊंची कूद : 1.2 मीटर 3 अवसरों में।

शॉट–पुट (16 एलबीएस) : 4.5 मीटर 3 अवसरों में।

प्रत्येक स्पर्धा अनिवार्य है। किसी भी चरण में असफल घोषित किए जाने पर उसे भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा तथा निकालने के कारण की जानकारी वाली अस्वीकृत करने की पर्ची दी जाएगी।

सिपाही / पायनियर (राजमिस्त्री, पलम्बर, इलक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं पेंटर)

उम्मीदवारों को लम्बाई की जांच में शामिल होने के लिए कहा जाएगा और इस जांच में असफल उम्मीदवारों को निकाल दिया जाएगा तथा भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा निकालने के कारण की जानवारी वाली अस्वीकृत करने की पर्ची दी जाएगी। वे उम्मीदवार जो 1.6 (1 मील) की दौड 9 मिनट में पूर्ण करते है उन्हें सफल माना जाएगा।

टिप्पणी :–1 यह जांच केवल अर्हता प्राप्त करने के लिए है। जो उम्मीदवार दौड़ में अर्हता प्राप्त नहीं करता है उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत पर्ची में कारण उल्लेखित कर भर्ती प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा।

2. भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीईटी का आयोजन नहीं किया जाएगा जैसा कि उपर्युक्त में वर्णित है।

3. सुचारू, पारदर्शी, सही और न्यूनतम मानवीय चूक सुनिश्चित करने के लिए बल पर्याप्त कदम उठा सकती है और पीईटी परीक्षा का संचालन करने तथा पीएसटी विवरण की सगंणना के लिए आधुनिक माध्यमों का इस्तेमाल कर सकती है।

ख) शारीरिक मानदंड जांच

(i) जो उम्मीदवार लम्बाई बार / पीईटी की जांच में सफल हो जाते हैं उनकी लम्बाई, छाती और वजन की जांच अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा किया जायगा। जो उम्मीदवार आवश्यक शारीरिक

मानदंड और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया पूरी करते हैं उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। जो उम्मीदवार निर्धारित शारीरिक मानदंड को पूर्ण नहीं करते है उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत पर्ची में कारण उल्लिखित कर के भर्ती प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा। हालांकि वजन के आधार पर निकालने की प्रक्रिया केवल चिकित्सा जांच के समय किया जाएगा। सभी विज्ञापित पदों के लिए शारीरिक मानदंड पहले ही विज्ञापन सूचना के पैरा–5 में विस्तार से दिए गए हैं।

(ii) भर्ती प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई उम्मीदवार अपने शारीरिक मानदंड से संतुष्ट नहीं है तो वह उसी दिन पीठासीन अधिकारी भर्ती बोर्ड के समक्ष शारीरिक मानदंड में अस्वीकृति के विरूद्व अपील कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों का उसी दिन दोबारा माप लिया जाएगा अथवा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुनः माप के तिथि के लिए पीठासीन अधिकारी भर्ती बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यदि उम्मीदवार निर्धारित मानदंड को पूरा करता है तो उसी क्रम में अगली चयन प्रक्रिया के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

टिप्पणी :– 1 लंबाई और छाती में छूट (जैसी भी स्थिति हो) ऊपर उल्लेखित केवल पीएसटी/पीईटी एवं दस्तावेजों की जांच के समय जहां वह निवास करता है, के जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक–VI में प्रस्तुत करने पर ही अनुमन्य होगी।

2. जो उम्मीदवार लम्बाई बार एवं पीईटी (दौड़) के मापदंडो में योग्य पाए जाते हैं उनकी लम्बाई, छाती और वजन का माप बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

(iii) निम्नलिखित अधिकारी को पीएसटी/पीईटी के समय दिये गये विवरण के अनुसार संबंधित परीक्षा केन्द्र का अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है :–

क्र0सं0	केंद्र का नाम	केंद्र का पता
1.	कमांडेंट प्रथम बेतार वाहिनी, केरिपुबल, झडौंदा कला, नई दिल्ली पिन कोड–110072 दूरभाष – 011–25315852 ई–मेल :–co1sig@crpf.gov.in	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र, केरिपुबल, झडौंदा कला, नई दिल्ली पिन कोड–110072
2.	कमांडेंट द्वितीय बेतार वाहिनी, केरिपुबल, पोस्ट–केशोगिरी, हैदराबाद (तेलंगाना) पिन – 500005 दूरभाष – 040–29804242 ई–मेल :–co2sig@crpf.gov.in	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र, केरिपुबल, चंद्रायनगुट्टा, केशोगिरी, हैदराबाद, आं0प्र0 पिन – 500005
3.	कमांडेंट चतुर्थ बेतार वाहिनी, केरिपुबल, नीमच (म0प्र0) पिन कोड – 458445 दूरभाष – 074–23223228 ई–मेल :–co4sig@crpf.gov.in	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र, केरिपुबल, नीमच (म0प्र0) पिन कोड – 458445
4.	कमांडेंट	पुलिस उप महानिरीक्षक,

क्र0सं0	केंद्र का नाम	केंद्र का पता
	पंचम बेतार वाहिनी, केरिपुबल, झडौंदा कला, नई दिल्ली पिन कोड – 110072 दूरभाष – 0172.–2637727 ई–मेल :–co5sig@crpf.gov.in	रेंज मुख्यालय, केरिपुबल, हैलोमाजरा, चण्डीगढ़ (यू0टी0) पिन – 160002
5.	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र, केरिपुबल, सेम्बो, धुर्वा, पीएस–नागरी, रांची (झारखण्ड) पिन – 834004 दूरभाष :– 08986606984 ई–मेल :–gcrancrpf@crpf.gmail.com	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र, केरिपुबल, सेम्बो, धुर्वा, पीएस–नागरी, रांची (झारखण्ड) पिन – 834004
6.	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र, केरिपुबल, पोस्ट–दीमापुर, खटखटी (आसाम) पिन कोड – 797112 दूरभाष – 03675–249056 ई–मेल :–gckkt@crpf.gov.in	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र, केरिपुबल, पोस्ट–दीमापुर, खटखटी (आसाम) पिन कोड – 797112

ग) दस्तावेजों की जांच :–

पीएसटी/पीईटी में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उन्हें भर्ती प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा और किसी भी उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अनुमति नहीं दी जाएगीं।

(i) शिक्षा प्रमाणपत्र।

(ii) जन्मतिथि का प्रमाणपत्र (मैट्रिकुलेशन अथवा 10 वीं पास का प्रमाणपत्र)।

(iii) अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 प्रमाणपत्र, यदि लागू हो, तो क्रमशः अनुलग्नक– IV और V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। हालांकि जाति प्रमाणपत्र पैरा– 3 (xxii) में वर्णित तरीके से तैयार निर्धारित प्रमाणपत्र ही स्वीकार किए जाएंगे।

(iv) जो उम्मीदवार भर्ती के लिए अनु.जाति/अनु. जनजाति श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करता है तथा पीएसटी के समय किसी भी प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो गलत सूचना एवं अनुचित लाभ के कारणों से उसकी उम्मीदवारी सीधे तौर पर रद्द कर दी जाएगी।

(v) अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवार अगर वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल होते है तो उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जायगा।

(vi) सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा मिजोरम मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन) से संबंधित गढ़वालियों, कुमाउनी, डोगरा, मराठी उममीदवार लम्बाई और छाती में छूट प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता है तो उसे अनुलग्नक– VI में दिए गए प्रपत्र में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(vii) उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के समय उनके संबंधित ट्रेड अर्थात राजमिस्त्री, बढ़ई, पेंटिंग, प्लम्बिंग और अथवा इलक्ट्रीशियन का एक वर्ष का अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(viii) भूतपूर्व सैनिक मामले में डिस्चार्ज प्रमाणपत्र।

(ix) सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारी के लिए उनके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र।

(x) उम्मीदवारों के हाल के चार पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।

(xi) मूल प्रमाणपत्र के अतिरिक्त, उम्मीदवार शैक्षणिक, जाति, टैक्निकल/ट्रेड और अनुभव प्रमाणपत्र आदि की जीरोक्स/फोटो कॉपी भी साथ में लाएं।

टिप्पणी :– 1 उम्मीदवारों को कम से कम एक नवीनतम फोटो लगा हुआ पहचान पत्र जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर, पैन कार्ड मूल रूप में लाना होगा।

2. उम्मीदवारों की पहचान पीएसटी/पीईटी एवं दस्तावेजों की जांच के समय अधिकारियों के बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र से की जाएगी। उनकी योग्यता का सत्यापन करने के लिए पीएसटी/पीईटी चरण में बायोमेट्रिक डाटा भी लगाए जाएंगे।

2. <u>लिखित परीक्षा</u>

(क) <u>प्रक्रिया</u>

पीएसटी/पीईटी एवं दस्तावेजों की जांच में सफल रहने वाले उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए पीएसटी/पीईटी एवं दस्तावेजों की जांच के दिन लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। जो उम्मीदवार पीएसटी/पीईटी एवं दस्तावेजों की जांच में उत्तीर्ण होते हैं उनका प्रवेश–पत्र लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए दिनांक एवं स्थान सहित वेबसाइट www.crpfindia.com में अपलोड किए जाएंगे। योग्य उम्मीदवार वेबसाइट www.crpfindia.com से अपना बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र से डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा निम्नानुसार होगी :–

(क) लिखित नामित परीक्षा केंद्रों पर ओएमआर आधार पर आयोजित की जाएगी।

(ख) विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा निम्नलिखित तरीके से आयोजित की जाएगी :–

i) <u>उप निरीक्षक (ओवरसियर)</u>

एक पत्र तीन भागों में कुल 100 अंकों का निम्नलिखित विवरणानुसार होगा :–

भाग **I** व्यावसायिक ज्ञान (सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम से संबंधित)
50 अंको का (प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक)

भाग **II** सामान्य जागरूकता (सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता से संबंधित)
25 अंकों का (प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक)

भाग **III** भौतिक विज्ञान/गणित/रसायन शास्त्र (12 वीं स्तर के अनुसार)

25 अंकों का (प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक)

(लिखित परीक्षा बहुविकल्प आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रश्न–पत्र 2 घंटे अवधि का हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होंगे। उत्तर केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिए जाएं।)

II) <u>सहायक उप निरीक्षक (ड्राफ्ट्समैन)</u>

एक प्रश्न पत्र दो भागों में होगा जिसके कुल 100 अंक निम्नानुसार होंगे :–

भाग **I** 60 अंकों का (गणित –15, विज्ञान–15, अंग्रेजी 10वी स्तर का–15, सामान्य ज्ञान और जागरूकता–15, कुल–60 अंक)

60 अंकों को (प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक)

भाग .**II** व्यावसायिक ज्ञान

40 अंको (प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक)

ड्राफ्टसमेन के काम से संबंधित प्रश्न–पत्र।

(लिखित परीक्षा बहुविकल्प आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रश्न–पत्र 2 घंटे अवधि का हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होंगा। उत्तर केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिए जाएंगे।)

III) सिपाही/पायनियर

एक प्रश्न–पत्र दो भागों में होगा जिसके कुल 100 अंक निम्नानुसार होंगे :–

भाग **I** 40 अंकों का (प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक)

सामान्य जागरूकता/ज्ञान, प्रारंभिक गणित का ज्ञान, विश्लेषणात्मक अभिरूचि, पैटर्न को जांचने और अंतर करने की योग्यता, अंगेजी/हिंदी का बुनियादी ज्ञान।

भाग **II** 60 अंक का (प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक)

संबंधित ट्रेड में उम्मीदवार के ज्ञान का आंकलन करने के लिए प्रत्येक ट्रेड के लिए अलग–अलग प्रश्न होंगे। किसी एक ट्रेड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को केवल उसी ट्रेड का प्रश्न–पत्र दिया जाएगा।

*****सिपाही/पायनियर (अर्थात राजमिस्त्री, पलम्बर, इलैक्ट्रिसियन, बढई और पेंटर) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को केवल संबंधित ट्रेड का ही प्रश्न–पत्र अलग से दिया जाएगा।

टिप्पणी–1 : लिखित परीक्षा सभी परीक्षा केन्द्रों में एक ही दिन और समय में आयोजित की जाएगी।

टिप्पणी–2 : अंतिम मेरिट सूची उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी जो कि संबंधित पदों जैसा ऊपर दर्शाया गया है के लिए लागू होगी।

ग) लिखित परीक्षा के लिए कट–ऑफ अंक निम्नानुसार होंगे :–

i) उप निरीक्षक (ओवरसियर)

क) सामान्य/भूतपूर्व सैनिक : प्रत्येक प्रश्न पत्र में 45 प्रतिशत अंक।

ख) अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 उम्मीदवार : प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 प्रतिशत अंक।

ii) सहायक उप निरीक्षक (ड्राफ्ट्समैन)

क) सामान्य/भूतपूर्व सैनिक : प्रत्येक प्रश्न पत्र में 45 प्रतिशत अंक।

ख) अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 उम्मीदवार : प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 प्रतिशत अंक।

iii) सिपाही/पायनियर (राजमिस्त्री, पलंबर, इलक्ट्रीशियन, बढई और पेंटर)

क) सामान्य : प्रत्येक प्रश्न पत्र में 35 प्रतिशत अंक।

ख) अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 : प्रत्येक प्रश्न पत्र में 33 प्रतिशत अंक।

घ) प्रश्न–पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। तदनुसार इन दोनो में किसी एक भाषा में उत्तर दिए जाएं।

च) प्रश्न–पत्र भाग–1 एवं 2 में उत्तर के लिए नीला/काला बाल पेन का प्रयोग करें।

छ) लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी।

ज) लिखित परीक्षा के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अथवा लिखित परीक्षा का फिर से आयोजन के लिए किसी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

झ) उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए अपने साथ क्लिप बोर्ड और नीला/काला बाल पेन लानी चाहिए।

ट) उम्मीदवारों को मोबाइल फोन, कैलकुलेटर अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक/इलीक्ट्रिकल उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवार को परीक्षा हॉल के अंदर इन उपकरणों को नहीं ले जाए। इन उपकरणों के साथ में होने पर चाहे प्रयोग करे या नहीं, परीक्षा में ''अनुचित तरीकों का प्रयोग' समाझा जाएगा और इस तरह के उम्मीदवार के विरूद्व उचित कार्रवाई की जाएगी।

ख) <u>लिखित परीक्षा के लिए अनुदेश</u>

1) लिखित परीक्षा के प्रश्न–पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे और उम्मीदवार को हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में अपना उत्तर देने को विकल्प रहेगा। उम्मीदवार को उसके द्वारा चुने गए भाषा के विकल्प का कोड अर्थात हिंदी या अंग्रेजी ओएमआर उत्तर पुस्तिका में उपयुक्त स्थान पर दर्शाई जाएगी अन्यथा उसकी ओएमआर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हिंदी/अंग्रेजी में दें लेकिन वे उत्तर आंशिक रूप से हिंदी और आंशिक रूप अंग्रेजी या विलोमतः नहीं दे सकते हैं।

2) प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करायी गई ओएमआर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं।

3) उम्मीदवार को अपने प्रश्न–पत्र पुस्तिका और ओएमआर पुस्तिका दोनों में अपना रोल नंबर लिखना होगा।

4) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इनके अंक समान हैं।

5) प्रत्येक प्रश्न–पत्र पुस्तिका का एक अलग श्रंखला संख्या और श्रंखला कोड होगा। उम्मीदवारों को अपने ओएमआर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न–पत्र पुस्तिका की श्रंखला संख्या और श्रंखला कोड सही अंकित करनी होगी और इसी प्रकार प्रश्न–पत्र पुस्तिका में ओएमआर उत्तर पुस्तिका की संख्या और कोड अंकित की जाएगी।

6) जिन ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं पर उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर, भाषा का विकल्प कोड, श्रेणी, प्रश्न पुस्तिका श्रंखला, श्रंखला कोड, हस्ताक्षर, बाये अंगूठे का निशान आदि इनके लिए नियम उपयुक्त कॉलमों/बॉक्सों में नहीं लिखे/भरे होंगे उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उन्हें ''शून्य'' अंक प्रदान किए जाएंगे।

7) प्रत्येक प्रश्न के बाद उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। उम्मीदवार को इनमें से प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर का चयन कररके केवल एक विकल्प को गहरा करके अपना सही उत्तर देना होगा।

8) यदि एक से अधिक ओवल भरे गए हैं तो उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

9) उम्मीदवार को ओवल को पूरी तरह भरने से पहले अच्छी तरह सोचना और स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए।

10) उम्मरीदवारों को परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले अपने ओएमआर उत्तर पुस्तिकाएं और प्रश्न–पत्र पुस्तिकाएं इनविजिलेटर को सौप देने चाहिए, ऐसा नहीं करने पर उन्हे अयोग्य (डिस्कवालिफाई) किया जा सकता है।

11) रफ कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा जाए। उम्मीदवारों को उस स्थान पर केवल वहीं काम करना चाहिए और इसके लिए कोई अन्य स्थान या कागज आदि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

12) उम्मीदवारों का उत्तर पुस्तिका की कॉर्बन कॉपी लेने की अनुमति होगी। लिखित परीक्षा के कुछ दिनों के बाद उत्तरों की कुंजी वेबसाइट www.crpfindia.com पर अपलोड की दी जाएगी। हालांकि भर्ती केन्द्रों पर भी नोटिस बोर्ड में उत्तरों की कुंजी प्रदर्शित की जाएगी।

13) उम्मीदवार को अपनी उत्तर पुस्तिका में पूछी गई विशिष्ट जानकारी के अतिरिक्त कोई असंगत बात नहीं लिखनी चाहिए। यदि वह ऐसा करता/करती है तो उसकी उत्तर पुस्तिका अवैध कर जाएगी और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

14) परीक्षा केंद्र के अन्दर कैलकुलेटर/सैल फोन/कोई अन्य संगणक/इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लाने की अनुमति नहीं है।

15) यदि परीक्षा हॉल में किसी उम्मीदवार के पास मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों/वायरलैस संचार यंत्र पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

16) नकल करते हुए या दूसरो की सहायता करते हुए या अनुचित तरीको का इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर उम्मीदवार को सीधे अयोग्य (डिस्कवालिफाई) कर दिया जाएगा और इसकी अन्युक्ति दर्ज कर दी जाएगी।

17) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत होगा और किसी भी अवस्था में इनके पुनः मूल्यांकन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

18) उम्मीदवारों को ओएमआर उत्तर पुस्तिका और प्रश्न–पत्र पुस्तिका के कॉलम ठीक से भरने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा।

3. <u>केवल सिपाही/पायनियर (अर्थात सिपाही/राजमिस्त्री/पलम्बर/इलेक्ट्रिशियन/बढ़ई/पेंटर) के पद के लिए ट्रेड परीक्षा</u> :–

क) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए सभी उम्मीदवारों को ट्रेड परीक्षा में शामिल किया जाएगा। लिखित परीक्षा का परिणाम वेबसाइट www.crpfindia.com तथा www.crpf.nic.in मे डाउनलोड किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार ट्रेड परीक्षा के लिए अपने बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र वेबसाइट www.crpfindia.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित परीक्षा का परिणाम और ट्रेड परीक्षा की तिथि/स्थान भी लिखित परीक्षा के केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी और केरिपुबल की वेबसाइट (www.crpfindia.com तथा www.crpf.nic.in) में डाउनलोड किया जाएगा।

ख) ट्रेड परीक्षा एवं व्यावहारिक आकलन विवरणात्मक और वस्तुनिष्ठ के रूप में दो भागों में किया जाएगा अर्थात व्यावहारिक आंकलन और लिखित ट्रेड कौशल जो कि अर्हक प्रकृति के होंगे। उम्मीदवार को पास होने के लिए व्यावहारिक ट्रेड परीक्षा में 50 अंको में से 20 अंक अवश्य प्राप्त करने होंगे। इसका विवरण इस प्रकार है :–

क्रमांक	टाईप ऑफ टेस्ट	गतिविधि विवरण	अधिकतम अंक
01	भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय	3 माह से अवधि के पाठ्यक्रम प्रमाण–पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को पूर्ण अंक दिये	05

	कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) द्वारा किये गये ऐंकर के अनुपालन में एनएसक्युएफ (राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क) बनाए जाने वाले प्रशिक्षण/शिक्षा कार्यक्रम/पाठ्यक्रम	जाएंगें। फिर भी सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार संबंधित संस्थानों द्वारा प्रमाण–पत्र की प्रमाणिकता सत्यापित की जाएगी।	
	डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र (पाठ्यक्रम एवं अनुभव)	किसी विनिर्दिष्ट अवधि के साथ अथवा बगैर डिप्लोमा अथवा प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम, अथवा अन्य कौशल पाठ्यक्रम अथवा संबंधित ट्रेड का अनुभव प्रमाण–पत्र, यदि कोई जारी किया गया है, भले ही कोई भी एजेंसी/संस्थान हो।	
02	ट्रेड परीक्षा	संबंधित ट्रेड का मौखिक मुल्यांकन	05
		व्यवहारिक मुल्यांकन	35
03	लिखित परीक्षा	100 शब्दों में सबंधित ट्रेड का विषयागत मूल्यांकन (कुल समय 20 मिनट)	05
	कुल (1+2+3)	कुल अंक	50

टिप्पणी 1 भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के तहत (तीन माह और इससे अधिक अवधि) का प्रमाणपत्र धारक उम्मीदवार।

अथवा

मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एजेंसी से ट्रेड का प्रमाणपत्र।

संबंधित ट्रेड का मौखिक मूल्यांकन के समय ट्रेड का प्रमाणपत्र होने पर उम्मीदवार को ट्रेड परीक्षा में अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएंगे। हालांकि सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता को संबंधित संस्थान से सत्यापित करवाया जाएगा।

टिप्पणी 2 अन्य डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र कोर्स अथवा कोई अवधि अथवा बिना विर्निदिष्ट अवधि का संबंधित ट्रेड का अन्य कौशल कोर्स या संबंधित ट्रेड का अनुभव प्रमाणपत्र धारक उम्मीदवार के द्वारा यदि प्रस्तुत किया जाता है, इसको जारी करने वाली स्रोत संस्था/एजेंसी को ध्यान में रखे बिना केवल वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

टिप्पणी 3 प्रंक्रिया के अनुसार ट्रेड परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। मौखिक, व्यवहारिक एवं अनुभव के भाग का मूल्यांकन किया जाएगा तथा ऐसे मूल्यांकन के दौरान इसके समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं किए जाने वाले प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। उम्मीदवार एनएसक्यूएफ/आईटीआई के फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। यदि सत्यापन के दौरान यह फर्जी पाया जाता है तो उनके विरूद्ध बल में निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।

ट्रेड परीक्षा के दौरान उम्मीदवार से संबंधित ट्रेड जिसके लिए उसने आवेदन किया है उससे जुड़ी हुई कोई गतिविधि को करने के लिए उससे कहा जाएगा। प्रत्येक ट्रेड के लिए निम्नलिखित मापदंड है :–

i)	राजमिस्त्री	राजमिस्त्री कार्य का ज्ञान, उपकरणों का चलाने का अनुभव, सिमेंट को

		मिलाना, विशिष्ट निर्माण के लिए दिवाल/पिल्लर क्षेत्रफल की गणना करना,
ii)	पलम्बर	पलम्बरिंग कार्य का ज्ञान, उपकरणों का चलाना, भवनों की ऊंचाई के अनुसार पानी का दबाव, जीआई और पीवीसी पाइप का प्रयोग, कोने में पाइप को फिटिंग करना, पाइप एवं नल को लगाना।
iii)	इलेक्ट्रीशियन	इलेक्ट्रिक कार्य का ज्ञान, एमसीबी की फिटिंग, प्लग/बल्बस/टयूबलाईट/ हॉल्डर की फिटिंग, 11000 वोल्टस और 440 वोल्टस की आपूर्ति, अर्थ पैनल की तैयार करना, जेनरेटर सेट की फिटिंग, ताम्बे और एल्यूमिनियम के तार का उपयोग करना।
iv)	बढ़ई	औजारों का इस्तेमाल करना, लकड़ी की कटाई, सामान की पॉलिसिंग और फिनिसिंग, दरवाजों और खिडकियों/खिडकियों पर ग्लास पैनल की फिक्सिंग की फिटिंग करने का ज्ञान, लकड़ी के बक्से/रैक बनाने की योग्यता और लकड़ी ट्रस बनाना।
v)	पेंटर	रंगों, पेंटस, शेड्स की ज्ञान, साइन बोर्ड की पेंटिग, मोटर परिवहन आदि के स्प्रे पेंटिग की डाईंग/पेटिंग का ज्ञान, विभिन्न रंगों /डिसटेम्परिंग को मिला कर पेंटिंग का ज्ञान, बैनर एवं बोर्ड के अक्षरों को स्पष्ट लिखने की योग्यता, लकडी को पेंट करना और सीजीआई शीट की पेंटिग करने की योग्यता।

4. चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेजों की जांच :–

1) के0रि0पु0बल द्वारा प्रत्येक पद/ट्रेड के लिए लिखित परीक्षा में निर्धारित किए गए कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही चिकित्सा परीक्षा में शामिल होना होगा। उपलब्ध रिक्तियों को मद्देनजर रखते हुए विभाग को विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए अलग–अलग अर्हक मापदंड निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा।

2) रिक्तियों की संख्या तथा पिछले चिकित्सा परीक्षा में औसतन असफल होने वाले अथवा पिछले अनुभवों के आधार पर चिकित्सा परीक्षा में असफल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या की दर के अनुसार विभाग के अपने विवेकानुसार उतनी संख्याा में उम्मीदवारों की संख्या को और बढ़ाकर लिखित/ट्रेड परीक्षा, जैसी भी स्थिति हो, में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच की जाएगी। लिखित परीक्षा/ट्रेड टेस्ट में सफल हुए और विस्तृत चिकित्सा जांच के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों का विवरण/सूची वेबसाइट अर्थात www.crpfindia.com पर अपलोड की जाएगी। विस्तृत चिकित्सा जांच में सफल होने वाले उम्मीदवार अपने बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र उक्त वेबसाइट अर्थात www.crpfindia.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा जांच के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की सूची तथा चिकित्सा जांच होने की तिथि तथा स्थान संबंधित भर्ती केन्द्रों पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे और ट्रेड टैस्ट पूरी होने की तिथि से एक उचित समयावधि के बाद के0रि0पु0बल की वेबसाइट (www.crpf.nic.com एवं www.crpfindia.com) पर उपलब्ध रहेगी।

3) सभी उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा (सीधी भर्ती तथा भूतपूर्व सैनिक) विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के अधीन होगी। इस संदर्भ में निम्नांकित को भी इसके साथ सुनिश्चित किया जाएगा :–

(क) चिकित्सा जांच (एक्स–रे एवं प्रयोगशाला जांच) सभी उम्मीदवारों की जाएगी जो प्रारंभिक या विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में शामिल होंगे। चिकित्सा परीक्षा के संचालन के समय चिकित्सा परीक्षा में प्रपत्र में निर्धारित क्रम के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा उम्मीदवार की चिकित्सा जांच की जाएगी।

(ख) उम्मीदवार को स्वस्थ या अस्वस्थ के रूप में घोषित किया जाएगा। कोई अस्थायी अस्वस्थता मान्य नहीं होगी।

(ग) यदि किसी उम्मीदवार को चिकित्सा जांच में ''अयोग्य/अनफिट'' घोषित कर दिया जाता है तो भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी से विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित अस्वीकृति/अनफिट के आधारों की सूचना (मेड फार्म–।।।) भर्ती चिकित्सक द्वारा उम्मीदवार को दी जाएगी। उम्मीदवार यदि चिकित्साधिकारी के निष्कर्षों से संतुष्ट नहीं है तो दिए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के प्रारूप में मेडिकल प्रेक्टिशनर से अपनी फिटनेस के सबूत और रिव्यू चिकित्सा परीक्षा शुल्क के साथ पुनरीक्षा (रिव्यू) चिकित्सा जांच के लिए उसको प्रदत्त चिकित्सा अनफिट/अयोग्यता की सूचना के 15 दिनों के अंदर अपील प्रस्तुत कर सकता है। कोई अस्थायी अस्वस्थता मान्य नहीं है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार अस्थायी अस्वस्थता मान्य नहीं है परंतु विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के दौरान केरिपुबल के चिकित्सा बोर्ड द्वारा ''निर्णय लेने में त्रुटि'' की संभावना के मद्देनजर अपील के प्रावाधान को स्वीकार/विचार किया जाता है। प्रारंभिक या विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय उम्मीदवार के रोगों एवं विकृतियों की चिकित्सा जांच उसे स्वस्थ/फिट या अस्वस्थ/अनफिट की घोषणा के लिए की जाएगी। रिव्यू चिकित्सा अपील को केवल ''निर्णय लेने में त्रुटि'' की संभावना के मद्देनजर की स्वीकार किया जाएगा। रिव्यू बोर्ड विशेषज्ञों सहित या इसके बिना ऐसे किसी ''निर्णय लेने में त्रुटि'' की संभावना अथवा विशेषज्ञों की राय लेने और/अथवा ऐसे किसी निष्कर्ष पर आने के लिए आवश्यक जांच करवाने हेतु विचार करेगा। विस्तृत चिकित्सा जांच के दौरान चिकित्साधिकारी के संज्ञान में आए रोग या विकृति को यदि कोई उम्मीदवार ऑपरेशन करवाकर/विकृति या रोग को हटवाकर/सुधरवाकर रिव्यू चिकित्सा जांच में आता है तो उस पर विचार/स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वीकार किए जाने की दशा में ऊपर दर्शाए गए सिद्धांतों के अनुसार रिव्यू चिकित्सा जांच की जाएगी।

(घ) शरीर के पारंपरिक हिस्से जैसे कि बांह के अंदर के हिस्से और वो भी सैल्यूट में प्रयोग नहीं होने वाले बाएं हाथ की बांह पर बने टैटू की अनुमति होगी। टैटू का आकार संबंधित अंग (कोहनी अथवा हाथ) के चौथाई हिस्से से कम होना चाहिए। टैटू को हटाने पर उम्मीदवार के शरीर के चर्म पर आए कटे के निशान को चोट पश्चात अथवा जलने के पश्चात आए निशान के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि वह शारीरिक प्रदर्शन एवं चलने–फिरने में वो बाधा न उत्पन्न करता हो।

(च) यह फिर से दुहराया जाता है कि नीचे दी गई रोगों और अपंगताओं के विवरणों के अनुसार उम्मीदवारों की चिकित्सीय जांच की जाएगी।

(छ) चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनफिट/अयोग्य घोषित किए जाने के 15 दिनों के भीतर उम्मीदवार अपनी अपील/प्रतिवेदन अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

15. <u>सामान्य</u>

(क) <u>भर्ती के लिए चिकित्सा दिशा–निर्देश</u>

चिकित्सा मानदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय संघ के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा की दृष्टि से फिट/स्वस्थ उम्मीदवारों को स्वीकार किया जाए।

1. किसी भी चरण में चिकित्सा जांच से गुजरने इन्कार करने अथवा इससे स्वंय को अनुपस्थित करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

2. चिकित्सा जांच के समय उम्मीदवार को उपलब्ध करवाए गए अनुलग्नक–।। में उसके रोगों का इतिहास या कोई रोग है तथा इसका कराया गया ईलाज, यदि कोई है, जोकि चिकित्सा जांच के समय तुरंत पता नहीं चलता है, उसकी घोषणा उम्मीदवार द्वारा किया जाएगा। यदि सेवा के दौरान

किसी भी समय दी गयी झठी सूचना का पता चलता है तो उसे सेवा से हटाए जाने के साथ उसके विरूद्ध अनुशानात्मक कार्रवाई की जाएगी।

3. चिकित्सा जांच के कुछ चरणों में पुरूष उम्मीदवारों की निर्वस्त्र जांच करना अपेक्षित होगा। जननांगों / मूत्रांगों तथा गुदा की जांच के समय को छोड़कर लंगोट/चड्ढी(कमर के नीचे कपड़ा) पहनने की अनुमति होगी।

4. वजन के बारे में योग्यता/अयोग्यता का अंतिम निर्णय चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा जांच परीक्षा के समय ही कद और आयु चार्ट के आधार पर शारीरिक माप–तौल बोर्ड द्वारा मापे गए कद एवं इस पर दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

5. <u>टैटू</u> :

शरीर के पारंपरिक हिस्से जैसे कि बांह के अंदर के हिस्से और वो भी सैल्यूट में प्रयोग नहीं होने वाले बाएं हाथ की बांह पर बने टैटू की अनुमति होगी। टैटू का आकार संबंधित अंग (कोहनी अथवा हाथ) के चौथाई हिस्से से कम होना चाहिए। टैटू को हटाने पर उम्मीदवार के शरीर के चर्म पर आए कटे के निशान को चोट पश्चात अथवा जलने के पश्चात आए निशान के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि वह शारीरिक प्रदर्शन एवं चलने–फिरने में वो बाधा न उत्पन्न करता हो। भर्ती के समय टैटू चिन्ह पर लागू अनुदेशों का ही अनुपालन किया जाएगा।

6. ऑपरेशन के बाद के मामलों के लिए फिटनेस अवधि– यदि किसी उम्मीदवार को निम्नलिखित के लिए ऑपरेशन किया गया है तो फिटनेस के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विचार किया जाएगा–

(क) शरीर में सूजन, डीएनएस, टांसिलेक्टामी एवं नेसल पालीपेक्टामी –01 माह

(ख) हाइड्रोसील – 03 माह

(ग) टाइमपेनोप्लास्टी – 04 माह

(घ) एब्डॉमनल/पेल्विक सर्जरी जिसमें पेरीटोनियम को खोलना भी शामिल है, हार्निया की मरम्मत, वेरीकोसील का आपरेशन, फिस्टुला–इन–एनो इत्याादि का आपरेशन – 06 माह

(च) चिकित्सा जांच के समय ही उपरोक्त अवधि पर विचार किया जाएगा चिकित्सा जांच की तिथि के बाद नहीं।

(छ) विस्तृत चिकित्सा जांच के दौरान पायी गयी अयोग्यता को दूर करने के लिए विस्तृत चिकित्सा जांच एवं पुनरीक्षा चिकित्सा जांच के बीच करवाए गए किसी भी ऑपरेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उसे ''अयोग्य'' करार दिया जाएगा।

7. उम्मीदवार के घुटनों का आपस में मिलना, सपाट तलवे, वेरीकोस नसें अथवा आंखें भैंगी न हों।

8. रक्तचाप परीक्षण (सामान्य रेंज सिस्टोलिक 100–140 एमएम ऑफ एचजी, डायस्टोलिक 60 से 90 एमएम ऑफ एचजी)

9. हीमोग्लोबिन : (सामान्य रेंज– 12–16 ग्राम प्रतिशत) हालांकि 18 ग्राम प्रतिशत से अधिक वाले उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा। 12 ग्राम प्रतिशत से नीचे के लिए उन्हें अयोग्य माना जाएगा।

(ख) <u>चिकित्सा के दौरान अस्वीकृत किए जाने के लिए आधार</u> :–

नीचे दिए गए किसी भी रोग/विकृति के होने पर उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा :–

1. किसी गंभीर बीमारी का संकेत जैसे कि तपेदिक, सिफिलिस अथवा विनिरियल रोग, रूमेटाइड/किसी भी प्रकार आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन इत्यादि।

2. ब्रोंकाइल अथवा लेरिंगल बीमारी जैसे कि अस्थमा, क्रोनिक टांसिलाइटिस एवं एडेनॉयडस आदि।
3. हृदय की वाल्व से संबंधित अथवा अन्य से संबंधित रोग।
4. सामान्यतया शरीर की असामान्य बनावट जिससे कि आगे प्रशिक्षण/ड्यूटी के दक्षतापूर्वक निर्वहन में बाधक हो।
5. अल्प मानक दृष्टि।
6. किसी भी प्रकार का भैंगापन।
7. ओटिटिस मीडिया(मध्यकर्णशोथ)।
8. बहरापन, किसी भी स्तर का बहरापन।
9. हकलाहट, जैसा कि बाद में विनिर्दिष्ट किया गया है।
10. दांतों की क्षति/सड़न जिसके परिणामस्वरूप दांतों की संख्या में कमी हो।
11. आधे अथवा पूरे कृत्रिम दांतों का लगा होना।
12. सीने में संकुचन/विकृति एवं जोड़ों में विकृति।
13. रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन (यह किस प्रकार का है, जैसे– किफोसिस, स्कालियोसिस, लॉर्डोसिस इत्यादि , को विनिर्दिष्ट किया जाना है)।
14. अपसामान्य चाल।
15. कानों में मैल।
16. विपथित नासिका झिल्ली (डेविएटिड नासल सेप्टम)।
17. अविकसित छाती।
18. बवासीर।
19. टांसलाइटिस।
20. अपसामान्य रक्तचाप।
21. कम वजन/अधिक वजन।
22. एंडोक्राइनल विकार।
23. मानसिक/तंत्रिका अस्थिरता।
24. दोषपूर्ण बुद्धिमत्ता।
25. किसी भी प्रकार की हार्निया।
26. गंभीर चर्म रोग जैसे विटिलिगो, लेप्रोसी, एसएलई, एक्जिमा, गहरा/व्यापक एवं पुरानी कवक त्वचाशोथ (फंगल डरमिटाइटिस) इत्यादि।
27. कोई भी जन्मजात अपसामान्यता न हो जिससे बाद में प्रशिक्षण/ड्यूटियों के कुशलतापूर्वक निर्वहन में कोई बाधा उत्पन्न हो।
28. गुदा में नासूर, बवासीर और अन्य आनुवांशिक बीमारियां न हो।
29. पैरों की विकृति, जैसे तलवे सपाट न हों, घुटने आपस में मिले न हों, चपटे पांव न हों इत्यादि।
30. मिर्गी रोगी न हो।
31. आंखों में भेंगापन न हो।
32. हाइड्रोसाइड/फिमोसिस।
33. क्यूबीट्स वार्स/वाल्गास
34. हाथों/पैरों में सामान्य से अधिक अंगुलियां न हों।
35. अविकसित अंडकोष, कृश अंडकोष, विशिष्ट वृषण–शिरापस्फीति, अंड ग्रन्थि में सूजन आदि न हो।
36. उभरी हुई नसें। उभरी हुई नसों के मामले में जिनका ऑपरेशन हुआ है, स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि बुनियादि दोष यथावत रहता है।
37. शरीर के किसी भी हिस्से में अंग प्रत्यारोपण संबंधी कोई सबूत होने पर उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

38. जननांग में किसी बड़ी विकृति अथवा दोष का प्रमाण जैसे कि सेक्स मे बदलाव, हर्मप्रोडिटिज्म, स्यूडोहेरमप्रोडिटिज्म अथवा गोनाडल डिसिजेनेसिस अथवा डायसफंक्शनल रेसिड्यूल्स, यहां तक कि सर्जिकल सुधार की स्थिति में भी, अयोग्यता माना जायेगा।

39. पेल्विक इनफ्लेमेटॉरी रोग के सबूत मिलने पर अयोग्यता माना जाएगा।

40. स्पाइन या स्क्रो इलिएक ज्वाइंटस बिना किसी पूर्व मेडिकल विवरण के या निशान के साथ होने पर जिससे कि उम्मीदवार के जीवन में सक्रिय रूप से शारीरिक कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो तो उसे अयोग्य माना जाएगा।

41. रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर का पूर्व विवरण या अंतःक्रियास्थल डिस्क और सर्जिकल उपचार होने पर उसे अयोग्य माना जाएगा।

42. रेडियोलॉजी जांच के दौरान निम्नलिखित चिकित्सीय अवस्था में अयोग्य माना जाएगा :–

(क) रीढ़ का ग्रैनोलामोटेस रोग

(ख) गठिया/स्पोंडिलोसिस
–रूमेटॉइड गठिया और संबंद्व विकार
–एंकिलॉजिंग स्पोंडिलोसिस
– ऑस्टियोआर्थोसिस, स्पोंन्डिलाइटिस एवं डीजनरेटिव जोडों के रोग
– नॉन आर्टीकुलर रूमेटिज्म (जैसे कि अंग का घुमावदार कफ, टेनिस कोहनी, रिकरेंट लंबेगो आदि)
– विविध विकार जिसमें एसएलई, पॉलीमेमैटिस, वस्कुलाईटिस शामिल है

(ग) स्पॉडिंलाईटिसस/स्पॉडिलोलिसिस

(घ) वर्टेबरे का कंप्रेशन फैक्चर

(ड) स्क्यूरमेंस रोग (एडोल्सेंट काइफोसिस)

(च) सर्वाइकल स्पाइन के मुवमेंट करने पर चिकित्सीय रूप से प्रतिबंधित स्र्वाइकल लॉस होने पर

(छ) एकतरफा/दोतरफा सरवाइकल पसलियों के साथ डेमोन्सट्रेबल न्यूरोलॉजिकल या सरकुलेटरी डेफिसिट होने पर

(ज) कोबस विधि द्वारा मापने पर स्कॉलियोसिस के 15 डिग्री से अधिक होने पर

(झ) डिजेनेरेटिव डिस्क की बिमारी

(ट) एक से अधिक स्तर पर स्कमोरल के नोड्स की उपस्थिति

(ठ) अटलांटो–ओसीसीपटल और एटैलाटाएक्सियल विसंगतियां

(ड़) सरवाइकल, डॉरसेल या रीढ़ की हड्डी में किसी भी स्तर पर हेमी वरटेबरे और या अधूरा ब्लॉक (जुड़ा हुआ) होने पर तथा पूर्ण ब्लॉक (जुड़ा हुआ) और सरवाइकल या डॉरसेल स्पाइन में एक से अधिक स्तर पर होने पर

(ढ़) सभी स्तरों पर यूनीलेटरल स्कारलाईजेसन या लुंबराइजेसन (पूर्ण या अपूर्ण) तथा बाईलेटरल अपूर्ण स्कारलाईजेसन या लुंबराइजेसन

(ण) यदि विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये तो कोई अन्य असामान्यता होने पर

(त) मामूली क्युफोसिस या लॉर्डोस, जहां बमुश्किल ही विकृति ध्यान देने योग्य हैं और जिसमें कोई दर्द न हो या जिसमें मूवमेंट करने पर प्रतिबंध न हो, स्वीकार नही किया जाएगा।

(थ) ध्यान देने योग्य स्कॉलियोसिस या किसी अन्य असामान्यता या मामूली से अधिक रीढ़ की हड्डी की विकृति के मामले में, रीढ़ की हड्डी का उपयुक्त एक्स–रे लिया गया हो और जांचकर्ता ने विशेषज्ञ की राय के लिए रेफर किया गया हो।

(द) एक्स–रे जांच के दौरान निम्नलिखित शर्ते ज्ञात होने पर सशस्त्र बल में भर्ती के लिए अयोग्य माना जाएगा :–

(i) रीढ़ का ग्रैनोलामोटेस रोग
(ii) गठिया/स्पॉडिलोसिस
(iii) कोबस विधि द्वारा मापने पर स्कॉलियोसिस के 15 डिग्री से अधिक होने पर (सेना के लिए 10 डिग्री)
(iv) हल्के से अधिक क्यफोसिस/लॉर्डोसिस
(v) स्पॉडिलाईटिसस/स्पॉडिलोलिसिस
(vi) हर्निएटेड न्यूक्लियस पल्पोसेस
(vii) वर्टेब्रा का फैक्चर कम्प्रेसन
(viii) स्केरलाईजेशन बिमारी
(ix) सरवाइकल पसलियों के साथ डेमोन्सट्रेबल न्यूरोलॉजिकल या सरकुलेटरी डेफिसिट होने पर
(x) एक से अधिक स्तर पर स्कमोरल के नोड्स की उपस्थिति
(xi) अटलांटो–ओसीसीपटल और एटैलाटाएक्सियल विसंगतियां
(xii) एकतरफा/दोतरफा अपूर्ण स्केरलाईजेशन
(xiii) एसवी1 और एलवी5 को छोड़कर स्पिनबिफाडा यदि पूर्णतयाः स्केरलाईज्ड है
(xiv) कोई अन्य अपसामान्यता, यदि विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये

(ध) उम्मीदवार का मानसिक संतुलन बिगड़ने या फिट्स का पूर्व में इतिहास नहीं होना चाहिए।

(न) श्रवण शक्ति सामान्य होनी चाहिए। उम्मीदवार को शांत कक्ष में 610 सेमी की दूरी पर प्रत्येक कान से असामान्य कानाफूसी सुनने में समर्थ होना चाहिए। कान, नाक और गले की बिमारी का कोई पूर्व अथवा वर्तमान सबूत नहीं होना चाहिए। एएफ के लिए ऑडीओमेट्रिक टेस्ट किया जाएगा। ऑडिओमेट्रिक हानि की आवृत्ति 250 हर्ट्ज और 4000 हर्ट्ज के बीच जो प्लस 20 डीबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। बोलने में कोई हकलाहट नहीं होना चाहिए।

(प) ह्दय और रक्त वाहिकाओं की संकार्य या जैविक बिमारी के कोई लक्षण नहीं होने चाहिए। रक्तचाप सामान्य होना चाहिए।

(फ) यकृत या प्लीहा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। पेट के आंतरिक अंगों की बिमारी के किसी भी सबूत के कारण अस्वीकृति कर दी जाएगी।

(ब) अन–ऑपरेटिड हार्निया से उम्मीदवार अयोग्य हो जायेगा। हर्निया के मामले में, जिसका ऑपरेशन हुआ होगा, कोर्स शुरू होने से पूर्व अंतिम चिकित्सा जांच से पहले न्यूनतम 6 माह अवश्य गुजर गए होने चाहिए।

(भ) हाइड्रोसिल, वेरिकोसील अथवा पाइल्स नहीं होनी चाहिए।

(म) पेशाब की जांच की जाएगी और कोई भी विकृति का पता चलने पर यह अस्वीकृति का कारण बन सकता हैं।

(य) चर्म की कोई बिमारी जो कि निःशक्तता अथवा विरूपता का कारण बन सकती है, भी अस्वीकृति का कारण होगी।

टिप्पणी : ये अनुदेश केवल दिशानिर्देश हैं। इन अनुदेशों के अलावा इस विषय पर विस्तार से समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदेश चिकित्सा जांच के लिये लागू होंगे।

16. रिव्यू चिकित्सा जांच :–

(i) उम्मीदवार यदि चिकित्सा अधिकारी के परिणामों से संतुष्ट नहीं हो तो वे नीचे दिए गये प्राधिकारियों के पास चिकित्सा प्रैक्टिशनर से परिशिष्ट–आठ में चिकित्सा प्रमाण पत्र के रूप में प्राप्त स्वस्थता प्रमाण सहित चिकित्सा परीक्षा की समीक्षा के लिए अपील कर सकते हैं।

(ii)) पुलिस महानिरीक्षक, एम.पी. सेक्टर के0रि0पु0बल रिव्यू चिकित्सा जांच हेतु अपीलीय अधिकारी होंगें। रिव्यु चिकित्सा जांच हेतु प्राप्त अपीलों की स्क्रीनिंग के लिए अपीलीय अधिकारी को सहयोग करने हेतु एक मेडिकल अधिकारी की नियुक्ती की जाएगी। जिस उम्मीदवार की अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार की जाती है, उसे रिव्यु मेडिकल बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होने के लिए निश्चित समय, दिनांक एवं स्थान दर्शाते हुए बुलावा पत्र दिया जाएगा। उम्मीदवारों का रिव्यु मेडिकल परीक्षण रिव्यु मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थान पर किया जाएगा तथा मेडिकल परीक्षण रिव्यु मेडिकल परीक्षण के लिए उपलब्ध नियम/निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) अपीलीय अधिकारी का पता : पुलिस महानिरीक्षक, एम.पी.सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बंगरशिया, भोपाल (मध्य प्रदेश) पिन – 462045।

(iv) रिव्यू चिकित्सा परीक्षा (आर.एम.ई.) के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को यह सूचित किया जाएगा कि आर.एम.ई. बोर्ड द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और आर.एम.ई. हेतु बुलाए जाने तथा उसके परिणाम से उन्हें फिट घोषित किए जाने का आशय, चयन/नियुक्ति की गारंटी नहीं होगी। यह अंतिम मैरिट लिस्ट में प्राप्त अंकों पर निर्भर करेगा। उम्मीदवारों को यह सूचित किया जाएगा कि उन्हें आर.एम.ई. में अपने खर्चे पर शामिल होना होगा और रिव्यू चिकित्सा परीक्षा के लिए उन्हें 3–4 दिनों तक उस स्थान पर ठहरने की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी।

(v) उम्मीदवार की प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा करने और उन्हें चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ घोषित करने वाले चिकित्सा अधिकारी उस रिव्यू चिकित्सा बोर्ड में शामिल नहीं होंगे, जो रिव्यू चिकित्सा परीक्षा संचालित करेंगे।

(vi) यदि उम्मीदवार को दृष्टि और अन्य अपंगताओं/बीमारी, दोनों के कारण चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया है तो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उम्मीदवार का रिव्यू चिकित्सा बोर्ड द्वारा दोनों दृष्टिकोण से जांच की गई है। ऐसे उम्मीदवारों की सभी बीमारियां/अपंगताएं जिसके कारण उन्हें पहले चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया, ठीक होने पर ही उन्हें चिकित्सीय रूप से स्वस्थ करने हेतु विचार किया जाएगा।

(vi) रिव्यू चिकित्सा बोर्ड के परिणामों को मेडिकल फार्म–6 में दर्ज किया जाएगा। मेडिकल फार्म–6 की एक प्रति उम्मीदवार को दी जाएगी और दूसरी प्रति पर इसकी पावती लेकर इसको कार्यालय प्रति बनाया जाएगा।

(viii) अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि निम्नलिखित का पालन नहीं होगा :–

क) अपील हर प्रकार से पूर्ण करके निर्धारित प्रपत्र में अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ख) मेडिकल प्रेक्टिशनर से उम्मीदवार की फिटनेस के संबंध में चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ग) यदि मेडिकल बोर्ड/भर्ती चिकित्सा अधिकारी के आरंभिक निर्णय में, जिसने उनकी पहली बार जांच की है, त्रुटि की संभावना के सबूत के तौर पर उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र में संबंधित मेडिकल प्रेक्टिशनर, जो कि जिला अस्पताल से संबंधित

विशेषज्ञता का चिकित्सा अधिकारी और ऊपर का होना चाहिये और साथ में एमसीआई/राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा दिया गया पंजीकरण हो, की ओर से यह टिप्पणी नहीं होगी कि यह इस तथ्य की पूरी जानकारी के साथ जारी किया गया है कि उम्मीदवार को पहले ही चिकित्सा बोर्ड, अथवा भर्ती चिकित्सा अधिकारी द्वारा सेवा के लिये अयोग्य के तौर पर अस्वीकार किया जा चुका है, विचार नहीं किया जाएगा।

घ) स्वयं का पता लिखा हुआ 27 रूपये का डाक टिकट लगा लिफाफा।

(ix) यदि अपील पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर नहीं प्रस्तुत की जाती है, जिसमें उम्मीदवार को चिकित्सा अधिकारी के निष्कर्षों की सूचना दी गई है।

(x) अपील की पूर्ण जांच की जानी चाहिए और अपील को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के संबंध में निर्णय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया जाना है।

(xi) उम्मीदवार को अपने अपील के साथ ऊपर वर्णित अपीलीय अधिकारी के नाम से आईपीओ/बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट के जरिये रूपये 25/– (पच्चीस रूपये) मात्र की पुनः चिकित्सा जांच फीस अपील के साथ प्रस्तुत की जानी है।

(xii) उन उम्मीदवारों को, जिनकी अपील स्वीकार कर ली जाती है, केरिपुबल द्वारा पुनः चिकित्सा जांच के लिए केरिपुबल के संवीक्षा चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिये पंजीकृत डाक से बुलावा पत्र जारी किया जाएगा, संवीक्षा (रिव्यू) चिकित्सा बोर्ड का निष्कर्ष अंतिम माना जाएगा।

(xiii) भर्ती चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष/राय फिटनेस की तिथि से सेवा में शामिल होने तक एक वर्ष के लिए वैध होगी,

17. <u>चयन की पद्धति/अंतिम मैरिट सूची तैयार करना</u>

(i) चिकित्सा जांच परीक्षण/संवीक्षा चिकित्सा जांच पूरी होने के उपरांत, श्रेणी वार नामतः सामान्य, अजा, अजजा, अपिव और भूतपूर्व सैनिक के आधार पर उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रत्येक पद के उम्मीदवारों की अलग–अलग मैरिट सूची तैयार की जायेगी।

(ii) मेरिट सूची उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। बराबर अंको के मामले में मैरिट सूची निम्नलिखित क्रमानुसार तैयार की जाएगी :–

(क) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

(ख) यदि अब भी बराबरी बनी रहती हैं, तो इसे नामों के अक्षर क्रमानुसार हल किया जायेगा अर्थात् जिस उम्मीदवार का नाम अक्षर क्रम (अंग्रेजी) में पहले आता है तो उसे वरीयता दी जायेगी।

(iii) बशर्ते कि अजा, अजजा और अपिव, जिन्हें मानदण्डों में छूट के बगैर अपनी मैरिट पर चुना गया हैं, रिक्तियों के आरक्षित हिस्से के तहत समायोजित नहीं किया जायेगा। ऐसे अजा, अजजा और अपिव उम्मीदवारों को संपूर्ण मैरिट सूची में उनके स्थान के अनुरूप सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों के तहत समायोजित किया जायेगा। आरक्षित रिक्तियों को अलग से पात्र अजा, अजजा और अपिव उम्मीदवारों में से ही भरा जायेगा। जिनमें इस तरह से अजा, अजजा और अपिव उम्मीदवार होगें जो कि अनारक्षित श्रेणी की मैरिट सूची में आखिरी सामान्य उम्मीदवारों से नीचे हैं परंतु मानदंड़ों में छूट से नियुक्ति के लिये अन्य प्रकार से सुयोग्य हैं।

(iv) अंतिम परिणाम वेबसाइट अर्थात www.crpfindia.com & www.crpf.nic.in पर प्रकाशित किया जायेगा। इसके अलावा अंतिम तौर पर चयनित उम्मीदवारों की सूची भर्ती केंद्र के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और के.रि.पु.बल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जिसके उपरांत नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

टिप्पणी :–

(1) परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिये कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिये सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूरी तरह अनंतिम, निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने के विषयाधीन है, यदि पीएसटी/पीईटी, लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा और चिकित्सा जांच से पहले अथवा बाद में किसी भी समय जांच के उपरांत यह पाया जाता है कि वे कोई पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते हैं, विभाग द्वारा परीक्षा के लिये उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगीः

(2) उम्मीदवारों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर संबंधित पदो के लिये प्रत्येक श्रेणी में मैरिट के अनुसार किया जाएगा।

(3) ज्वाईनिंग के समय सभी चयनित उम्मीदवारों से एक प्रतिज्ञापत्र लिया जायेगा कि यदि उनके सेवा कैरिअर के किसी भी चरण में यदि उनमें रंगांधता पाई जाती है तो उन्हें लागू शेप नीति के अनुरूप उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जायेगा तथा उनके सेवा रिकार्ड के साथ लगा दिया जाएगा।

(4) यदि किसी उम्मीदवार द्वारा भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई अपात्रता अथवा तथ्यों को छिपाने की जानकारी बाद में उजागर होती है तो तदनुसार उसकी उम्मीदवारी/चयन/नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है।

(5) यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित रिक्तियां पात्र अथवा अर्हक उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती हैं, तो इन्हें भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनः रोजगार) नियम, 2012 में संशोधन की अधिसूचना के अनुरूप संबंधित श्रेणी के अन्य उम्मीदवारों से भर लिया जायेगा।

(6) कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाएगी।

18. <u>निर्णय</u>

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, झूठी सूचना के लिये दंड, चयन की पद्धति, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केंद्रों के आबंटन और मैरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिये बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।

19. <u>अदालत का क्षेत्राधिकार</u>

इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद उस शहर/कस्बे पर क्षेत्राधिकार रखने वाली अदालतों/अधिकरणों के विषयाधीन होगा जहां केरिपुबल का संबंधित भर्ती केंद्र स्थित है और जहां उम्मीदवार ने अपना आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है।

20. <u>उम्मीदवारों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–

1) भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मानदंड परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेजों की जांच, लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा (केवल सिपाही/पायनियर हेतु) तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे।

2) सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले इस नोटिस में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह नोटिस केरिपुबल की वेबसाइट www.crpf.nic.in पर भी उपलब्ध है।

3) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा./पूर्व सैनिक आदि श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि नोटिस में निर्धारित योग्यताओं के अनुसार वे ऐसे आरक्षण के योग्य हैं। उनके पास अपने दावे के पक्ष में पी.ई.टी./पी.एस.टी. तथा दस्तावेजों की जांच के दौरान दिखाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र होना चाहिए।

4) शारीरिक दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार इस परीक्षा में आवेदन करने के योग्य नहीं है।

5) परीक्षा शुल्क– विभिन्न पदां के लिए परीक्षा शुल्क

1) उप निरी0 (ओवरसियर) – रू0 200
2) स0उ0नि0 (ड्रॉटसमैन) – रू0 100
3) सिपाही (पायनियर) – रू0 100

परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल भारतीय स्टेट बैंक के चालान या किसी भी बैंक से बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। सरकारी आदेशानुसार अ.जा., अ.ज.जा. तथा भूतपूर्व सैनिक जो आरक्षण की योग्यता रखते हैं को परीक्षा शुल्क से छूट प्राप्त है।

6. अंतिम तारीख – 05/05/2017
केरिपुबल की वेबसाइट **www.crpfindia.com** पर आवेदन पत्र ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं। ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिनांक 6/04/2017 से 05/05/2017 तक भेजे जा सकते हैं।

7. मोबाइल तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण परीक्षा केंद्र पर ले जाना मना है। यदि किसी उम्मीदवार के पास ऐसे उपकरण पाए जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। केरिपुबल द्वारा इनका प्रयोग अनुचित माना गया है।

8. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकृत किए जाएंगे, केवल एक आवेदन ही भेजा जाए। बहु–आवेदको के मामले में, केवल अंतिम आवेदन जिसके लिए भाग–।,।। एवं ।।। पंजीकरण पूर्ण किया गया है, ही स्वीकार किया जाएगा।

9. ऑनलाइन पंजीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर केरिपुबल की ओर से पंजीकृत फर्म के माध्यम से उम्मीदवारों को एसएमएस/ई–मेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी।

10. पी.एस.टी./पी.ई.टी., लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र केरिपुबल की वेबसाइट **www.crpfindia.com** पर अपलोड किया जाएगा।

11. उम्मीदवार पीईटी/पीएसटी तथा दस्तावेजों की जांच, लिखित परीक्षा, ट्रैड परीक्षा (केवल सिपाही/पायनियर के लिए) तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के लिए अपने प्रवेश पत्र वेबसाइट से **www.crpfindia.com** से डाउनलोड कर सकते हैं।

12. उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए इस विज्ञापन सूचना के पैरा 2 में दिए गए अपने परीक्षा केंद्रों में भी संपर्क कर सकते हैं।

13. उम्मीदवारों को अपने साथ फोटो सहित पहचान का मूल प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान–पत्र, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र/आयकर पैन कार्ड आदि अपने साथ रखना चाहिए। इसके बिना उन्हें परीक्षा के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

14. विभाग के पास इस विज्ञापन में बगैर कोई कारण बताए कोई भी बदलाव करने अथवा इसे रदद करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशानुसार इससे संबंधित शर्तों में भी बदलाव किया जा सकता है।

15. नियुक्ति के पश्चात उम्मीदवार केरिपुबल अधिनियम तथा केरिपुबल नियम तथा समय समय पर जारी किए गए इस प्रकार के ऐसे सरकारी अनुदेशों/नियमों जैसा कि लागू हैं, द्वारा शासित होंगे।

16. उम्मीदवारों को चयन/परीक्षा के लिए अपने जोखिम/स्वयं के खर्चे पर आना होगा तथा इसके लिए कोई यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्हें अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

17. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती में दौड़/पीईटी में भाग लेने से पहले समुचित अभ्यास कर लें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित दूरी की दौड़ दिए गए समय में पूरी करने के लिए, अपनी क्षमता की चिकित्सीय जांच करवा लें। भर्ती प्रक्रिया/परीक्षा के दौराान किसी प्रकार की चोट/घटना या चिकित्सीय समस्या के लिए केरिपुबल जिम्मेदार नहीं होगा।

18. सभी चरणों में सफल हुए उम्मीदवारों को अनंतिम माना जाएगा उनकी संतोषजनक धार्य शर्तों पर। अन्तिम चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने से भी नियुक्ति की गारन्टी नहीं होती हैं, जैसे कि नियुक्ति का प्रस्ताव उस समय उपलब्ध रिक्तियों और प्रत्येक वर्ग/ट्रेड में योग्यता सूची में उम्मीदवारों की वरिष्ठता की सूची के अनुसार दिया जाएगा।

19. बल में नियुक्त उम्मीदवारों के नौकरी छोड़ने/त्याग–पत्र देने पर, नियमानुसार तीन माह के वेतन एवं भत्तों को या दिए गए प्रशिक्षण की लागत, दोनों में से जो भी ज्यादा हो, वापस जमा करनी होगी।

20. चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित की गई अवधि के प्रशिक्षण को पूर्ण करना होगा और यह प्रशिक्षण बल के किसी भी केन्द्र पर हो सकता है। यदि उम्मीदवार निर्धारित की गई प्रशिक्षण पूरा नहीं करता है तो उसका/उसकी सेवाएं समाप्त की जाएगी।

21. भर्ती के लिए कोई याचना करने या बाहरी प्रभाव डालने अनुमति नहीं होगी ऐसा करने पर उम्मीदवार पद के लिए अयोग्य घोषित होगें बिना किसी नोटिस के।

22. जिन अभ्यर्थियों के पास सही योग्यता, सक्षमता, फिटनेस और ट्रेड का ज्ञान है वह ही इन पदों के लिए आवेदन करें।

23. परीक्षा में सफल होने पर नियुक्ति की गारंटी नहीं है जब तक कि विभाग पूरी से सभी पहलूओं की जॉच कर संतुष्ट नहीं हो जाता है कि वह अमुख पद के लिए योग्य है।

24. भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

25. सभी मामलों जैसे योग्यता, स्वीकार एवं निरस्तीकरण, चयन की बिधि, परीक्षा का आयोजन एवं साक्षात्कार, परीक्षा केन्द्र का आबंटन, कौशल परीक्षा की विधि/प्रक्रिया, चिकित्सा परीक्षा इत्यादि के लिए विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में किसी भी उम्मीदवार के कोई पत्राचार/पूछताछ का जवाब नहीं दिया जाएगा।

नोट :– दलालों से सावधान रहें। के0रि0पु0बल में भर्ती के लिए कोई धन नहीं लिया जाता है। यदि कोई भर्ती के लिए धन की मांग करता है तो भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी को तुरंत सूचित करें।

// हस्- // 22/03/2017
(एम.एस.शेखावत)

उप महानिरीक्षक(प्रशा0)
मध्य प्रदेश सेक्टर मुख्यालय
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल,
(केरिपुबल के सभी अंचलो/सेक्टरों की
ओर से समेकित विज्ञापन के रूप में जारी)

अनुलग्नक–1

ऑनलाइन आवेदन भेजने की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन निम्नानुसार उपलब्ध होगा :–

भाग–।/ ।।/ ।।। का पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि : 6/4/17 से 5/5/2017 तक

1. ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित वेबसाइट पर प्रस्तुत कर सकते हैं :–

   http:///www.crpfindia.com

2. उम्मीदवार को कोई भी प्रविष्टि करने अथवा विकल्पों को चुनने से पहले इस सूचना में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। उम्मीदवार को ऑनलाइन प्रपत्र भरते समय सभी अपेक्षित विवरण देने चाहिए। अनिवार्य क्षेत्र को * से (तारांकित) चिह्नित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के तीन भाग हैं :–

   1) भाग–। पंजीकरण (व्यक्तिगत विवरण के साथ)
   2) भाग–।। पंजीकरण (फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें)
   3) भाग–।।। फीस का भुगतान (ऑनलाइन अर्थात नेट बैकिंग/डेबिट कार्ड और एसबीआई चालान अथवा डाकघर के जरिये ई–ट्रांजेक्शन)

3. भाग–। पंजीकरण में, उम्मीदवार को व्यक्तिगत सूचना भरनी होगी। भाग–। पूरा करने के उपरांत उम्मीदवार को Next बटन दबाना चाहिए। अब उम्मीदवार द्वारा भरी गई पूर्ण सूचना दिखाई देगी। अब यदि उम्मीदवार की कोई सुधार करने की इच्छा है तो बैक बटन दबाएं और यदि वह उसके द्वारा भरे गये विवरण से संतुष्ट है तो सबमिट बटन को दबायें। सबमिट बटन को चुनने के उपरांत कोई भी सुधार संभव नहीं होगा। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सबमिट बटन केवल तभी दबाएं जब उसके द्वारा भरी गई सूचना के सही होने की पुष्टि हो जाये।

4. भाग–।। पंजीकरण में उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और स्कैन किये गये हस्ताक्षर को अपलोड करना होगा। एक बार फोटोग्राफ और स्कैन किये गये हस्ताक्षर अपलोड हो जायें तो Next बटन को दबाएं– अगली स्क्रीन में अपलोड की गई फोटो और हस्ताक्षर दिखाई देंगे। यदि सही पाये जाएं तो सबमिट बटन दबाएं अन्यथा फोटो और हस्ताक्षर को एडिट करने के लिये बैक बटन दबाएं। एक बार सफलतापूर्वक अपलोड कर दिए जाने पर पंजीकरण संख्या के साथ पेज सृजित होगा। पंजीकरण संख्या को नोट कर लें अथवा पेज का प्रिंट आउट ले लें।

5. आवेदन पत्र का भाग–।।। फीस के भुगतान के संबंध में है, जिन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना है वे नेट बैकिंग/किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड (वीसा/मास्त्रो/मास्टर कार्डस) अथवा एस.बी.आई. बैंक चालान के जरिये भुगतान कर सकते हैं। उम्मीदवार नोट कर लें कि विभाग द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या और बैंक की ट्रांजैक्शन आईडी के संगत स्थान पर सही प्रकार से प्रविष्टि करना चाहिए, अन्यथा भुगतान को पंजीकरण के आरंभिक भागों के साथ लिंक करना संभव नहीं होगा।

6. ऑनलाइन आवेदन केवल स्कैन किए गए हस्ताक्षर और फोटो की अपलोडिंग और फीस के भुगतान के पश्चात ही पूरा होगा।

7. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भरे हुए आवेदन प्रपत्र का एक प्रिंट आउट अपने साथ रख लें। उम्मीदवारों को फीस की रसीद की प्रिंट प्रति रखनी होगी और इसे पीएसटी/पीईटी के समय अथवा जब भी मांगा जायेगा, दिखानी होगी।

8. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हाल में लिया गया 8–बिट जे.पी.जी. फॉरमेट में स्कैन किया गया फोटोग्राफ अपलोड करें। फाइल का डिजिटल आकार 120 पिक्सल्स हाईट से 100 पिक्सल विड्थ रेजोल्यूशन का 12केबी से कम और 4 केबी से बड़ा होना चाहिए।

9. साथ ही अपने स्कैन किये गये हस्ताक्षर 8–बिट जेपीजी फार्मेट में अपलोड करें। फाइल का डिजिटल आकार 60 पिक्सल हाईट से 140 पिक्सल रेजोल्यूशन के 12 केबी से कम और 4 केबी से अधिक का होना चाहिए।

10. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

11. आवेदन प्रपत्र में किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के लिये अनुरोध पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। विभाग किसी भी कारण से, जो भी हो, आवेदन प्रपत्र में भरे गये किसी भी विवरण में कोई भी सुधार/विस्तार/लोप की अस्वीकार्यता को लेकर उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

12. अंतिम/बंद होने की तिथि अर्थात् 05/05/2017 के उपरांत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को सीधे तौर पर नामंजूर कर दिया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिये उनकी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

14. वे चयन परीक्षाओं के लिए स्वयं के खर्च और जोखिम पर शामिल होंगे।

15. नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उम्मीदवार को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप चिकित्सा की दृष्टि से फिट घोषित किया गया है और वह अन्य सभी अपेक्षित शर्तें पूरी करता है।

16. सभी पद वर्दीधारी हैं। चयनित उम्मीदवारों को के.रि.पु.बल के किसी भी प्रशिक्षण संस्थान/ग्रुप केंद्र में बेसिक कॉम्बेटाइजेशन ट्रेनिंग/कोर्स के लिए भेजा जाएगा। उनकी सेवाएं जो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने में असफल रहते हैं, समय–समय पर सरकार/विभाग द्वारा इस विषय में जारी नियमों/अनुदेशों के अनुरूप समाप्त की जा सकती हैं।

17. उनके चयन/नियुक्ति के उपरांत, यदि कोई उम्मीदवार अपात्र अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाये जाने का किसी भी आधार पर दोषी पाया जाता है तो उसकी सेवाएं बगैर कोई कारण बताये समाप्त कर दी जाएंगी।

18. ये पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व पर हैं और उम्मीदवारों को भारत/विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

19. चयनित उम्मीदवार, के.रि.पु.ब. में उनकी नियुक्ति होने पर के.रि.पु.ब. अधिनियम 1949, के.रि.पु.ब. नियम 1955 और समय–समय पर यथा लागू अन्य नियमों और विनियमों के अधीन शासित होंगे। बल में नियुक्त उम्मीदवारों के इस्तीफा देने अथवा नियमानुसार डिस्चार्ज करने की मांग करने पर उन्हें सरकार को 3 माह के वेतन और भत्तों के समान राशि अथवा उन्हें प्रदान किए गए प्रशिक्षण की लागत, जो भी अधिक है, जमा करानी अपेक्षित होगी।

20. उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उस पद का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए उसने आवेदन किया है।

21. नियुक्ति अखिल भारतीय आधार पर वरियता क्रम में अंतिम मैरिट सूची से की जाएगी।

22. चयन प्रक्रिया में सफलता से उम्मीदवारों को तब तक नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा जब तक कि उम्मीदवार विज्ञापित रिक्तियों के तहत तैयार की गई कट ऑफ मैरिट सूची में नहीं आ जाता और विभाग ऐसी जांच के उपरांत, जो भी वह आवश्यक समझता है, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि उम्मीदवार सेवा/पद में नियुक्ति के लिए हर तरह से सुयोग्य है।

23. किसी भी रूप में सिफारिश अथवा बाहरी दबाव डलवाये जाने से उम्मीदवार बगैर सूचना दिए परीक्षा में उपस्थित होने के लिये स्वतः ही अयोग्य हो जाएगा।

24. रिक्तियों की संख्या को प्रशासनिक कारणों से बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है।

25. चयनित उम्मीदवारों पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की नई अंशदायी पेंशन योजना जो कि 01/01/2004 से प्रभावी है, लागू होगी।

26. परीक्षाओं के दौरान किसी तरह की चोट आदि लगने पर भर्ती बोर्ड किसी तरह के दावे पर विचार नहीं करेगा। भर्ती बोर्ड का फैसला इस भर्ती से संबंधित सभी मामलों में अंतिम होगा।

27. परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान कोई चोट अथवा दुर्घटना के लिए केवल उम्मीदवार ही जिम्मेदार होगा अर्थात वह अपने स्वयं के जोखिम पर उपस्थित होगा।

28. आयु, शैक्षणिक, अर्हता, जाति, शारीरिक/चिकित्सा मानदंड आदि के संबंध में पात्रता मानदंड की अंतिम जांच चिकित्सा जांच के समय और बल में ज्वाइनिंग के समय भी की जाएगी। अतः किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी बल में ज्वाइनिंग होने तक केवल अनंतिम तौर पर स्वीकार की जाएगी। चिकित्सा जांच/बल में ज्वाइनिंग के समय जब जांच की जाती है और यदि आवेदन में किया गया कोई दावा ठीक से पूरा नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध के.रि.पु.बल का निर्णय अंतिम होगा। साथ ही बल में ज्वाइनिंग के उपरांत जन्मतिथि/शिक्षा/जाति/अन्य अपेक्षित प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता/वास्तविकता की जांच संबंधित बोर्ड/प्राधिकारी/संस्थान से की जाएगी और किसी भी चरण में कोई भी त्रुटि पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति की सेवाएं बगैर कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

29. विज्ञापन में कोई भी संशोधन अथवा भर्ती और परीक्षाओं/परिणामों आदि के संबंध में अद्यतन जानकारी केवल के.रि.पु.ब. की वेबसाइट (www.crpfindia.com और www.crpf.nic.in) पर प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवारों से उनके अपने हित में अनुरोध किया जाता है कि वे अद्यतन जानकारी के लिए नियमित तौर पर www.crpfindia.com और www.crpf.nic.in को लॉग ऑन करते रहें।

30. भर्ती के किसी भी चरण से संबंधित किसी भी पूछताछ पर संबंधित चरण के शेड्यूल तक विचार किया जाएगा। चरण विशेष के पूरा होने के उपरांत उस चरण से संबंधित किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

31. संबंधित श्रेणी की छूट केवल उन मामलों में दी जाएगी जहां रिक्तियां आवेदित पद के लिए संबंधित श्रेणी में उपलब्ध हैं। यदि श्रेणी विशेष के पद की रिक्तियां उपलब्ध नहीं है और उम्मीदवार उस श्रेणी की छूट नहीं ले रहा है तो उसे सामान्य/अनारक्षित श्रेणी उम्मीदवार के तौर पर समझा जाएगा। जहां कहीं अपिव/अजा/अजजा श्रेणी की रिक्तियां उपलब्ध नहीं है और उम्मीदवार सामान्य/अनारक्षित श्रेणी उम्मीदवार के मानदंड को पूरा नहीं करता है, ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी को किसी भी चरण में नामंजूर कर दिया जाएगा। लेकिन भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के आवेदनों को उनकी श्रेणी अथवा श्रेणी विशेष में रिक्ति की परवाह किए बगैर स्वीकार किया जाएगा।

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

धोखेबाजों से सावधान। के0रि0पु0बल में भर्ती के लिए कोई धनराशि नहीं ली जाती है। यदि आपने किसी को धनराशि का भुगतान किया हैं अथवा वायदा किया हैं आपके साथ धोखा किया जा रहा हैं और आप अपनी धनराशि खो रहे हैं, यदि कोई भी आपसे चयन कराने के लिये धन की मांग करता है तो तत्काल भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी (पी.ओ.), संबंधित भर्ती केंद्र के महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक अथवा नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें।

// हस्- // 22/03/2017
(एम.एस.शेखावत)
उप महानिरीक्षक(प्रशा0)
मध्य प्रदेश सेक्टर मुख्यालय
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल,
(केरिपुबल के सभी अंचलो/सेक्टरों की
ओर से समेकित विज्ञापन के रूप में जारी)

अनुलग्नक–II

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र (कृपया परीक्षा के लिए सूचना के नीचे दिए गए पैरा 6 का नोट–**III** देखें)

मैं प्रमाणित करता है कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (सं0) ..... (पद) ..... नाम) ..... सशस्त्र बलों में उसकी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि दिनांक ..... को पूरा कर लेगा।

स्थान :
दिनांक :

कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर

अनुलग्नक–III

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सूचना के नोट–**III** के अधीन दिए जाने वालो बचनपत्र

मै यह समझता हूँ कि यदि भर्ती/परीक्षा के आधार पर, जिससे आवेदन पत्र संबंधित है, यदि मेरा चयन हो जाता है, मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ये दस्तावेती सबूत प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त/डिस्चार्ज कर दिया गया है और मैं भूतपूर्व सैनिक (समय–समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनःरोजगार नियम 1979) के अनुरूप भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ प्राप्त करने का पात्र हूँ।

मै यह भी समझता हूँ कि यदि मैंने इस नियुक्ति से पूर्व किसी भी समय भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ लेकर सिविल साइड में (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत संस्थाओं/सांविधिक संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) कोई रोजगार हासिल किया है तो मैं इस परीक्षा के तहत की जाने वाली भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नही रहूंगा।

आगे मैं निम्नलिखित सचना प्रस्तुत करता हूँ :–

क.	सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तारीख	:
ख.	डिस्चार्ज की तारीख	:
ग.	सशस्त्र बलों में सेवा की कुल अवधि	:
घ.	मेरी अंतिम यूनिट/कोर	:

स्थान :
दिनांक :

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक–IV

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने दावे के समर्थन में नीचे दर्शाए गए प्रपत्र में प्रमाणपत्र की सत्यापित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो जिला मजिस्ट्रेट या उप मंडल अधिकारी या उसके जिले जिसमें उसके माता–पिता (या जीवित माता–पिता) सामान्यतः निवास करते हैं कोई अन्य अधिकारी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम नामोदिष्ट किया गया है, द्वारा जारी किया गया हो। यदि उसके माता–पिता, दोनों जीवित नहीं हैं तो, प्रमाणपत्र उस जिले का होना चाहिए जहां उम्मीदवार, केवल अपनी शिक्षा ग्रहण करने के प्रयोजन को छोड़कर, सामान्यतः स्वयं निवास करता है। जहां कही फोटोग्राफ प्रमाणपत्रों का एक आवश्यक भाग हो, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतियां ही स्वीकार करेगा और कोई अन्य सत्यापित या सत्य प्रति स्वीकार नही करेगा।

(भारत सरकार के अधीन के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री श्री .... ग्राम/नगर* ..... *जिला/मंडल* ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ... . के निवासी ..... जाति/जनजाति से संबंधित है जो कि निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :–

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951*

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951*

(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश 1956 द्वारा संशोधित बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम 1971) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976)

.संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

' संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

' अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित।

' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

' संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1964@

' संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967@

' संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@

' संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

' संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

' संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

' संविधान (जम्मू–काश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश आदेश 1989@

' संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1990@
' संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1991@
' संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय–संशोधन), अधिनियम 1991
' संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1996

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के मामले में लागू होगा जो एक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से दूसरे में प्रवासित हुए हैं।

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... ग्राम/नगर ..... जिला/मंडल ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ..... को जो ..... जाति/जन जाति से संबंधित हैं जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ..... में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं को अथवा श्री.....तथा अथवा उसका परिवार जो सामान्यतः ..... ग्राम/नगर* ..... जिला/मंडल* .....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में निवास करते हैं को ..... (जारी करने वाले निर्धारित प्राधिकृत अधिकारी का नाम) द्वारा उनके दिनांक .... संख्या ..... के अधीन जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... और / या परिवार सामान्यतः ..... ग्राम/नगर * ..... जिला/मंडल* ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में निवास करता/करती है।

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
पदनाम .....
(कार्यालय की मोहर सहित)

* जो शब्द लागू नहीं हों उन्हें हटा दें।
@ कृप्या राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश को दर्शाएं।
% जो पैराग्राफ लागू नहीं हो उसे हटा दें।

टिप्पणी :– यहां ''सामान्यतः निवास करते हैं'' का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची

1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
2) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
3) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो ।
4) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

टिप्पणी :– तमिलनाडू राज्य से संबंधित उम्मीदवारों को केवल राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुलग्नक–V

भारत सरकार के अन्तर्गत पदों हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछडा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री श्री .... ग्राम/नगर ..... जिला/मंडल ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ..... समुदाय .. .. के हैं जो कि भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के संकल्प सं0 .... दिनांक ..... के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... और/ या उसका परिवार ..... ग्राम/नगर ..... जिला/मंडल ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सामान्यतः निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93 स्था0(एस.सी.टी.) दिनांक 08/09/1993 की अनुसची के कालम 3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

हस्ताक्षर.....

दिनांक ..... पदनाम.....

(कार्यालय मुहर सहित)

मुहर

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का विवरण दर्शाना चाहिए जिसके अंतर्गत उम्मीदवार को अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

**समय–समय पर यथा संशोधित

नोट :– यहां ''सामान्यतः निवास करते हैं'' का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है ।

अनुलग्नक–VI

लंबाई(ऊंचाई) या सीने की माप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... ग्राम ..... तहसील/तालुक ..... जिला .... राज्य ..... का स्थाई निवासी है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :–

*गढवाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले उम्मीदवारों और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं काश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों को गढवाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा;

*पूर्वोत्तर के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों के उम्मीदवारों और दार्जिलिंग जिले के तीन उप मंडलों अर्थात दार्जिलिंग, कलीमपोंग, और कुरसिआंग को मिलाकर बने गोरखा भूभाग प्रशासन तथा इन जिलों के ''मोजस'' उप मंडलों में निम्नलिखित शामिल हैं के उम्मीदवार :–

(1) लोहागढ़ टी गार्डन (2) लोहागढ़ फोरेस्ट (3) रंगमोहन (4) बाड़चेंगा (5) पानीघाट
(6) छोटा अदलपुर (7) पहाडू (8) सुकना फोरेस्ट (9) सुकना पार्ट–1
(10) पन्तापटी फोरेस्ट–1 (11) महानदी फोरेस्ट (12) चमपसरी फोरेस्ट
(13) सालबाड़ी छत पार्ट–2 (14) सितोंग फोरेस्ट (15) सिवोक हिल फोरेस्ट (16) सिवोक

*वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।

स्थान :
दिनांक :

जिलाधिकारी/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के हस्ताक्षर मुहर के साथ

*जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुलग्नक–VII

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवारत कार्मिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... (उम्मीदवार का नाम) पुत्र/पुत्री/वार्ड के0रि0पु0बल के बल सं0 ..... पद .....नाम .... का पुत्र/पुत्री है जो कि के0रि0पु0बल की .....बटालियन/कार्यालय पते सहित में तैनात है। यह भी प्रमाणित किया जाता कि यह पुत्र/पुत्री सेवारत कार्मिक के साथ रहते हैं। उपरोक्त पुत्र/पुत्री/वार्ड का नाम सेवारत कार्मिक की सेवा पुस्तिका से सत्यापित किया गया है।

दिनांक :

यूनिट कमांडर के हस्ताक्षर
नाम.....
पद.....
बटालियन .....
मुहर सहित

नोट : इस प्रमाणपत्र की एक प्रति सेवारत कार्मिक की सेवा पुस्तिका में भी रखी जाएगी।

अनुलग्नक–VIII

के0रि0पु0बल में वर्ष 2017 में पायनियर विंग में भर्ती हेतु
प्रपत्र सं0 केसपुबल (उ0नि0/ओवरसियर, स0उ0नि0/ड्राट्समैन और सिपाही पायनियर)–2016–17/3
उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच समीक्षा के लिए प्रमाणपत्र/प्रपत्र

उम्मीदवार के फोटो और अंगूठे के निशान को मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा सत्यापित किया जाए		उम्मीदवार के फोटोग्राफ और अंगूठे के निशान के लिए स्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री श्री .... जिसके फोटो और अंगूठे के निशान ऊपर दिए गए हैं और मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं जो कि के0रि0पु0बल में वर्ष 2017 में उप निरी0(ओवरसियर), सउनि(ड्रॉट्समैन) और सिपाही–राजमिस्त्री/पलम्बर/इलैक्ट्रीशियन/बढ़ई/पेंटर 2016 के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार है की मेरे द्वारा ..... अस्पताल में दिनांक ..... को चिकित्सा जांच की गई।

3. मैं, अधोहस्ताक्षरी को इसकी जानकारी है कि श्री/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... की के0रि0पु0बल में उप निरी0(ओवरसियर), सउनि(ड्राफ्ट्समैन) और सिपाही – राजमिस्त्री/पलम्बर/इलैक्ट्रीशियन/बढ़ई/पेंटर 2016 के पद पर भर्ती के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच में निम्नलिखित कारणों से अनफिट घोषित किया गया है :–

.....

.....

मेरी राय में निम्नलिखित कारणों से यह एक निर्णय की चूक है :–

.....

.....

विधिवत् जांच करने के बाद, मैं उसे उक्त पद के लिए चिकित्सा जांच में फिट घोषित करता हूँ।

संबंधित फील्ड के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी
के मुहर सहित हस्ताक्षर और नाम
पंजीयन सं0 .....
(भा0चि0परिषद/रा0चि0परिषद)
पदनाम
सरकारी अस्पताल का नाम और पता (जिला अस्पताल या उससे ऊपर)

दिनांक :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
(मेडिकल प्रेक्टिशनर की उपस्थिति में)

सत्यापित

संबंधित फील्ड के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर और मुहर

नोटः– 1) जहां कहीं लागू हो मेडिकल प्रेक्टिशनर की राय चिकित्सा रिपोर्टों/दस्तावेजों से समर्थित होनी चाहिए।
2) चिकित्सा फिटनैस प्रमाणपत्र देने वाले मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा उम्मीदवार के फोटो और अंगूठे के निशान को सत्यापित किया जाए। सत्यापित नही किए गए फार्म को सीधे नामंजूर कर दिया जाएगा।
3) डाक में होने वाले विलम्ब के लिए के0रि0पु0बल जिम्मेदान नही होगा।